राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

ंक २] द्वितीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९५७ का प्रथम दिवस [संख्या १

सोमवार, ४ नवम्बर, १९५७

विधान सभा की बैठक प्रातः ११-१० बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों का, जो विधान सभा के सत्र के लिए उपस्थित हुए हैं, मैं स्वागत करता हूँ। (विराम) अब प्रश्न होंगे।

डा० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रश्न पूछने के सम्बन्ध में ही कुछ जानकारी करने के लिए पूछना है....

श्री अध्यक्ष : जो इस लिस्ट में प्रश्न हैं, वे पूछे जायेंगे।

श्रीमती डा० चन्द्रकला : मुझे इन्हीं के सम्बन्ध में जानकारी करना है।

प्रश्न संख्या १

श्री अध्यक्ष : जानकारी करने का यह समय नहीं है। प्रश्न नं० १, श्री अर्जुनदास।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

तहसील उणियारा के हैडक्वार्टर का उनियारा से अलीगढ़ स्थानान्तर

२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि तहसील उनियारा का हैड क्वार्टर उनियारा कस्बे से हटाकर अलीगढ़ भेज दिया गया है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार तहसील की बिल्डिंग में ही रहता है ?

(ग) अगर हाँ, तो तहसील का दफ्तर कहाँ लगता है और अन्य कर्मचारी कहाँ रहते हैं ?

(घ) क्या सरकार को विदित है कि मकानों की कमी के कारण तहसीलदार हर वख्त छुट्टी में रहता है ?

(ङ) इस वख्त तहसीलदार कौन और कब से है और अब तक उन्होंने कितनी कितनी छुट्टी ली हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ। तहसीलदार व नायब-तहसीलदार के लिए अलहदा क्वार्टर्स बने हुए हैं, मगर इस साल बारिश ज्यादा होने के कारण तहसीलदार के मकान का पिछला हिस्सा गिर गया इसलिए तहसील की इमारत के एक हिस्से में तहसीलदार रहने लग गया।

(ग) तहसील का दफ्तर तहसील की बिल्डिंग में लगता है; तहसील के कर्मचारी तहसील बिल्डिंग में नहीं रहते हैं।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(घ) जी नहीं, मकान की कमी के कारण नहीं बल्कि अपने घरेलू कार्यों की वजह से तहसीलदार छुट्टी पर रहे।

(ङ) श्री सवाईसिंह मेहता ता. ३१-७-५६ से तहसीलदार हैं। इन्होंने अब तक १८-१०-५६ से २०-११-५६ तक व १७-६-५७ से ६-८-५७ तक उपार्जित अवकाश का लाभ उठाया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं तो सिर्फ यह पूछता हूँ कि तहसीलदार किस बिल्डिंग में रहता है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा उत्तर साफ है, तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के लिए अलहदा क्वार्टर बने हुए हैं मगर इस साल ज्यादा वर्षा होने से तहसीलदार के मकान का पिछला हिस्सा गिर गया, इसलिए तहसील की इमारत के एक हिस्से में तहसीलदार रहने लग गया है, क्योंकि वहाँ और दूसरे मकान का प्रबन्ध फिलहाल नहीं हो सका।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तहसीलदार का मकान किस जगह पर है, तहसील से?

श्री दामोदरलाल व्यास : कस्बा अलीगढ़ में है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कस्बा अलीगढ़ तो लम्बा-चौड़ा है, वह मकान कहाँ ठीक है जहां तहसीलदार रहता है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के अलहदा क्वार्टर हैं। तहसीलदार के मकान का एक हिस्सा अधिक वर्षा से गिर गया, इसलिए वह तहसील की बिल्डिंग में रह रहे हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय मन्त्री हमारे साथ चलें चलकर देखिये, तहसीलदार के रहने के लिए मकान नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सूचना दे रहे हैं। मेरी सूचना तो यह है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय मन्त्री खुद जाकर आये हैं। यह सूचना नहीं है, सच तो बोला करें।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : आपको तो खास-मर्ज है उसके बारे में कहिये। नेक्स्ट क्वश्चन।

राजस्थान निर्माण के पश्चात् जयपुर शहर के समीप काश्त हेतु अलॉट की गई भूमि

३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान बनने के बाद अब तक जयपुर शहर के आस-पास के एरिया में किन किन को काश्त के लिए जमीन अलॉट की गई है?

(ख) खुद काश्त करने वालों को किस किस कदर और दूसरों से काश्त कराने वालों को किस किस कदर दी गई है?

(ग) क्या यह सही है कि काश्त के लिए भूमि लेने वालों की दरख्वास्तें दर्ज रजिस्टर की जाती हैं?

(घ) अगर हाँ, तो क्या जमीन का अलोटमेंट भी सीरियल नम्बर से किया जाता है?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जयपुर शहर के आस-पास के एरिया में १२२२.४ रकबा खुदकाश्त हेतु जागीरदारान को व १३४३.१ रकबा अन्य लोगों को अलोट किया गया है जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विराम)

क्या माननीय सदस्य को सूची की कॉपी मिल गई है ?

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

रावराजा श्री सरदारसिंह : नहीं साहब।

श्री दामोदरलाल व्यास : सूची इस प्रकार है ....

श्री अध्यक्ष : कितनी लम्बी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is quite a long list covering about 2½ pages.

श्री अध्यक्ष : यह बाद में दे दीजियेगा।

श्री मदनसिंह (दांता) : इतनी सूचना तो आप बता दें।

श्री अध्यक्ष : आप उनका जवाब समाप्त होने दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : (ख) केवल खुदकाश्त करने वालों को ही भूमि दी गई है। दूसरों से काश्त कराने वालों को नहीं और किस किस कदर दी गई है इसकी सूचना उपरोक्त सूची में अंकित है।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वह सूचना (सूची) तो मुझे नहीं मिली है, उसके बगैर मैं क्या सप्लीमेंटरी करूँ ? फिर भी मैं यह पूछता हूँ कि किन आधारों पर यह भूमि दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आधार जमीन देने के रूल्स में लिखे हुए हैं, जो गजट में छापा हो चुके हैं। १९५२ के रूल्स हैं, मुलाहिजा कर सकते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनकी एप्लीकेशन्स रजिस्टर की जाती हैं कि नहीं ? की जाती हैं तो सीरियल नम्बर के अनुसार ही जमीन दी जाती है या और तरीके से ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया, "जी हां"। ओन मेरिट्स दी जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मानिकचन्द कोठारी।

ट्रेन्ड मैट्रिक को केवल मिडिल या अन्ट्रेन्ड मैट्रिक का ग्रेड देना

४. **श्री मानिकचन्द कोठारी** (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि ट्रेन्ड मैट्रिक (एस. टी. सी.) अध्यापकों को केवल मिडिल ग्रेड या अन्ट्रेन्ड मैट्रिक का ग्रेड दिया जा रहा है ?

(२) यदि हां, तो ऐसे कितने अध्यापक हैं जिन्हें एस. टी. सी. ट्रेन्ड होने पर भी ट्रेन्ड मैट्रिक का ग्रेड नहीं दिया जा रहा है और क्यों ?

(३) क्या सरकार के ध्यान में है कि केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने ट्रेन्ड मैट्रिक अध्यापक का ५०) रुपये और अन्ट्रेन्ड मैट्रिक का ४०) रुपये मासिक न्यूनतम वेतन निर्धारित किया है ?

(श्री मानिकचन्द कोठारी)

(४) क्या उक्त निर्णय राजस्थान में भी लागू किया गया है ? अगर हां, तो किस तारीख से और नहीं, तो क्यों ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई):

(१) जी हां। यह सत्य है कि कुछ ट्रेन्ड मैट्रिक अध्यापकों को केवल मिडिल ग्रेड व अन्ट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड दिया जाता है, जिसका कारण यह है कि जितने मैट्रिक अध्यापक हर साल ट्रेनिंग पाते हैं, उतने स्थान ट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड के उपलब्ध नहीं होते, इसलिए ऐसे अध्यापकों को उनकी सीनियोरिटी के आधार पर रिक्त स्थानों के मुताबिक हर साल प्रोमोशन दिया जाता है।

(२) यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं है, उप शिक्षाअध्यक्ष से मंगवाई गई है, आने हर प्रेषित कर दी जायेगी।

(३) जी हां।

(४) जी हां, दि० १–३–१९५६ से।

श्री पी. के. चौधरी : Will the Hon'ble Member......

(श्री कोठारी के भी खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : Priority for supplementary will be given to the Hon'ble Member who has placed the question.

श्री मानिकचन्द कोठारी : जिन अध्यापकों को नियमानुसार ५०) रुपये अभी तक वेतन नहीं मिल रहा है उनको ५० रुपया मासिक एरियर सहित दिया जायगा ?

श्री पूनमचन्द : जी हां, एरियर सहित दिया जायगा।

श्री पी. के. चौधरी : Why the strength of trained matric grade teachers is not increased ?

श्री पूनमचन्द : मैंने सुना नहीं, कृपया फिर बोलें।

श्री पी. के. चौधरी : The Hon'ble Member stated that the trained teachers are not given trained matric grade for want of posts. Why the number of trained matric posts is not increased ?

(विराम)

Should I explain to you ?

आपने फरमाया कि.......

श्री पूनमचन्द : I know English, but please speak a bit loudly.

श्री अध्यक्ष : The Hon'ble Member wants to know why the number of posts of trained matriculates cannot be increased ?

श्री पूनमचन्द : Because all the schools of training are B. S. T. S. and they take students who have passed matriculation. Therefore, naturally they have to wait till a vacancy occurs because the sanctioned posts in the trained matric grade are lesser than those who can get training.

श्री पी. के. चौधरी : My question was exactly this; why the number of sanctioned posts is not increased for the trained matriculates ?

श्री पूनमचन्द : This is due to financial conditions and the nature of institutions working.

श्री पी. के. चौधरी : It is not the nature of instiutions, but financial conditions will be given priority today.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जिला टोंक, त० टोडा व दूनी में बन्दोबस्त

५. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट टोंक, तहसील टोडा व दूनी में सेटिलमेंट हो चुका है ? अगर हां, तो क्या उसकी मियाद खतम हो चुकी है ?

(ख) उपरोक्त एरिया यानी खालसा में वक्त सेटिलमेंट किन किन लोगों को लगान में छूट मिलती थी ?

(ग) क्या अब भी वह जारी है ? क्या उपरोक्त एरिया तहसील टोडा का कोई रिवीज़न हो रहा है ? अगर हां, तो पहली दफा या दूसरी दफा ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) जी हां।

(ख) **तहसील दूनी में** : राजपूत, महाजन, ब्राह्मण, नाइयों आदि को।

तहसील टोडा में : राजपूत, महाजन, ब्राह्मण व मुसलमान आदि को।

(ग) जी नहीं।

खालसा एरिया तहसील टोडा का पहली दफा ही रिवीज़न हो रहा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पहले सेटलमेंट में छूट जारी थी तो रिवीज़न नहीं हुआ, फिर भी पहले ही वे रियायतें कैसे बन्द कर दीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ये रियायतें किसी कौम के आधार पर किसी को मिल रही थीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कौम के आधार पर नहीं। जिनको मिलती थीं उनको मिलती थीं। वहां अभी सेटिलमेंट मियाद खतम हो गई कि नहीं ? रिवीज़न वहां पहली दफा हो रहा है, तो फिर रिवीज़न होने से पहले ही बन्द कर दी गई है क्या ? अगर बन्द कर दी गई तो क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किस के मुतअल्लिक सूचना पूछी जा रही है, बतला दें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं किसी पर्टीक्युलर के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, तहसील टोडा के लिए पूछा है। आपने ही राजपूतों का सबसे पहले नाम लिया। आपने कहा कि रिवीज़न दरपेश है, रिवीज़न पूरा नहीं हुआ तो पहले ही सेटलमेंट में जिनको रियायत मिलती थीं वे किन आधारों पर मिलती थीं; वे क्यों बन्द कर दीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने राजपूत, ब्राह्मण, नाई वगैरह सबका कहा है। आपको याद होगा कि जिस समय टीनेन्सी एक्ट पास किया उस समय यह था कि जिन लोगों को कौम की वजह से रियायत मिलती है वह अब नहीं मिलेगी। अब चूंकि टीनेन्सी एक्ट बन गया है इसलिए नाई, ब्राह्मण आदि जो भी कौम की वजह से किसी प्रकार की रियायत पाते थे, वे बन्द हो गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जो हकदार थे उनसे हक छीन लिया गया और जो ब्राह्मण थे उनका अभी तक जारी है, इसका क्या कारण है ?

Page No.6

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आपकी सूचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कानून सबके लिए समान है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कानून लागू करने में अक्लमन्दी बर्ती जाती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

त० जायल (जिला नागौर) में तारघर एवं टेलीफोन की व्यवस्था

६. **श्री मानिकचन्द कोठारी** (जायल) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि नागौर जिले की जायल तहसील में कहीं भी तार-घर या टेलीफोन नहीं हैं ?

(२) राजस्थान में ऐसी कितनी तह-सीलें हैं जहां उपरोक्त सुविधा बिल्कुल प्राप्त नहीं है तथा सरकार इन तहसीलों में तार एवं फोन की व्यवस्था हेतु क्या प्रबन्ध कर रही है ?

(श्री मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में गृह मन्त्री) श्री रामकिशोर व्यास :

(१) जी हां।

(२) समूचे राजस्थान की केवल १२ तहसीलों में ही तारघर की सुविधा नहीं है। संचालक, डाक व तार विभाग, राज-स्थान, जयपुर इस प्रकार की सुविधा इन तहसीलों में कार्यान्वित करने में प्रयत्न-शील हैं और यह प्रश्न उनके विचाराधीन है। फोन की सुविधा तहसीलों में कहीं भी नहीं है क्योंकि छोटे स्थानों में जहां पर आमदनी कम हो, ऐसी सुविधा देना डाकतार विभाग के नियम में नहीं आता है। तथापि इन स्थानों में पब्लिक कॉल ऑफिसेज स्थापित किये जाने की बात चल रही है।

(३) जी हां।

श्री मानिकचन्द कोठारी : यह उत्तर सुनाई नहीं दिया, साहब !

श्री अध्यक्ष : आप जरा आगे आकर बैठ जाइये।

श्री रामकिशोर व्यास : आप जरा जोर से फरमाइये, मैं सुन लूं।

श्री मानिकचन्द कोठारी : मैंने कहा कि आपका उत्तर सुना नहीं गया।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं इसको रिपीट कर देता हूं।

(१) जी हां।

(२) समूचे राजस्थान की केवल १२ तहसीलों में ही तारघर की सुविधा नहीं है। संचालक, डाक व तार विभाग, राजस्थान, जयपुर इस प्रकार की सुविधा इन तहसीलों में कार्यान्वित करने में प्रयत्नशील हैं और यह प्रश्न उनके विचाराधीन है। फोन की सुविधा तहसीलों में कहीं भी नहीं है क्योंकि छोटे स्थानों में जहां पर आमदनी कम हो ऐसी सुविधा देना डाक-तार विभाग के नियम में नहीं आता है। तथापि इन स्थानों में पब्लिक-कॉल ऑफिसेज स्थापित किये जाने की बात चल रही है।

(३) जी हां।

श्री मानिकचन्द कोठारी : यह तहसील हैडक्वार्टर की बात नहीं है, मगर सारी तहसील में कोई तार एवं फोन की व्यवस्था नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपसे निवेदन किया कि १२ तहसीलें ऐसी हैं जिनमें

(श्री रामकिशोर व्यास)

व्यवस्था नहीं है। मगर यह प्रश्न विचारा-धीन है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जागीर परामर्शदात्री समितियां एवं उनके सदस्य तथा कार्य

७. **रावराजा श्री सरदारसिंह :** क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में डिविजन और डिस्ट्रिक्ट वाइज कहां कहां जागीर एडवा-इज़री कमेटियां नियुक्त हैं ?

(ख) उपरोक्त कमेटियां कब मुकर्रर हुई थीं और उनके कौन कौन मेम्बर हैं तथा क्या क्या फन्क्शन्स हैं ?

(ग) मेम्बरों की नियुक्ति किन किन आधारों पर की जाती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) राजस्थान के समस्त डिवि-ज़नों में डिविज़नल एडवाइज़री कमेटियां हैं और अलवर, भरतपुर, जैसलमेर एवं गंगा-नगर जिलों को छोडकर शेष सब जिलों में जागीर एडवाइज़री कमेटियां हैं।

(ख) राजकीय विज्ञप्ति संख्या एफ. ४(५८४) रे० क० । ५४ दिनांक २३-१०-५४ १३००२। एफ १:१३६ रा० क०। ५७ दिनांक २०-७-५७ के तहत जागीर एडवाइ-ज़री कमेटियां स्थापित हुई हैं और उनके सदस्यों के नामों की सूची एवं फन्क्शन्स की सूचना संलग्न है।

(ग) डिविज़नल कमिश्नर की सिफा-रिश पर जागीरदारों में से मेम्बरों की नियुक्ति की जाती है और उनके फन्क्शन्स संलग्न पत्र में अंकित हैं।

(घ) जी नहीं। कमेटियों की स्थापना से परिणाम संतोषप्रद रहा है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप सूची पढ़ कर सुना दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं हर जिले की बताऊँ या आपके डिविज़न की ही आप चाहते हैं ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप सब की बता दें ताकि सब लोग सुन लेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, माननीय अध्यक्ष।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपको तकलीफ होगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार निम्नलिखित जिलों में जिला जागीर परामर्श दात्री समितियां स्थापित करने की व इन समितियों के निम्न सदस्य मनोनीत करने की स्वीकृति प्रदान करती है :

अजमेर

१. अजमेर : श्री गजराजसिंह जी, भूतपूर्व इस्त-मरारदार सावर।
श्री यूसुफअली खां, भूतपूर्व इस्त-मरारदार डडियाना।

२. जयपुर : श्री कुंवर तेजसिंह जी बागावास।
श्री कुंवर उम्मेदसिंहजी अगवाड़ा

३. सीकर : श्रीसुरेन्द्रसिंहजी, जा० खाचरियावास,
श्री कर्नल हनुमानसिंह जी, सरवारी।

४. सवाईमाधोपुर : मेजर रामसिंह जी घिरोली।
ठा० दिलीपसिंहजी जा० रामगढ़

(श्री दामोदरलाल व्यास)

५. झुंझुनू : श्री हरिसिंह जी बनाना ।

६. टोंक : श्री सरदार मोहम्मद खां, रासौन. तहसील टोंक ।

श्री दूलेसिंह जा० पावड़ी, तहसील दूनी ।

बीकानेर

१. बीकानेर : श्री रघुवीरसिंह जी जागीरदार महाजन ।

श्री दीपसिंह जी जागीर कुबौर आगूनी ।

२. चूरू : श्री कुशलसिंह जी जागीरदार राजपुरा ।

श्री प्रतापसिंह जी पड़िहार ।

जोधपुर

१. जोधपुर : श्री कालूसिंह जी, साथीन ।

श्री रतनसिंहजी भीकमकौर ।

२. नागौर : श्री भोपालसिंह जी एम० एल० ए०, गोठरा ।

श्री कुंवर दिलीपसिंहजी, बडू.

३. जालौर : श्री माधोसिंह जी एम० एल०ए० भैंसवाड़ा ।

श्री जालमसिंह बाकरा ।

४. सिरोही : श्री ठाकुर बलवन्तसिंह जी, पाडी तहसील सिरोही ।

श्री कुंवर दलपतसिंह जी, रोहू तहसील रेवादौर ।

५. पाली : श्री कुंवर जवरसिंह जी हाजिवास, जैतारण

श्री छत्रसिंहजी विसलपुर (बाली)

६. बाडमेर : श्री राव बहादुर राव जोरावरसिंह ऑफ जसोल ।

श्री राव शेरसिंह ऑफ कल्याणपुर

कोटा

१. कोटा : श्री अमरसिंहजी कचनावदा तहसील इन्द्रगढ़

श्री उमरावसिंह जी छापोल नायब तहसील इन्द्रगढ़ ।

२. झालावाड़ : श्री मायाशादीलाल जी, भूतपूर्व दीवान झालावाड़

श्री भीमसिंहजी, भूतपूर्व दीवान झालावाड़

३. बूंदी : श्री शंभूनाथजी कनकपुरा ।

श्री किशनगोपालजी पीतामपुर ।

उदयपुर

१. उदयपुर : श्री सांवतसिंहजी चौहान बनेडिया ।

श्री विजयसिंह जी एम. ए. मौजा सीसली, तहसील नाथद्वारा

२. डूँगरपुर : श्री करणसिंह जी सीमलवाड़ा डूंगरपुर ।

श्री रणजीतसिंह जी खण्डासा डूंगरपुर ।

३. बांसवाड़ा : श्री लालसिंह जी बांसवाड़ा ।

श्री यज्ञनारायणजी मोहकमपुरा ।

४. चित्तौड़गढ़ : श्री कुंवर रघुनाथसिंह जी मेहता ।

श्री बलवन्तसिंहजी चौगावड़ी ।

५. भीलवाड़ा : श्री मनमथसिंह जी, पानसल ।

श्री रामसिंह जी, खैराबाद ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैंने यह पूछा कि उनके फंक्शन्स क्या हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको बतला दिया कि यह विज्ञप्ति फलाँ फलाँ

Page No.9

(श्री दामोदरलाल व्यास)

तारीख में निकल चुकी है और वह गजट में छप चुका है और हर एक सदस्य को गजट मिलता है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या वह सालाना कार्य करने की अपनी कोई रिपोर्ट छपाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो फिर हमें क्या मालूम हो सकता है कि वह कमेटी कोई काम करती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : काम करती है वह सामने आता है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : हम यह पूछना चाहते हैं कि क्या काम करती है ? गजट में नाम छपे हैं क्योंकि एस्टीमेट कमेटी भी जो काम करती है वह छपाती है कि उसने क्या काम किया ?

श्री मदनसिंह (दांता) : उनका प्रश्न यह था कि वह क्या क्या काम करती है एड-वाइज़ देने के अलावा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : सुनिये मैं आपको बताता हूं :

"The functions of the Divisional advisory commitees will be to advise Government on the following matters relating to resumption of Jagirs in the divisions:-

(1) Ways and means of expediting payment of compensation and interim compensation to Jagirdars.

(2) Principles according to which modifications in the amount of maintenance to holders of such allowances under section 27 of the Act may be made by the Jagir Commissioner.

(3) Cases of remittance of loans or other dues taken for the development of Jagir lands. Provided that the Finance Secretary shall be consulted before considering remittance cases.

(4) The rights of co-sharers of Jagirs in the amount of compensation.

(5) To advise the Government in doubtful cases relating to private properties mentioned in Section 23 of the Act.

(6) To advise the Government on such other matters as may be referred to the Committee from time to time."

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरा यह निवेदन है कि गवर्नमेंट को उन्होंने क्या एड-वाइज़ की और उनकी कितने मामलों में एडवाइज़ मानी गई और नहीं मानी गई, तो क्यों ? एडवाइज़री कमेटी क्या काम करती है?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस कमेटी के चीफ मिनिस्टर और रेवेन्यु मिनिस्टर भी सदस्य हैं और जो फैसला होता है गवर्नमेंट उस पर ध्यान देती है ।

श्री पी० के० चौधरी : In how many cases in every area they have submitted their advice ? What is the percentage of the cases in which the Committee has

Page No.10

(श्री पी० के० चौधरी)

submitted its advice to the Government and what is the percentage of cases in which its advice has been accepted by the Government?

श्री दामोदरलाल व्यास : Indiaidual cases are not considered by the Government, e. g. cases relating to compensation, inrerim compensation and all cases arising in accordance with the provisions of Section 23 of the Act.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

मूंडवा (जिला नागौर) में गोटन जैसे लाइम स्टोन की उपलब्धि

८. **श्री मानिकचन्द कोठारी** (जायल) : क्या खनिज मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि नागौर जिले में मूंडवा कस्बे मे गोटन जैसा लाइम-स्टोन उपलब्ध है? यदि हां, तो वे खानें चालू हैं या बन्द हैं?

(२) अगर बन्द हैं तो कब से और क्यों?

(३) क्या सरकार द्वारा उक्त खानें शीघ्र ही चालू किये जाने की व्यवस्था की जायेगी?

उप खनिज मंत्री (श्री ऋखबचन्द धारीवाल) : (१) नागौर जिले के मूंडवा कस्बे मे गोटन जैसा लाइम स्टोन उपलब्ध है। ये खानें इस वक्त बन्द हैं।

(२) वे खानें दिनांक १-३-५१ से बन्द हैं क्योंकि उस समय इस खनिज को ठेके पर देने के कोई नियम नहीं थे। यह क्षेत्र सन् १६५४ तक किसी को न दिया जा सका। सन् १६५४ में विन्धियन लाइम-स्टोन रूल्स बने जिनके अनुसार इस क्षेत्र में १० मील से कम का ठेका नहीं दिया जा सकता था। क्योंकि किसी ने १० मील का ठेका लेने का प्रार्थना-पत्र नहीं दिया अतः ठेका नहीं दिया जा सका। सन् १६५५ में माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स बने जिस पर प्रार्थना-पत्र मांगे गये किन्तु उपयुक्त डेड रेन्ट न देने से यह क्षेत्र खाली रहा।

(३) मूंडवे में खान का ठेका दिये जाने की कार्यवाही जारी है और शीघ्र ही उसका ठेका देने की व्यवस्था की जावेगी।

श्री परसराम : जब कि लाइम स्टोन....

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द कोठारी को पहले प्रश्न पूछ लेने दीजिये।

श्री मानिकचन्द कोठारी : सन् १६५५ में कितना रेन्ट चाहिये था जिससे ठेका नहीं दिया जा सका?

श्री ऋखबचन्द धारीवाल : जरा फिर कहिये, मैंने सुना नहीं।

श्री मानिकचन्द कोठारी : सन् १६५५ में कितना रेन्ट चाहिये था जिससे ठेका नहीं दिया जा सका?

श्री ऋखबचन्द धारीवाल : गोटन लाइम का जो ठेका दिया गया था वह ६४ हजार रुपया १० स्क्वायर माइल के लिए दिया गया था और गोटन लाइम का एरिया १५ स्क्वायर माइल था इसलिए उसी के अनुसार ६० हजार रुपया सालाना डैड रेन्ट लिया जा रहा है। १० स्क्वायर माइल का उसी के अनुपात से, यानी ६४ हजार रुपया

Page No.11

(श्री ऋखबचन्द धारीवाल)

कोई आदमी देने के लिए तैयार हो तो १० मील वहां मूंडवा के अन्दर भी ठेका दिये जाने के ऊपर विचार किया जा सकता था। इसलिये इसके ऊपर कुछ कार्यवाही जारी है और जल्दी ही व्यवस्था हो जायेगी।

श्री मानिकचन्द कोठारी : अगर ६४ हजार का ठेका नहीं आया तो नहीं दिया जायगा ?

श्री ऋखबचन्द धारीवाल : क्योंकि पहले विन्ध्यन लाइम रूल्स के अनुसार १० मील से कम का नहीं दिया गया था और अगर कम की रकम दी जाती है तो ऐसी अवस्था में दूसरे जो आदमी हैं जो कि ऐसा काम कर रहे हैं उनको नुकसान होता है और इसलिए उनका इस प्रकार से नुकसान न हो और बिला वजह उनका जो काम चल रहा है वह न रुके और ठीक प्रकार से चले इसलिये कोशिश यही की जा रही है कि उतनी रकम आ जाये।

श्री मानिकचन्द कोठारी : क्या सरकार वहां के मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रेक्ट रखने की कोशिश करेगी और केवल बड़े बड़े ठेकेदारों का ही ध्यान नहीं रखेगी ?

श्री ऋखबचन्द धारीवाल : सरकार किसी को यह नहीं कहती कि अमुक आदमी दरख्वास्त दे, दर्ख्वास्त कोई भी दे सकता है। मजदूर भी दर्ख्वास्त देंगे तो उस पर भी विचार किया जायगा।

श्री मानिकचन्द कोठारी : दर्ख्वास्त की बात नहीं है। बात यह है कि एक बड़े ठेकेदार को नुकसान होता है कम ठेका देने से तो वहां के मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए जितना भी ठेका मिल रहा है उस ठेके को सरकार मजदूरों को देने में तत्पर होगी या नहीं ?

श्री ऋखबचन्द धारीवाल : मैंने आपसे निवेदन किया कि एक इन्डस्ट्री जो चल रही है अगर उसमें कोई कम्पीटीशन या इस से कम ठेके पर मांग की जाती है तो वहां कम्पीटीशन होता है और कम्पीटीशन होने से वहां काम नहीं चल सकेगा और इस तरह न तो वहां मजदूर ही काम चला सकेंगे और न ही वह ठेकेदार ही काम चला सकेंगे। इसी वजह से कि बराबर डैड रेन्ट दोनों का मिल जाये, ऐसी अवस्था में, दोनों ही, चाहे एक हो या दो हों या चार हों वे बराबर काम करते रहें और उनमें आपस में कट थ्रोट कम्पीटीशन न हो।

श्री किशनलाल शाह : जो क्षेत्रफल है वह कितना है और क्या इसके लिये टेन्डर आये थे ? क्योंकि उसकी पहले से ही बहुत शिकायत है ?

श्री ऋखबचन्द धारीवाल : मूंडवा में कुल क्षेत्रफल जिसमें कि लाइम स्टोन उपलब्ध होता है, यह नहीं बताया जा सकता क्योंकि इसके एरिया का हिसाब सरकार द्वारा नहीं किया गया है। पार्टीज़ आती हैं, दरख्वास्त देते हैं कि हमको अमुक एरिया चाहिये और उनको एरिया उसी चीज पर दिया जाता है।

श्री किशनलाल शाह : तो जो एरिया निश्चित है उसका क्या आधार रहता है ?

श्री ऋखबचन्द धारीवाल : यह तो मैंने आपसे निवेदन किया कि वह विंध्यन लाइम स्टोन रूल्स के मुताबिक १० स्क्वायर मील से कम का ठेका नहीं दिया जा सकता था; अब

(श्री ऋखबचन्द धारीवाल)

सन् १६५५ में, चूंकि दूसरे माईनर मिनरल कन्सेशन रूल्स बने हैं ऐसी अवस्था में यह देखना है कि पहले विंधयन लाइम स्टोन रूल्स के अनुसार जो एरिया a दे दिया गया था उससे कम के देने से जो इन्डस्ट्री चल रही है वह बिलकुल बरबाद तो न हो जायगी; इस दृष्टि से कार्यवाही हो रही है।

श्री किशनलाल शाह : क्षेत्रफल निश्चित नहीं है तो फिर कम का ठेका क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री अध्यक्ष : कम्पीटीशन अवॉइड करने के लिए।

श्री पी० के चौधरी : ६४ हजार रुपये में जो ठेका दिया गया तो उसमें कितने ठेकेदार हैं ?

श्री ऋखबचन्द धारीवाल : जरा फिर कहिये।

श्री पी० के० चौधरी : ६४ हजार रुपये में जो ठेका दिया गया तो उसमें कितने ठेकेदार हैं ?

श्री ऋखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया है कि पहले जो दरख्वास्त थी वह ६४ हजार से कम की आई थी और अभी एक आदमी ने ६४ हजार रुपये लगाये थे; उसकी कार्यवाही जारी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जागीर पुनर्ग्रहण के अन्तर्गत जागीरदारों के प्रस्तुत दावे एवं उनके निर्णय

६. **रावराजा श्री सरदारसिंह :** (उनियारा) क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) जागीर पुनर्ग्रहण के तहत अब तक जागीरदारों के कितने कितने दावे प्रस्तुत हो चुके हैं तथा उनमें से कितने तय हो चुके हैं और कितने बाकी हैं ?

(ख) क्या जो तय हो चुके उनके बोन्ड बन चुके हैं ?

(ग) अगर हां, तो किस किस को मिल चुके हैं और कितने बाकी हैं व बाकी रहने के क्या कारण हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि जागीरदारान के अन्तरकालीन मुआवजे और रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट में से कोई बकाया की रकम रोक ली जाती है ?

(ङ) अगर हां, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) ५०२८ दावे पेश हो चुके हैं। ३५२ तय हुए हैं तथा ४६७६ दावे बाकी हैं।

(ख) जिन्होंने बोंड्स में मुआवजा लेना स्वीकार किया है उनके बोंड्स का इन्डेंट (प्रायः सब ही का) रिज़र्व बैंक को भेज दिया गया है, वहां से आने पर ज्यों ज्यों जागीरदार लेने आते जाते हैं उन्हें तक्सीम हो जाते हैं।

(ग) इसकी सूचना संलग्न सूचि में उपलब्ध है और शेष को बोंड्स मिलना बाकी है। इसका कारण प्रश्न के खण्ड (ख) में दिया जा चुका है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(घ) चूंकि एक्ट के अनुसार मुआवजा एवं पुनर्स्थापन अनुदान में से कर्जा काटा जा सकता है अतः जहां कर्जा की कुल देय मुआवजा एवं पुनर्स्थापन अनुदान के १।४ से अधिक होती है वहां अन्तर्कालीन मुआवजा की पहली किश्त में से १।१० रकम एवं दूसरी व तीसरी किश्त में से १।१५ रकम रोकी जाती है यानी शॉर्ट पेमेंट किया जाता है जो कि उचित ही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कितना अमाउन्ट बच चुका है और कितना इश्यू हो चुका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जवाब दिया है कि ३५२ दावे तय हो चुके हैं और जो जागीरदार लेना चाहते हैं वे रिज़र्व बैंक जाकर ले आते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने तो यह कहा है कि बैंक को भेजा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ३५२ दावे तय हो चुके हैं जिनके कि बोंड्स रिज़र्व बैंक में भेज दिये गये हैं, वहां से जागीरदार लेने के लिये जाते हैं उनको रुपया मिल जाता है; यानी जो ३५२ दावे तय हुए हैं उनके बोंड्स दिये जा रहे हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मुआवजे में से जो कर्जा काटा जाता है यह किस आधार पर काटा जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कानून के आधार पर।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या आपने इसके लिये जनरल रूल्स बना रखे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको कहा है न कि कर्जा कानून के आधार पर ही काटा जाता है, आप रूल्स को पढ़ लीजिये। जितना कर्जा होता है वह अगर अनुदान की रकम के १।४ से अधिक है तो अन्तर्कालीन मुआवजे की पहली किश्त में से १।१० और दूसरी व तीसरी किश्त में से १।१५ रकम काट ली जाती है।

श्री अध्यक्ष : वह तो कानून में है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि जिसके ऊपर कर्जा होता है वह कर्जा सर्टीफिकेट आने के बाद में कमीशन से काटा जाता है या फिर यह आधार बना लिया जाता है कि फलां कर्जा है वह काट लिया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके लिए रूल्स बने हुए हैं। मैं आपकी तवज्जोह रूल्स की तरफ दिलाता हूँ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह कर्जा रिहेबीलिटेशन ग्रान्ट में से काटा जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां कर्जे की कुल देय मुआवजा एवं पुनर्स्थापना अनुदान के १/४ से अधिक होती है वहां अन्तर्कालीन मुआवजे की पहली किश्त में से १/१० रकम एवं दूसरी व तीसरी किश्त में से १/१५ रकम रोकी जाती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप क्या यह सही मानते हैं कि रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट में से भी काट लिया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो कानून है मैं उसकी बात बता रहा हूँ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जोशी फोर्मूला है क्या ?

प्रश्न संख्या १०

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सतवंतकौर।

जिला गंगानगर में मुसलमानों की हिन्दुओं व सिक्खों के पास गिरवी पड़ी भूमियों की नीलामी

११. श्रीमती सतवंतकौर : (करनपुर) क्या पुनर्स्थापन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) जिला गंगानगर में मुसलमानों की

(श्रीमती सतवंतकौर)

जो भूमि हिन्दुओं और सिक्खों के पास गिरवी थी, वह कितनी, कब और कितने रुपये में नीलाम हुई ?

(ख) उपरोक्त नीलाम शुदाभूमि में से कितनी जमीन का कब्जा बोली देने वालों को दे दिया गया तथा कितनी का अभी तक देना बाकी है ?

(ग) कितनी भूमि का कागजात माल में बोली देने वालों के नाम इन्दराज कर दिया गया और कितनी अभी बाकी है ?

(घ) जिनको आज तक कब्जा नहीं दिया गया या कागजात माल में इन्दराज नहीं किया गया उसका क्या कारण है ?

पुनर्स्थापन मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) ३४३६ बीघा; १ बिसवा भूमि १७५ बोली लगाने वालों को सन् १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में १२,६७,२६२ रुपये में नीलाम हुई।

(ख) १४१ बोली देने वालों को कब्जा दे दिया गया और ३४ को कब्जा देना अभी बाकी है।

(ग) १४१ बोली देने वालों के नाम कागजात माल में इन्दराज कर दिये गये और ३४ के इन्दराज होने बाकी हैं।

(घ) कारण यह है कि ३४ में से ३३ बोली देने वालों ने अभी तक पूरी रकम जमा नहीं कराई है और १ की अपील भारत सरकार के विचाराधीन है।

श्री धर्मपाल : जिन लोगों को कब्जा नहीं मिला है उनको कब मिल जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जवाब अगर आप सुनें तो आपको मालूम हो जायगा। मैंने यह अर्ज किया कि १४१ बोली देने वालों को कब्जा दे दिया गया और ३४ को कब्जा देना बाकी है और उसका कारण यह है कि इन्होंने पैसा जमा नहीं कराया है। अगर यह पूरी रकम जमा करा देंगे तो इनको भी कब्जा मिल जायेगा।

प्रश्न संख्या १२

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सतवंतकौर।

गंगानगर-पदमपुर होती हुई हिन्दूमल कोट से रायसिंहनगर तक की सड़क में आई हुई भूमियों के मुआवजे

१३. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

हिन्दूमल कोट से रायसिंहनगर तक जो सड़क गंगानगर-पदमपुर होती हुई जाती है, उस सड़क में कितनी सरकारी और कितनी किसानों की भूमि आई है तथा उसमें से कितनी भूमि का मुआवजा किसानों को अदा कर दिया गया है एवं आज तक मुआवजा अदा नहीं किया गया है, वह कब अदा किया जायेगा और आज तक मुआवजे न देने के कारण उन्हें जो नुकसान हुआ है उसके बदले में क्या सरकार कुछ और मुआवजा देने का विचार रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): इस प्रश्न का सम्बन्ध निर्माण मन्त्री से है, अतः वे इसका जवाब अपनी टर्न पर देंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो

Page No.15

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

कोई भी प्रश्न हम यहां भेजते हैं वे हमारी कोन्स्टीट्यु निसीज़ के लोगों के दुःखदर्द के होते हैं, जिनका जवाब नहीं दिया जाता है तो आप ही इसका निर्णय कर दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने, अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं कहा कि इसका जवाब नहीं दिया जायगा। इस प्रश्न का जवाब निर्माण मन्त्री जी अपनी टर्न पर देंगे। आप को दुबारा प्रश्न नहीं भेजना होगा।

एक माननीय सदस्य : क्या यह समझा जाय कि निर्माण मन्त्री जी के आने पर ही इसका जवाब दिया जायगा ?

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सड़क बनाने के काम का जहां तक ताल्लुक है वह तो निर्माण विभाग से है, लेकिन जहां तक मुआवजा देने का सम्बन्ध है वह तो राजस्व विभाग के अन्तर्गत है, इसका जवाब तो राजस्व मन्त्री जी दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह भी उसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मुआवजा चुकाने का भी सम्बन्ध राजस्व विभाग से नहीं है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वे ही इसको डील विद् करते हैं।

सरकार द्वारा सन् १९५७-५८ में स्कूलें खोलने की योजना

१४. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या शिक्षा मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५७-५८ में सरकार की कितने नये स्कूल खोलने की योजना है तथा कितने प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में, मिडिल स्कूल हाई स्कूल में, हाई स्कूल इन्टरमीडियेट कालेज तथा इन्टरमिडियेट कॉलेज डिग्री कालेज में कहां कहां और किस किस डिस्ट्रिक्ट में परिवर्तित किये जायेंगे ?

(२) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहां कहां और कितनी कितनी नई स्कूलों की इमारतें तामीर कराई जावेगी ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) :

(१) निम्नलिखित स्कूलें खोली जाने की योजना है :

नये प्राइमरी स्कूल	६००
मिडिल स्कूल बनाना	१००
हायर सेकेन्डरी स्कूल बनाना	२५
डिग्री कॉलेज बनाना	२

ये स्कूलें कहां कहां और किस किस जिले में परिवर्तित किये जावेंगे उसकी सूची सदस्य महोदय की जानकारी के लिए सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

(२) कुल मिलाकर पंचवर्षीय योजना में स्कूलों के लिए बिल्डिंग बनाये जाने के बारे में अभी तक पूर्णतया तय नहीं किया है चुंकि मकान बनाने की योजना प्रतिवर्ष बनती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई तो क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह तैयार होगी ?

श्री महेन्द्रसिंह : क्या डिग्री कॉलेज धौलपुर में भी खुलेगा ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अभी तक निर्णय इस सम्बन्ध में पुख्ता नहीं हो पाया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में टोंक डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहां स्कूलें खोली जायेंगी ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसमें ऐसा है कि स्कूलें और कॉलेजेज़ बनाना होता है उसकी योजना एक साथ नहीं बन सकती है। द्वितीय पच वर्षीय योजना के पहले दो सालों में जहां जहां स्कूलें बननी थीं वे बन चुकीं, इसके अलावा आगे के तीन सालों की योजना बाकी है उसके लिए निश्चय नहीं किया है। पिछले साल में जितनी स्कूलें बननी थीं वे बन चुकीं, लेकिन आने वाले सालों में फलां फलां जगह स्कूलें बनेंगीं, उसकी योजना तय नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा है कि कई जगह के लोग स्कूल बिल्डिंग के लिये डोनेट करते हैं, कई लोग अपने आइडिया को ड्रोप कर देते हैं, इसलिए ये चीजें अनसर्टेन हैं कि हम कहां कहां स्कूल बना रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : Has the Government got a plan for educational development or not ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : Government has got a development plan of Rajasthan.

श्री श्रीभानसिंह : Is it not specified, where these 600 schools will be opened in Rajasthan ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : They have already been opened.

श्री श्रीभानसिंह : At which places ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : There are 600 different places and if the Hon'ble Memder wants we can place a copy on the Table.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Member is askingab out the future plan of education,

श्री पूनमचन्द विश्नोई : It is not for the number 600, as it is for the year 1957-58 and not for the next years becausae in the plan period we shall be opening about 5000 primary schools.

श्री मदनसिंह दांता : क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि जिस कॉन्स्टीट्यूएन्सी से आप आये हैं वहां इस योजना में कितनी स्कूलें बनी हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

पटेलों व नम्बरदारों को लगान वसूली का प्रतिशत कमीशन के रूप में

१५. **श्री सज्जनसिंह** : (बूंदी) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पटेलों व नम्बरदारों को लगान वसूली के लिए क्या सरकारी लगान का कोई प्रतिशत कमीशन दिया जाना कानूनन निश्चित है ?

(२) यदि हां तो कितना ?

(३) क्या उपरोक्त कमीशन टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के बाद भी दिया जा रहा है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : (१) यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

(२) व (३) प्रश्न नहीं उठता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह बात सही है कि डिस्ट्रिक्ट में जो रेवेन्यु कलेक्ट नम्बरदार करते हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बात यह है कि अलग अलग युनिट्स में अलग अलग कायदे बने हुए हैं, वे ही अब तक चले आ रहे हैं। अलबत्ता जयपुर युनिट में पटेलों को दो साल से मुआवजा नहीं मिल रहा है इसलिए कि हाईकोर्ट से जो निर्णय हुआ है मुआवजा आदि वसूली के बारे में, उसको अलट्रा वायर्स करार दे दिया है। अब लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की तहत रूल्स बनाये जा रहे हैं जो सभी जगह समान रूप से लागू होंगे।

श्री सज्जनसिंह ; अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पेसिफिक है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कानून से कमीशन दिया जाना निश्चित है क्या, इसका उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने नहीं दिया। अगर कानूनन यह निश्चित है तो फिर विचाराधीन क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कानूनन पटेलों की नियुक्ति करना, मुआवजा देना निश्चित है, लेकिन लैन्ड रेवेन्यु एक्ट की तहत कितना देना आदि के रूल्स बनाये जा रहे हैं; यह विचाराधीन है।

श्री सज्जनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब आप नम्बरदारों और पटेलों से ड्यूटी ले रहे हैं और उनके मुआवजे और कमीशन का फैसला नहीं कर पा रहे हैं दो-ढ़ाई वर्ष हो गये, इसका कारण क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप यदि मेरा पूरा जवाब सुन लेते तो शायद यह प्रश्न आपको करने की आवश्यकता नहीं रहती। मैंने अपने जवाब में कहा था कि अलग अलग युनिट्स में अलग कायदे बने हुए हैं, उसके मुताबिक उनको मिल रहा है। इस बारे में राजस्थान में युनिफोर्मिटी नहीं है। सिर्फ जयपुर डिवीज़न में नहीं मिल रहा है, बाकी सभी जगह मिल रहा है, जो कुछ भी रियायतें थीं वे बदस्तूर हैं।

श्री मदनसिंह दांता : क्या यह सही है कि दांता-रामगढ़ के नम्बरदारों और पटेलों को भी कुछ नहीं मिलता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दांता-रामगढ़ भी जयपुर युनिट में है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जयपुर यूनिट के साथ यह नाराजगी क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हाई कोर्ट के फैसले के कारण।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है कि पाली तहसील में मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट के लागू होते हुए भी वहां के नम्बरदारों को कुछ नहीं मिल रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जोधपुर यूनिट में मुआवजा जो दिया जाता था वह एक सवाय लाग के रूप में जो वसूल की जाती है उसमें से पटेलों को मुआवजा दिया जाया करता था। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद कुछ लोगों ने देना बन्द कर दिया है। अब लैन्ड रेवेन्यु एक्ट की तहत रूल्स बनाये जा रहे हैं।

श्री मनोहर कोठारी : क्या उदयपुर डिवीज़न में मिल रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हां, मिल रहा है।

एक माननीय सदस्य : बूंदी जिले में कोटा वसूल करते हैं और जमा भी कराते हैं,

(एक माननीय सदस्य)

लेकिन कई जगह पैसा मिलता है और कई जगह नहीं; इस संबन्ध में कानून कब तक बन जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि कानून तो बन गया है, नियम बन रहे हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : क्या आप डेफीनिट डेट बतायेंगे जिसमें नियम बन जायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बहुत जल्दी ।

श्री सज्जनसिंह : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, जब उनसे काम लिया जा रहा है और कमीशन नहीं दिया जा रहा है तो जब तक आप नियम नहीं बना लेते हैं तब तक क्या उनसे वसूली का काम नहीं लिया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिनसे काम लिया जा रहा है और उनको कमीशन नहीं मिल रहा है तो मिलेगा ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में यह शिकायत है कि पटवारी लोग रुपया वसूल करके पटेलों को दे देते हैं और पटेल जाकर तहसीलों में जमा करवाते हैं, वहां पचास-पचास और चालीस-चालीस रुपया जमा कराने के ऊपर कुछ रुपया किसानों से ले लेते हैं, यहां तक कि दो-दो, तीन-तीन और चार-चार रुपया तक ले लेते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : पटेलों और चौधरियों को कमीशन देने की कोई पंच वर्षीय योजना बनाई जा रही है क्या ?

प्रश्न संख्या १६ व १७

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

डिस्ट्रिक्ट टोंक में ग्राम वाइज़ सन् १६५६-५७ में समाज कल्याण हेतु वितरित रकम

१८. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) डिस्ट्रिक्ट टोंक में तहसील व ग्राम वाइज़ समाज कल्याण हेतु सन् १६५६-५७ में कितनी कितनी रकम वितरित की गई है ?

(ख) क्या तहसील उनियारा, ग्राम उनियारा में हरिजन कोलोनी के सुधार के लिए कोई रकम दी गई है ? अगर हां, तो कितनी ?

(ग) क्या यह सही है कि हर साल उक्त हरिजन कोलोनी में जल भर जाने से अत्यंत कष्ट रहता है ?

(घ) क्या यह भी सही है कि तारीख २० से २५ जुलाई को कस्बा उनियारा की हरिजन बस्ती में अतिवृष्टि के कारण मकानात गिर गये ?

(ङ) अगर हां, हो किन किन का कितना कितना नुकसान हुआ तथा सरकार की ओर से उन्हें क्या सहायता दी गई ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : सन् १६५६-५७ में जिला टोंक में समाज कल्याण हेतु १३१७३ रुपया वितरित किया गया ।

टोंक में २२००

निवाई में १०० शेष रकम ६७३ रुपया छात्रवृत्ति के लिए दिया गया जिसका ग्रामवार हिसाब नहीं रखा जाता ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : हिसाब नहीं रखने का कारण क्या है ?

Page No.19

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : गांववार नहीं रक्खा जाता है। कठिन होता है इसलिए कि लड़के एक जगह रहते हैं, दूसरी जगह पढ़ते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने यह बताया कि टोंक में १३ हजार रुपये दिये और मैंने सवाल किया कि उणियारा में कितने दिये, इसका जवाब नहीं दिया। इसको क्यों भूल जाते हैं। इतनी क्या नाराजगी है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नाराजगी का कोई सवाल नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : फिर उणियारा का नाम क्यों नहीं लिया गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नहीं दिया गया इसलिए कि उसका नाम नहीं लिया गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सूची में दर्ज है कि उणियारा में हरिजन कोलोनी में बहुत नुकसान हुआ। जब नुकसान एड-मिट करते हैं तो सहायता क्यों नहीं दी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उणियारा में नुकसान हुआ ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : हां, सूची में आपने लिखा है ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : अब ध्यान रखिये उणियारा का।

(हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह : अब ध्यान रक्खेंगे न आप ?

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सबका ध्यान रक्खा जाता है। उणियारा का भी रक्खा जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, पूरा जवाब नहीं दिया इस प्रश्न का। ये दो पार्ट तो छोड़ ही दिये हैं माननीय मन्त्री महोदय, ने (घ) व (ङ) जो है हिन्दी में।

श्री अध्यक्ष : यह पहले ही बहस कैसे शुरू हो गई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं फिर से सब जवाब पढ़ देता हूं।

श्री श्रीभानसिंह : दो लास्ट के केवल पढ़ दीजिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : (ख) नहीं।

(ग) प्राप्त सूचनानुसार अतिवृष्टि के कारण गत वर्ष और इस वर्ष उक्त हरिजन कोलोनी में पानी का भर जाना पाया गया।

(घ) हां।

(ङ) बाढ़ पीड़ितों के नाम व अनुमानित नुकसान की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

हरिजनों को ३५०) रुपया मकान के लिए सहायता देने को कहा गया परन्तु वे इसके अतिरिक्त पैसा लगाने को तैयार नहीं हैं। पानी का बहाव बदलने के बारे में नगर-पालिका, उनियारा से पत्र-व्यवहार जारी है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय मन्त्री जी ने फरमाया ३५०) रुपया देने के लिए पर ६४ आदमियों का नुकसान हुआ है उनको ३५० में बांट दें तो एक एक के कितना सा पातीं आता है ?

Page No.20

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ऐसा है कि रिलीफ राजस्व विभाग से अलग मिलता है। और सोश्यल वैलफेयर विभाग से अलग मिलता है हरिजनों के लिए। तो इस तरह से जो कसर रह जाती है उसकी पूर्ति इससे की जाती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरा कहना है कि राजस्व मन्त्री भी बैठे हैं और आप भी बैठे हैं। आप राजस्व मन्त्री पर डालते हैं और वे आप पर।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : डालने का प्रश्न नहीं है, कार्य का विभाग हो गया है। मैंने अपने से सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर आप को दे दिया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अतिवृष्टि हो गई मकान गिर गये तो इसमें विचारे वे क्यों नुकसान उठावें ?

प्रश्न संख्या १६ व २०

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री सज्जनसिंह।

५७–५८ में राजस्थान में खोले जाने वाले नये कॉलेज, हाई स्कूल, स्कूल आदि

२१. **श्री सज्जनसिंह** (बूंदी) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १६५७-५८ में राजस्थान में कुल कितने नए (अ) डिग्री कॉलेज, (ब) मल्टी पर्पज़ हाई स्कूल, (स) हाई स्कूल, (द) मिडिल स्कूल, (इ) अपर प्राइमरी स्कूल एवं, (फ) प्राइमरी स्कूल खोले जावेंगे ?

(२) इनकी जिलेवार संख्या क्या है ?

(३) डिग्री कॉलेज व मल्टी पर्पज़ हाई स्कूल के अलावा अन्य शिक्षालयों का जिलेवार वितरण किस आधार पर किया जाता है ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (अ) डिग्री कॉलेज २।

(ब) नहीं।

(स) अब नहीं खोले जाते। इनके बजाय २४ हायर सेकेन्डरी स्कूल खोल दिये गये हैं।

(द) ६८।

(इ) नहीं।

(फ) ६०० खोले जावेंगे।

(२) इनकी जिलेवार संख्या के लिए सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

(३) निम्नलिखित आधार पर किया जाता है।

(क) भवन की सुविधा। (ख) विद्यार्थियों की संख्या (ग) शिक्षा विस्तार की अन्य सुविधायें (घ) जिला विकास समिति की सिफारिश।

श्री पी० के० चौधरी ; स्कूलें खोल दी गई हैं या खोल दी जावेंगी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : खोल दी गई हैं।

श्री चन्दनमल वैद : संख्या सूची पढ़ कर सुना दीजिये, सन्तोष हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष : लम्बा है।

श्री वैद : कुल २५ जिले हैं।

Page No.21

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कुल चार पांच पेज में है, लम्बा हो जावेगा । सदन की मेज पर इसकी सूची रख दी गई है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपकी एज (Age) तो ऐसी नहीं हैं कि थक जावेंगे, पढ़ दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

डा० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : किसका ?

डा० चन्द्रकला : माननीय सदस्य लक्ष्मीचन्द जी नहीं हैं । मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि उनके इस प्रश्न का उत्तर दिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : जी हां, इसका उत्तर दीजिये ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : २५ से मतलब है न ?

श्री अध्यक्ष : जी हां ।

स्कूलों की फीसों को बढ़ाने के सम्बन्ध में हुई हड़ताल एवं उस संबन्धी विवरण

२२. **डा० चन्द्रकला** (श्री लक्ष्मी चन्द की अनुपस्थिति में) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार ने स्कूलों की फीसें बढ़ाई हैं ?

(२) यदि हाँ, तो क्यों ? जिस जिस जगह पर इसके विरोध में छात्रों द्वारा आन्दोलन किया गया उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) आन्दोलन में कुल कितने छात्र किस किस जगह गिरफ्तार किये गये व कितने मारे गये ।

(४) किस किस जगह पर लाठी चार्ज के आदेश दिये गये ?

(५) क्या यह सत्य है कि जोधपुर में विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज का आदेश मजिस्ट्रेट की गैर मौजूदगी में दिया गया ? यदि हाँ, तो ऐसे आदेश किसने दिए और क्यों ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) स्कूल व कॉलेजों की फीस केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए बढ़ाई है जिनके माता-पिता व संरक्षक आयकर देते हैं ।

(२) शिक्षा के विस्तार एवं प्रगति के लिए फीस बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक हो गया था । जिस जिस जगह छात्रों द्वारा आन्दोलन किया गया उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

(३) बाड़मेर में ८, जयपुर में २००, अलवर में ७२, चूरू में ६, जोधपुर में ८३, कुल ३७२ । एक छात्र भी कहीं नहीं मारा गया ।

(४) जयपुर, अलवर, शार्दूलपुर, करोली तथा जोधपुर में ।

(५) जी नहीं । मजिस्ट्रेट की आज्ञा से लाठी चार्ज के आदेश दिये गये थे ।

डा० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि सरकार की ओर से सभी स्कूलों कॉलिजों के हैड मास्टरों और प्रिन्सिपलों

Page No.22

(डा० चन्द्रकला)

के पास एक गश्ती-पत्र भेजकर यह जाना गया है कि किन अध्यापकों का इस आन्दोलन में सीधे अथवा किसी तरह से सहयोग था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां

डा० चन्द्रकला : तो क्या यह समझौते की भावना के विरुद्ध नहीं है !

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : नम्बर ५ का जवाब दिया कि जोधपुर में लाठी चार्ज हुआ था, तो क्या माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब भी वहां मौजूद थे क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, मैं वहां मौजूद था उस वक्त मोके पर।

श्री अनूपसिंह : फिर लाठीचार्ज हुआ था या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हुआ था, मेरी मौजूदगी में हुआ था।

श्री अनूपसिंह : क्या यह सही है कि अल्टीमेटम के टाइम के खतम होने से पहले ही लाठी चार्ज शुरू कर दिया गया था और इस तरह से पूरा मौका भीड़ को हटने का नहीं मिला था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसी बात नहीं है। रात्रि को १।। बजे लाठी चार्ज हुआ था और ११ बजे ही भीड़ जमा हो गई थी। दो-ढ़ाई घंटे तक हुल्लड़ किया है। बहुत चेतावनी के बाद लाठी-चार्ज किया गया।

श्री मदनसिंह (दांता) : इस हुल्लड़ करने वालों की मांग फिर पूरी कर दी थी आपने ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

डा० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं जो जानकारी चाहती हूँ वह पूछ सकती हूँ, जिसके लिये मैंने पहले भी निवेदन किया था ?

श्री अध्यक्ष : किस बारे में ?

डा० चन्द्रकला : इस प्रश्न के पूछने के सम्बन्ध में जानकारी मुझे कार्य-संचालन व प्रक्रिया की नियमावली में नहीं मिल सकी।

श्री अध्यक्ष : बहतर है कि आप पहले इस सम्बन्ध में हमारे सचिवालय से बात कर लें, फिर आपत्ति रहेगी तो सदन में बता दिया जावेगा।

(विराम)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं आज........

श्री तनसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मेरा खयाल है कि सबसे पहले जो हमें दिया गया है एजेन्डा उसमें........

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनिट जरा शान्ति रखिये।

१२ मध्यान्ह

स्वर्गीय श्री जोन (मद्रास के गवर्नर) एवं श्री मेनन (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश) के प्रति श्रद्धांजलियें

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं आज हमारे देश की दो महान् दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धान्जली अर्पित करने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

इनमें एक हैं श्री अन्नापराम्बली जोसेफ जॉन, जो अपने अन्तिम समय में मद्रास यानि तामिल राज्य के राज्यपाल थे। दूसरे हैं, श्री गोविन्द मेनन जो अपनी मृत्यु के समय भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे।

दोनों केरल, मलाबार के निवासी थे और दोनों अक्टूबर में इस लोक को छोड़ गये, एक पहली अक्टूबर को, दूसरे १७ अक्टूबर को।

श्री जॉन की अवस्था ६४ साल की थी और श्री मेनन की ६१ साल की। श्री जॉन क्रिश्चियन थे। केरल में सबसे पहले उन्होंने शिक्षा-दीक्षा प्राप्त की। ग्रेजुएट हुए, लॉ ग्रेजुएट हुए और उसके बाद सन् १६२५ से उन्होंने राजनैतिक क्षेत्र में पदार्पण किया। अच्छी वकालत करने के बाद फिर वे केरल कांग्रेस कमेटी के प्रधान हुए। उसके बाद वे राजनैतिक आन्दोलन के सिलसिले में जेल गये, फिर जब केरल की सरकार बनी, मंत्री-मंडल बना, उस पहले मंत्री-मंडल में उसकी विधान सभा में सदस्य हुए, फिर वित्त मंत्री हुए, फिर मुख्य मंत्री हुए और अन्त में वे राज्यपाल के पद पर सुशोभित थे। उनका राजनैतिक और एक वकील की हैसियत से जो जीवन-क्रम रहा उसकी छाप सभी पर बहुत अच्छी रही। उनका जीवन बड़ा सादा था और क्रिश्चियन होते हुए भी वे केवल अपने जन्म स्थान और राज्य में ही नहीं सारे भारतवर्ष में लोकप्रिय और आदरणीय रहे।

दूसरे, श्री मेनन। उनका भी जीवन प्रारम्भ से एक वकील की तरह प्रारम्भ हुआ। उसके बाद वे न्यायाधीश हुए और वे केवल कानूनी ढंग से ही न्याय नहीं करते थे, बल्कि उनकी ख्याति इस बात में थी कि वे कोशिश करते थे कि वास्तविक रूप में न्याय किया जाय। कानूनी शब्दों के सहारे भी फैसला होता है, लेकिन वे उस प्रकरण की तह तक जाकर सच्चाई को ढूंढ़ने की कोशिश करते थे और उससे प्रभावित होकर फैसला लिखा करते थे। यह उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। वे केवल न्याय शास्त्र के विद्वान ही नहीं थे बल्कि वास्तविक अर्थ में न्यायाधीश थे। इस प्रकार की उनकी ख्याति थी।

वे दोनों महानुभाव यकायक हृदय की गति रुक जाने से इस लोक को छोड़ गये। आज मैं इस सदन की ओर से और मेरी ओरसे उन दोनों के प्रति अपनी श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि सदन की यह भावना उनके परिवारों तक पहुँचाने की कोशिश करें।

श्री तनसिंह (विरोधी दल के नेता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त दोनों महानुभावों के लिए जो प्रस्ताव रखा है उसका विरोधी दल की ओर से और विशेष कर राम राज्य परिषद् की ओर से उनके परिवारों के प्रति हमारी भावना पहुंचाने का मैं अनुग्रह करता हूँ।

रावल नरेन्द्रसिंह : मैं इसका अनुमोदन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : जिन दो महानुभावों के दुखद अवसान के ऊपर हमारे वित्त मंत्री महोदय और विरोधी पक्ष की ओर से माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं, जो सहानुभूति उनके परिवार के प्रति प्रकट की है, मैं अपनी ओर से और अन्य माननीय सदस्यों की ओर से उसमें सम्मिलित होता हूं और मैं निवेदन करूंगा कि दो मिनिट के

(श्री अध्यक्ष)

लिये मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं के लिये शान्ति की प्रार्थना करें।

(दिवंगत आत्माओं के प्रति दो मिनिट के लिये मौन शान्ति प्रार्थना)

१२-५. म. प.

दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये सदन के सदस्यों के साथ दीर्घाओं में उपस्थित महानुभावों के खड़े न होने पर आपत्ति

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। जब हमारी सभा के सारे सदस्य और उनके साथ माननीय अध्यक्ष भी अपने आसन को छोड़ कर खड़े होते हैं उस समय क्या यह आवश्यक नहीं है कि जो गेलेरीज़ में बैठे हैं वे अनुकरण न करें ? यदि नहीं करते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं और इसके लिये अध्यक्ष महोदय व्यवस्था दें कि क्या यह सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होता तो सुन्दर होता। अगर उन्होंने अज्ञान के कारण ऐसा नहीं किया है तो इस प्रश्न को यहीं छोड़ देना चाहिए।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : In the interest of healthy traditions and with due respect to the ruling which the Chair has just now given, I submit that the Members are only the integral part of the House. Those who are sitting in the Galleries are not part and parcel of the House. So it is not incumbent upon them to stand and pay respect to the memory of those who are dead. This is my humble submission and I hope we may lay down healthy and sound traditions which ought to be in conformity with the traditions as are observed in other legislatures.

श्री अध्यक्ष : The only thing that I said was that it would have been much better if the people sitting in the galleries would have joined us in the solemn occasion.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : My submission is that only the Members are the part of the House while others sitting in the lobbies or the citizens in the galleries they are not the part of the House. As such they are not expected to take part in the proceedings of the House. If they do so they encroach upon the right of the Members. As such my submission is that only the Members should follow the procedure which has been laid down for them and others sitting hither and thither they are not supposed to take part in the proceedings or to clap, laugh or join with the proceedings in any way; otherwise we would rather go out of our way.

श्री अध्यक्ष : I don't think any further discussion is necessary on this point.

१२.१० म० प०

कार्य–सूची के अनुसार कार्य होने संबंधी

डा० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, यह हम लोगों को जो कार्यसूची मिली है इसमें ४ तारीख से ६ तारीख तक तीन

(डा० चन्द्रकला)

दिनों की कार्यसूची एक साथ है, इससे पता नहीं लग सकता है कि आज या कल या दूसरे अलग-अलग दिनों में किस तरह की कार्यवाही रहेगी । अच्छा तो यही है कि सम्मिलित कार्यसूची के साथ दूसरी पूरक या अनुपूरक सूची मिला करे ।

श्री अध्यक्ष : इसी क्रम से काम किया जायगा और उसमें हेरफेर करने की आवश्यकता होगी तो आपको सूचना दे दी जायगी ।

डा० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, इसमें १२ बिल विचारार्थ हम लोगों को लेने हैं । इस तरह से क्या इन १२ बिलों में से पहला बिल विचार के लिए लिया जायगा और दूसरा बिल दूसरी बार लिया जायगा ?

राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल से अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव विधान सभा (श्री धर्मेन्द्र परिहार) : मैं सदन की मेज पर गत सत्र में विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों का विवरण, जिनमें राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, रखता हूँ :

"BILLS ASSENTED TO BY THE PRESIDENT:-

1. The Rajasthan Relief of Agricultural Indebtedness Bill, 1957.

2. The Code of Civil Procedure (Rajasthan Amendment) Bill, 1957.

3. The Rajasthan Regulation of Boating (Amendment) Bill, 1957.

BILLS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR.

1. The Rajasthan Vaccination Bill, 1957.

2. The Rajasthan Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 1957.

3. The Rajasthan Appropriation (No. 1) Bill, 1957.

4. The Rajasthan Entertainments Tax Bill, 1957.

5. The Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Amendment Bill, 1957.

6. The Rajasthan Finance (Agricultural income tax) Bill, 1957.

7. The Rajasthan Sales Tax (Amending and extending) Bill, 1957.

8. The Rajasthan District Boards (Amendment) Bill, 1957.

9. The Marwar Patta Ordinanance (Repeal) Bill, 1957.

10. The Rajasthan Ministers Salaries (Amendment) Bill, 1957.

11. The Rajasthan Panchayat (Amendment) Bill, 1957.

12. The Rajasthan Civil Courts Laws (Extension) Amendment Bill, 1957.

13. The Rajasthan Appropriaation (Vote on Account) Bill, 1957.

१२.१२. म० प०

सदन पटल पर 'अध्यादेश' १९५७ की प्रस्तुति

(क) राजस्थान मोटर स्प्रिट विक्रय कर (विस्तारी) अध्यादेश, १९५७

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेल्स ऑफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (एक्सटेन्डिंग) आर्डिनेन्स, १९५७, को सदन की मेज पर रखता हूं।

(ख) राजस्थान संक्रामक रोग—अध्यादेश, १९५७

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान संक्रामक रोग अध्यादेश, १९५७ को सदन की मेज पर रखता हूं।

(ग) राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) अध्यादेश, १९५७

श्री रामकिशोर व्यास (गृह एवं विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) अध्यादेश, १९५७, को सदन की मेज पर रखता हूं।

(घ) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अध्यादेश, १९५७,

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेकन्डरी एजूकेशन ऑर्डिनेन्स, १९५७, को सदन की मेज पर रखता हूं।

(ङ) राजस्थान जागीर संबंधी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन अध्यादेश, १९५७

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान जागीर डिसीजन्स एन्ड प्रोसीडिंग्स (वेलीडेशन) अमेंडमेंट ऑर्डिनेन्स १९५७, को सदन की मेज पर रखता हूँ।

(च) राजस्थान सिविल कोर्ट्स (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९५७

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय व विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल कोर्ट्स (सैकन्ड अमेंडमेंट) ऑर्डिनेन्स १९५७, को सदन की मेज पर रखता हूँ।

(छ) राजस्थान स्टेट्यूटरी नियम तथा आदेश (विस्तार) अध्यादेश, १९५७

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय व विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्टेट्यूटरी नियम तथा आदेश (विस्तार) अध्यादेश, १९५७, को सदन की मेज पर रखता हूँ।

(ज) राजस्थान जागीर भूमि पुनर्ग्रहण (वैधकरण) अध्यादेश, १९५७

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान जागीर भूमि पुनर्ग्रहण (वैधकरण) अध्यादेश, १९५७, को सदन की मेज पर रखता हूँ।

(झ) राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेन्डिंग एन्ड एक्सेटेन्डिंग) संशोधन अध्यादेश, १९५७

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेल्स टैक्स (एमेंडिंग एण्ड एक्सटेंडिंग) संशोधन अध्यादेश, १९५७, को सदन की मेज पर रखता हूँ।

(ञ) राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, १९५७

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी (एमेंड-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मेंट) ऑर्डिनेन्स, १६५७ को सदन की मेज पर रखता हूँ।

(ट) बॉम्बे लोकल बोर्ड्स एन्ड प्राइमरी एजुकेशन (निरसन) अध्यादेश, १६५७

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं बॉम्बे लोकल बोर्ड्स एन्ड प्राइमरी एजुकेशन (निरसन) अध्यादेश, १६५७ को सदन की मेज पर रखता हूँ।

राजस्थान मोटर विहिकल्स नियमावली, १६५७ के अन्तर्गत विज्ञप्ति

श्री दामोदरलाल व्यास (यातायात मंत्री की अनुपस्थिति में राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह विभाग (ब) विज्ञप्ति संख्या डी० २०३५।एफ. १० (५) (५) एच. २५३ दिनांक २५ अप्रेल, १६५७, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स रूल्स, १६५१ के नियम १४१ में जो संशोधन किया गया है उसकी एक प्रति मोटर विहिकल्स एक्ट, १६३६ की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत सदन की मेज पर रखता हूँ।

राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (मुख्य मंत्री) : की अनुपस्थित में वित्त मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं।

लेखे तथा उन पर अंकेक्षा प्रतिवेदन

(क) नियोजन लेखा १६५४-५५ तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन, १६५६ भाग २

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एप्रोप्रियेशन १६५४-५५ एन्ड ऑडिट रिपोर्ट, १६५६ पार्ट २ को सदन की मेज पर रखता हूं।

(ख) वित्त लेखा १६५५-५६ तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन, १६५६

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान फॉइनेन्स एकाउन्ट्स १६५५-५६ एन्ड ऑडिट रिपोर्ट, १६५६ को सदन की मेज पर रखता हूं।

(ग) भूतपूर्व अजमेर स्टेट के नियोजन लेखा १६५४-५५ तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन, १६५६

अध्यक्ष महोदय, मैं फॉर्मर अजमेर स्टेट के एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स १६५४-५५ एन्ड ऑडिट रिपोर्ट, १६५६ को सदन की मेज पर रखता हूँ।

प्रवर समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(क) राजस्थान सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन विधेयक, १६५७

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन विधेयक, १६५७ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

(ख) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १६५७

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १६५७ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

पुरःस्थापित विधेयक

(क) राजस्थान मोटर स्पिरिट विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, १६५७

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेल्स ऑफ

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (एमेन्डमेंट) बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करता हूँ।

(ख) राजस्थान संक्रामक रोग विधेयक, १९५७

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्यमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एपिडेमिक डिज़िज़ेज़ (अमेंडमेंट) बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करता हूं।

(ग) राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल कोर्ट्स (एमेंडमेंट) बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करता हूं।

(घ) राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन विधेयक, १९५७

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान जागीर डिसीज़न्स एन्ड प्रोसीडिंग्स (वेलीडेशन) एमेंडमेंट बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करता हूँ।

(ङ) राजस्थान स्टेट्युटरी नियम तथा आदेश (विस्तार) विधेयक, १९५७

श्री रामकिशोर व्यास (विधि एवं न्याय मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्टेच्यूटरी रूल्स एन्ड ऑर्डर्स (एक्सटेन्शन) बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं "A Bill to provide for the extension to the Abu, Ajmer and Sunel areas of the new State of Rajasthan the rules, regulations, notifications, bye-laws and orders made by a competent authority of the prereorganized State of Rajasthan under the Rajasthan Laws so far extended to the whole of the new State." को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान रिज़म्शन ऑफ जागीर्स लैन्ड वेलीडेटिंग बिल का नम्बर है।

(च) राजस्थान जागीर भूमि पुनर्ग्रहण (वैधकरण) विधेयक, १९५७,

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, I am sorry, Sir, मैं राजस्थान जागीर लैन्ड रिज़म्प्शन (वेलीडेटिंग) बिल को पुरःस्थापित करता हूँ।

(छ) राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेंडिंग एण्ड एक्सटेंडिंग) संशोधन विधेयक, १९५७

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेल्स टैक्स (एमेंडमेंट एण्ड एक्स्टेन्डिंग) एमेंडमेंट बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करता हूं।

(ज) राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री दामोदरलाल व्यास(राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी (एमेंडमेंट) बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करता हूँ।

(झ) राजस्थान भूमि-सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (छठवां संशोधन) विधेयक, १९५७

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स (सिक्स्थ एमेण्डमेंट) बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करता हूं।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(ञ) राजस्थान भूमि-सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (सातवां संशोधन) विधेयक, १९५७

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंन्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्शन ऑफ जागीर्स (सेवन्थ एमेंडमेंट) बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करता हूँ।

(ट) राजस्थान जागीर ऋण प्रहसन (संशोधन, विधेयक, १९५७

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान जागीरदार्स डैट रिडक्शन (एमेंडमेंट) बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करता हूं।

(ठ) मारवाड़ जागीरदार्स भारग्रस्त भू-सम्पत्ति (निरसन), विधेयक, १९५७

अध्यक्ष महोदय, मैं मारवाड़ जागीरदार्स एन्कम्बर्ड एस्टेट्स (रिपील) बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करता हूँ।

(ड) बॉम्बे लोकल बोर्ड्स एण्ड प्राइमरी एजुकेशन (निरसन) विधेयक, १९५७

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं बॉम्बे लोकल बोर्ड्स एण्ड प्राइमरी एज्युकेशन (रिपील) बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करता हूं।

(ढ) राजस्थान एक्साइज़ (संशोधी एवं विस्तारी) विधेयक, १९५७

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पृथक राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एक्साइज़ (एमेंडिंग एण्ड एक्सटेंडिंग) बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान मोटर स्पिरिट विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, १९५७

(विचार-विमर्श)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५७ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें जो सूची मिली है उसमें यह बताया गया है कि जो बिल पहले लिया जायगा वह है राजस्थान प्रेमिसेज़ (कंट्रोल ऑफ रेन्ट एंड एविक्शन) एक्ट, १९५० में संशोधन करने वाला बिल; तो फिर यह दूसरा बिल पहले कैसे मूव किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : इसको बाद में लिया जायगा। उन्होंने चाहा कि इसको थोड़ी देर बाद में पेश करेंगे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Mr. Speaker, Sir, I move that this Bill be referred to Select Committee, with the specific directions that : (1) diesel oil should not be exempted; (2) the Committee should look into the rate of taxation; and (3) the Committee should decide as to the proper authority who should levy this tax.

Mr. Speaker, Sir, taking into consideration the area of Rajasthan, its population and the mileage of roads that were constructed during the First Five year Plan and which are going to be constructed during the Second Five year Plan, and the repercussions of this taxation which cannot be set aside or dealt with apart from the composite taxation known as the Motor Vehicles Taxation, and its repercussions and its effect upon the automobile industry in our country...probably this year

(श्री श्रीमानसिंह)

when there was a conference of Transport Ministers, the State Ministries were severely criticised for their transport policy. Mr. Speaker, Sir, if I draw attention to the fact that during the First Five year Plan our railways and our transport were in such a condition that they were unable to pick up the surplus goods and carry them to the deficit areas, that was because of the high rate of taxation that the States are levying, and the unfortunate point is that they have not yet evolved a uniform policy or uniform rate. Bombay is different, U. P. is different, Punjab is different, Delhi is different and Rajasthan, the most backward, is different. Sir, in this context I have emphasised today and there is a growing emphasis today on the road transport. While the Central Government is providing a sort of protection to the automobile industry, yet their protetion, their help, whatever effort they are making to encourage the production of motor vehicles, that is nullified by the contrary policy pursued by the States. The automobile industry, despite the protection of the Central Government is not flourishing. The plea put behind levying this taxation on petrol is this, that since it is utilised in motor cars;. therefore it is a luxury tax. But that is understanding the taxation wrongly. Sir, this tax is levied equally on motor cars used for Personal purdoses and vehicles used for commercial purposes. If we see to the statistics given by the antomobile industry, we will come to the conclusion that today the automobile industry is producing more commercial types of vehicles and less motor cars, and even these motor cars which are produced are not being produced for the rich people but for the middle class. Therefore, if we levy six annas tax on petrol. what will be its effect, its repercussion ? We are not taxing the vehicles or the consumer, but our ultimate tax is on the automobile industry itself. If we levy this tax, the production of commercial vehicles will go down. In order that the protection of the Central Government should materialise, it is necessary that the State Government should build a policy with which the production of commercial vehicles may go up. On the contrary, with this heavy rate of taxation the demand would be low. In that way, if we want that our Plan should be successful, that our targets that we have fixed for agriculture and for industry in the Second Five Year Plan, which are double or treble times the First Five Year Plan, those targets should be achieved, and those raw materials and finished products should be carried far and wide in our Rajasthan; in that case we will have to encourage the transport industry, in that case we will have to see that the road

(श्री श्रीमानसिंह)

transport developes, because we know that the mileage of railways in Rajasthan is very low and railways cannot serve our purpose. On the other hand we have exempted diesel oil. If I ask, what is the rationale behind exempting this diesel oil, what is the reply ? The statistics given out by the Motor Vehicles industry in Rajasthan show that there are more vehicles run on diesel than on petrol. If we want to have more income, then from the income-point of view there should be no exemption for diesel. We must tax diesel oil also. If we want to give exemption we can give exemption to vehicles used for agricultural purposes, but it is not proper to give exemption to diesel oil which is used for commercial purposes. Then, I say there should be discrimination in taxation. Why diesel should be favoured ? The argument may be given that we want to give impetus, a sort of subsidy, encouragement to the production of diesel engines. But, Sir, is it not discriminatory taxing those people transporting goods by vehicles using diesel and those people transporting goods by petrol paying a higher rate of taxation, or the consumer utilising the goods transported by diesel engines paying a higher rate, even though the same sort of goods may be transported by the two types of vehicles. After all what is the reason behind exempting diesel oils ?

It is said that the tax on motor spirit is a luxury tax. But we must see on whom this tax is levied. We have to see to the needs of the middle class. Today the middle class are mostly professional class. If we have to go from one place to another, or from one place to offices, industries or to workshops, after all we have to see that it is not that we are going to tax the rich classes for using motor cars for luxury purposes, but we are going to tax the professional middle class, the consumers for using the motor cars. After all what will be their position ? How will they reach ? If one is living at Gandhinagar and has to come to this Secretariat without car, probably he will take two hours to walk. So we must see to their needs also. The motor cars are, therefore, not being used for luxury purposes; they are not luxury goods. Therefore, Sir, even if this tax is justified and we are levying it on motor cars, I would say that the growing emphasis is on the use of vehicles. If we see the statistics issued by the Rajasthan Government, we find that there are 15,000 vehicles in Rajasthan. Out of these 15,000 vehicles, five to six thousand are trucks and about 500 to 600 are motor cars. If we leave five to six thousand trucks, then we are at a loss, because out of 15,000 vehicles

(श्री श्रीमानसिंह)

we will be taxing only 500 to 600 vehicles. If we take the income-groups, we will come to the conclusion that out of the 600 people who own cars, as many as 400 people are middle class and only 200 are the so-called rich class. In that case income from those 200 people will not be so profitable as it would be detrimental affecting 400 people using motor cars.

Similarly if we see the rates of taxation, in India the motor-vehicles and the spirit taxation combined is greatest in the world. Out of a truck owner's income 34% is taken away by Government. I have some comparative figures with me. In India the tax is Rs. 2,030/- per truck. In U. S. A, cars and trucks it is 500/-, in Britain it is 1,300/-. Our rate is the highest. While we need more and more vehicles, we need development of road transport, we need that goods may be transported from one place to another, our tax is 6 annas a rupee. This will not help in distributing goods. Similarly the annual tax here on a three-ton truck works out to 5,000/- to 5,500/- per truck. This is the rate of tax in our country. Comparatively, in U. S. A, it is 619/- per truck.

But after giving these figures we cannot hope for a reduction because we will be told that we need finance. Our prime need is finance. Our Finance Minister of the Central Government has been to foreign countries. Foreign countries may not give us any aid. We have to develop our plan.

If we look into the first Five Year Plan also, we will find that only one road is developed. What is it ? The State Government has not yet decided even its transport policy, as to how in our first plan and Second Five Year Plan we are going to fix up our transport policy; whether we are to encourage private industry or we have to nationalise the transport. We do not know what is the transport policy?. The origin of this spirit taxation, If I may take you back, was because this tax was specifically levied or earmarked for road development purposes. It may not be modern finance to earmark a tax like this. But even then, if I remember right, the Taxation Enquiry Commmission has also recommended that at least 25% of this taxation, which the State Government levies must be allotted for road development purposes and that six annas is the maximum that you can levy. So if we realise road tax i. e, this motor spirit tax at the rate of six annas, at least 25% of this tax mnst be spent on the roads. Government do not worry about it. They are negligent about it. If we see the total amount provided in the budget for planning and the total amount spent on

(श्री श्रीमानसिंह)

roads, there is a negligible proportion between the two. After all what is the reason of this disparity. The truck-owners, the bus service-owners, or the motor vehicle owners; all of them pay this tax only for the improvement of roads. They are not given any amenities. Why is the exipenditure less and revenue more? This contradictory policy will have to be shunned up.

after all, the principle of taxation is 'ability to pay'. How has the Government worked out whether the truck-owners, the bus owners, they are able to pay this tax ? I can say that the criterion of 'ability to pay' has been completely ignored. Only the criterion of maximum revenue has been kept in view. That is not found financing, that is not the way to levy taxes.

Therefore, in order to keep the finances for the Five Year Plan in view, in order to keep the development of automobile industry in view, in order to see that the distribution of goods is made to the consumer at a cheaper rate, and in order to develop the roads, we must agree that the Bill must be referred to a Select Committee and that Committee may see what is the reason or rationale behind this six annas or behind the exemption of the diesel oil, in what way the tax may be levied both on petrol as also on diesel oil so that both may shoulder this burden.

The third thing is the authority who should levy this tax. Sir, the Finance Minister will agree with me that there are certain principles of taxation, and those principles are that the incidence of taxation should be localised, the collection should be easy and so on. All these things are to be met by this taxation of motor spirit also. The authority of levying this tax is the State Goverment, and if we see the total collcetion charges of the motor vehicles spirit taxation, that amount is considerably low. Instead, I submit that the third thing for referring this Bill to Select Committee is to decide, in view of the financial paucity of the local bodies, as to who should be the right authority to tax them. Personally I think that the local bodies can easily collect this tax and they can finance the social services better. What is happening today in Rajasthan ? On one side the muncipalities are levying taxes and on the other side the Governmen also realises taxes. So in some cases, there are double or treble taxes. This is not fair. Therefore, only the local bodies should be empowered to tax this.

Therefore, from these three points of view, in order to develop roads, develop transport industry and transportation of goods, in order that there should be a fair

(श्री श्रीभानसिंह)

rate of taxation, that no exemption should be granted to diesel oil; that the State Government should evolve a definite plan for the development of roads, I recommend that the Bill be referred to Select Committee.

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य, जो मेरे पूर्व वक्ता थे, ने जो संशोधन रखा है कि यह बिल प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, मैं इसका समर्थन करता हूँ। इसके साथ ही जो उन्होंने तीन डाइरेक्शन्स के सम्बन्ध में बताया है, उनका भी मैं समर्थन करता हूं। हमें इस समय गहरी आवश्यकता है इस बात की कि राजस्थान का जो फाइनेन्स है, राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है, वह उत्तरोत्तर गिरती जा रही है, इसलिए हमें आमदनी के जरिये भी ढूंढ निकालने हैं। लेकिन केवल आमदनी के जरिये ढूंढने के कारण जो हमारा विकास हो सकता हो, उसके लिए एक ओर यह बात कहते हैं कि हमारी पंच वर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए, हमारी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए, पंचवर्षीय योजना के मातहत उत्पादन अधिक करने के लिए हमें टेक्सेज़ की आवश्यकता है। इसलिए हमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि जो टैक्स लगा रहे हैं उनसे इस विकास का रास्ता कितना रोका जा रहा है? मेरा निवेदन यह है कि आज यदि ऑटोमोबाइल इन्डस्ट्री के ऊपर केवल इसलिए टैक्स लगा रहे हैं क्योंकि इसे बड़े बड़े आदमी ही रख सकते हैं, जैसा कि अभी माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि एक गाड़ी हजारों रुपयों में आती है, इसलिए एक साधारण आदमी गाड़ी नहीं रख सकता है। मेरा निवेदन है कि साधारण आदमी भी रखता है, भले ही उस गाड़ी में पैसा बड़े आदमी का लगा हो लेकिन उसकी मजदूरी और कमाई छोटे आदमी की होती है। ऐसी अवस्था में टैक्स के सिद्धान्त को केवल इसलिए स्वीकार कर लिया जाय कि पंचवर्षीय योजना को सफल करना है, तो मेरा ख्याल है कि यह विकास के लिए अवरोधक होगा, विकास को बढ़ाने वाला नहीं होगा। एक ओर टैक्सेज बढ़ा रहे हैं; दूसरी ओर टैक्स वसूल करके क्या फायदा पहुंचा रहे हैं: यह स्पष्ट नहीं है? क्या आज ओटोमोबाइल इन्डस्ट्री के विकास के लिए कुछ साधन मुहैय्या करते है? इस ओर ध्यान नहीं देते। आज जो सड़कों की हालत है, जो टैक्सेज़ की हालत है, उसे देखा जाय तो मालूम होगा कि राजस्थान की हालत सोचनीय है और इस पर विचार करने की गहरी आवश्यकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय, तो अधिक अच्छा होगा।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में जो कुछ बातें कही गई हैं उन्हें देखा जाय, तो मैं माननीय मन्त्रीजी पर आरोप लगाने के के लिए आगे बढ़ूंगा कि वे इस प्रकार आद्-तन हमारे इस सदन को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जब क्लाज़ २ में अमेंडमेंट किया है मोटर स्प्रिट का, उसके अनुसार यह मान लिया जाय कि और दूसरे लिक्विड या दूसरे ऑइल को छोड़कर सिर्फ पेट्रोल पर, जो मोटर में काम में आता है, पर टैक्स लगाने का विचार है, तो समझ में आ सकता है कि क्लाज़ २ में जो अमेंडमेंट रखा है वह ठीक है और इसका उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टस एन्ड रीजन्स में

(श्री तनसिंह)

विवेचन किया है। पर जहां क्लाज़ ३ है उसमें सिक्स आनाज़ की जगह ४० नये पैसे लगाये हैं। इसके लिए एक लाइन लिखी है। "Further an alteration is needed in the maximum rate of tax on account of the introduction of decimal coinage system."

यहां मन्त्री महोदय का अभिप्राय यह है कि इसमें तब्दीली की आवश्यकता इसलिए है कि अब दशमलव पद्धति शुरू हो गई है इसलिये इसमें ६ आने की जगह ४० नये पैसे लगये गये हैं। यही चतुराई पहले भी एक बिल में की गई थी और वही इस समय काम में लाई जा रही है। अर्थात् हमें इस प्रकार समझा जा रहा है कि हम दशमलव प्रणाली को समझ ही नही रहे हैं। १६ को ५ से गुणा किया; सोलह पाणिया अस्सीऔर ६ और लेने हैं। लेकिन माननीय मन्त्री महोदय यह नहीं समझते होंगे, उनका दूसरा परिणाम होगा। सम्भवत: ३ नये पैसे का टैक्स लगा रहे हैं, वह क्यों लगा रहे हैं इसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टस एन्ड रीजन्स में कोई जिक्र नहीं। इससे समझा जा सकता है कि इसका जब कोई विवरण नहीं दे सके तो यही समझा जाना चाहिये कि इसका कोई कारण उनके पास नहीं है। ऐसी हालत में माननीय मंत्री महोदय सदन को गुमराह करके हमारे हाथ से ऐसे दस्तखत कराना चाहते हैं जिससे हमारे लोगों के, ऑटोमोबाइल इन्डस्ट्री के पीठ के पीछे छुरा भोंकने की कार्यवाही कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल इन्डस्ट्री के के विकास के लिये और नये टैक्स बढ़ाये जा रहे हैं, इसकी आवश्यकता और महत्ता पर विचार करने के लिए इस बिल का सिलेक्ट कमेटी में जाना आवश्यक है।

तीसरी बात यह है कि म्युनिसिपैलिटीज़ सड़कें बनाती हैं और जिन म्युनिसिपैलिटीज के एरिया में से जो सड़कें निकलती हैं उन सड़कों के बनाने का काम सरकार उन म्युनिसिपैलिटीज़ पर छोड़ देती है, यह कह कर कि क्योंकि यह नगरपालिकाएं कर वसूल करती हैं तो इन सड़कों के बनाने का खर्चा सरकार क्यों दे ? सड़कें बनती हैं इससे नगरों की शोभा होती है पर उसके ऊपर टैक्स राज्य सरकार वसूल करती है तो नगरपालिकाओं के एरिया में आई हुई सड़कों पर मोटरें चलती हैं, इसके लिये अलग टेक्स नगरपालिकाएं वसूल करें, यह चीज तो ठीक नहीं होगी। इसलिए सरकार को चाहिये कि उन सड़कों के बनाने के मुआवजे के रूप में कुछ पर्सेन्टेज इस कर का नगरपालिकाओं को देती। सरकार कह सकती है कि सरकार इन नगरपालिकाओं को लोन्स और सब्सिडी वगैरह देती है, पर यह तो सरकार का कर्तव्य है कि इस प्रकार की नगरपालिकाओं की वह मदद करे। ऑटोमोबाइल इन्डस्ट्रीज़ को उन्नत करने का जहां तक सवाल है वहां इस बिल में प्रावधान होना चाहिये कि उन उन नगरपालिकाओं को इस टैक्स का कुछ हिस्सा दिया जाय ताकि नगरपालिकाओं को प्रोत्साहन मिल सके।

इन तीनों बातों पर विचार करने के लिये इस बिल का सिलेक्ट कमेटी में जाना नितान्त अनिवार्य है। इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे, यदि स्वीकार न करें तो सदन के मा० सदस्यों को चाहिये कि इनके प्रस्ताव को एक मत से रद्द करें और माननीय सदस्य ने जो इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : माननीय अध्यक्ष, इस बिल में सरकार का मिस्चीवियस

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

इन्टेन्शन दिखता है, जो यह है कि सरकार येन केन प्रकारेण टैक्स बढ़ाना चाहती है। जिन माननीय मन्त्री ने अपने आपको सरस्वती का वरद पुत्र कहा था उनके लिए यह तो माना नहीं जा सकता कि वे गणना में गलती कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने नई दशमलव प्रणाली जारी की है उसकी टेबिल निकाली है वह टेबिल शायद राजस्थान सरकार के फाइनेन्स मिनिस्टर के पास नहीं पहुंची है। इसमें जहां सिक्स आनाज़ लिखा है, जो टेबिल नये पैसों की गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने भेजी है उसमें ६ आने के ३७ नये पैसे आते हैं, वहां हमारी सरकार ने ४० पैसे कर दिये हैं। मेरा खयाल है कि यह शायद गलती से हुआ होगा तो it needs correction.

श्री चन्दनमल बैद : छपने में रह गया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसीलिये जरूरी है कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। तो इस तरह साफ जाहिर है कि सरकार का मिस्चीवियस इन्टेन्शन है कि किसी भी तरह से टैक्स बढ़ाया जाय।

जहां तक इसका ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट से सम्बन्ध है, ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट की हालत पर पहले विचार किया जाना आवश्यक है। टैक्स बढ़ाते हैं, ट्रान्सपोर्ट विभाग की मौजूदा हालत पर विचार किये बिना टैक्स बढ़ाते हैं. तो यह जनता के अधिकारों पर, आवश्यकताओं पर कुठाराघात करते हैं। वास्तव में देखा जाय तो राजस्थान सरकार का ट्रान्स्पोर्ट डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार का एक मात्र अड्डा बना हुआ है। इसके अन्दर एक एस० टी०, आई० टी० ऑथोरिटी की व्यवस्था करके सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है कि अपने नीचे काम करने वाले अधिकारी हैं, गैर सरकारी अधिकारी हैं, वे क्या क्या करते हैं यह एक आम चर्चा का विषय बना हुआ है। आर. टी. ओ. जिसके पास परमिट के लिए जाया जाता है, दिल्ली से जयपुर की बस का परमिट क्यों नहीं मिल रहा है, उसके लिये ८० हजार रुपये की बस लेनी पड़ती है, १० हजार रुपया परमिट प्राप्त करने के लिये देना पड़ेगा; इस प्रकार की चर्चा है, सारे प्रान्त में जारी है। ऐसी हालत में जिस डिपार्टमेंट से यह सम्बन्धित है उस डिपार्टमेंट को आवश्यक है कि वह फाइनेन्स डिपार्टमेंट का है तो वह ऐसी गलती कर सकता है कि नहीं। इन सारी गलतियों को ठीक करने के लिए, आवश्यकता को देखने के लिये इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में मूव कर देना चाहिये।

श्री रामचन्द्र वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने आज सदन के सामने जो बिल प्रस्तुत किया है वह बिल इस नाम से कहा गया है :

"This Act may be called the Rajasthan Sales of Motor Spirit Taxation (Amendment) Act, 1957."

इसका अर्थ यह है कि यह बिल पहले ही से सदन में पास हो चुका है। इस वक्त तो मन्त्री महोदय ने केवल अमेंडमेंट करने के लिए सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है और इस अमेंडमेंट करने में भी केवल दो धाराओं को ठीक करने के लिए कहा गया है। पहली धारा में सिर्फ डेफिनिशन है, जिसमें शब्द 'स्प्रिट' को महदूद किया गया है। यहां पर यह बतलाया गया है कि मुमकिन है कि मोटर चलाने के वास्ते आजकल जो कई तरह के "हाइड्रो कार्बन के कम्पाउन्ड" का यूज़ करते

(श्री रामचन्द्र वर्मा)

हैं वे सब ही इस विशेष हाइड्रो कार्बन के समान मान लिए जावें। हाइड्रो कार्बन मोटर स्पिरिट का बोइलिंग पोइन्ट ७६ डिग्री आवश्यक माना गया है। तो यहां पर जनरल टैक्सेशन का प्रश्न नहीं है। केवल उस हाइड्रो कार्बन या मोटर स्पिरिट के जो काम में आता है उसको स्पेसिफिक करने के लिए ही माननीय मन्त्री महोदय ने यह बिल प्रस्तुत किया है। रही बात ६ आना प्रति गैलन के हिसाब से कर लेना, इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो ६ आना टैक्स बताया गया है वह कोई नया टैक्स नहीं है। यह पहले लग चुका है। इसलिए इस पर यहां बहस की जाना कि ६ आनों का टैक्सेशन बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से इस समय उपयुक्त नहीं है। इसलिए हमें इस बिल की जो मूल मंशा है उसको ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिये और उसकी मंशा से इधर–उधर जाकर सदन को धोखे में नहीं डालना चाहिये और ऐसा करने से कोई विशेष लाभ भी नहीं होगा।

दूसरा प्रश्न यह है कि ६ आनों के पुराने पैसों को नये पैसों में देखा जाए तो चार आने के २५ पैसे और दो आने के १२ पैसे होते हैं, इस तरह कुल ३७ पैसे होते हैं। सरकार ने शायद ऐसा नियम बनाया हो कि "राउन्ड फिगर्स" में उसको ३७ के बजाय ४० नये पैसे ले लिया जावे, तो सरकार की इस बात को जो सदन की मेज में रखी है ४० नये पैसे लेने की उसको मान लेनी चाहिए। इसलिए जो माननीय मन्त्री महोदय ने बिल पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी उपस्थित किया गया है कि इस विधेयक में, इस पर जो सुझाव आया है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे, माननीय सदस्य जो इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात यहां रखते हैं यदि इस बात पर विचार करते कि यह कोई नया एक्ट आपके सामने नहीं लाया जा रहा है जिससे कि बहुत सी नीति संबन्धी दूसरी बातों के संबन्ध में गहरी बातों पर विचार किया जावे। यह एक्ट यानि कानून सन् १९५४ से पुराना चला आ रहा है। उसमें सिर्फ दो संशोधन आप से चाहे गये हैं। एक तो मोटर स्पिरिट की परिभाषा से संबन्ध रखता है और अभी जो मोटर स्पिरिट के संबन्ध में बड़ा व्यापक अर्थ किया जाता है उसको रोक कर सरकार लिमिटेड सेन्स में रखना और उस पर टैक्स लेना चाहती है। व्यापक अर्थ से बहुत से टैक्स लिये जा सकते हैं, उसको रोकने के लिये यह संशोधन पेश किया गया है। मैं समझता हूँ कि इसका स्वागत होना चाहिये क्योंकि व्यापक वस्तुओं पर टैक्स लगता उससे जनता को बचाने की बात है।

दूसरी बात यह है कि ६ आने जो अभी लगते हैं उसको नये पैसों में लाने की बात कही जाती है, मगर मूल एक्ट में आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि "६ आने तक" शब्द हैं। मैं आपको धारा को पढ़ कर सुनाता हूं। धारा ३ है: "Levy of taxes" "There shall be levied from every retail dealer and collected in such manner as may be prescribed on the retail sales of motor spirtis at rates as may be notified from time to time not exceeding six annas per

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

gallon"; इसका मतलब यह है कि ६ आने से टैक्स ज्यादा नहीं होगा। ६ आना रेट मुकर्रर नहीं की गई है। ६ आना तक पर गेलन ओन सच सेल्स। इसको आप पहले मुकर्रर कर चुके हैं कि सरकार लगा सकती है। अब चूंकि नये पैसे चल पड़े हैं इसलिये यह संशोधन पेश हुआ है। नये पैसे ३७ गिनती के लिहाज से आते हैं लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की जो टैक्सेशन की पोलिसी है वह पांच के मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से रखी जावे और यहां पर उसे इसी हिसाब से रखा गया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ४० पैसे तक लग सकता है। आपने पहले भी ६ आने के अन्दर अन्दर लगने की बात मन्जूर की है। यह कोई ज्यादा नहीं होगा।

श्री चन्दनमल वैद : यह ३५ भी हो सकता है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह कम पड़ता है। अगर ३५ कर देते हैं तो हम ३५ से ज्यादा नहीं ले सकते। जब कि हमने पहले ६ आना रखा है और ६ आने के ३७ पैसे लेने की सुविधा है तो इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की मंशा पर जो आरोप लगाया जाता है वह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अभी आप क्या टैक्स लेते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसका तो मुझे खयाल नहीं है।

(हंसी)

(कुछ परामर्श के पश्चात् पुनः)

इस वक्त ५ आने लग रहे हैं। यह तो कानूनी बात है। ६ आने अभी भी नहीं लगते हैं। इस समय ५ आने के हिसाब से जितने पैसे होंगे वही लगेंगे। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिये जो संशोधन पेश किया गया है उसको आप एक मत से पास करने की बात करें।

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Speaker, Sir, I am to withdraw my motion because the hon'ble Finance Minister has given no explana tion. He has very kindly been most inaudible, I have on objec- tion. But as regards the expl- anation I have to say that six annas mean thirty- seven naya paisa and making it forty means increasing three more naya paisa. That will go from the pocket of those whoever purchase. If there is any difference between thirtyseven and forty and if he does not under- stand, well, I cannot help this. Not only this he has not taken one thing into consideration i. e. the freight charges of petrol today; that the consumer has to pay is very considerable. For instance ths rate of petrol varies to different places. At Jaipur it is Rs. 3-5-0 whereas at Bharatpur it is Rs. 3-9-0 now and if another anna per rupee is increased, the increase per gallon would be four annas. So after all, if the Govern- ment is levying six annas, then it should similarly make arrange- ments that the freight charges are equalized at all places so that there may be no discrimination between one truck running in a

(श्री श्रीभानसिंह)

particular region and paying more while the other running in another region paying less. At present if the truck starts from Bharatpur it has to pay for petrol at the rate of Rs. 3-9-0 while the other truck starting fron Jaipur pays Rs. 3-5-0 per gallon. There is a difference of four annas. The Government must take stepsto equalise the petrol charges at all places. But six annas mean forty naya paisa; it is no logic. The Hon'ble Finance Minister wants to have King Medias touch turning everything into gold.

श्री अध्यक्ष : Do you want to withdraw your amendment ?

श्री श्रीभान सिंह : I do'nt want to be turned into Gold...by King Medias' touch turning everything into gold.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्रीभानसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की जाती है।

श्री श्रीभानसिंह : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

Now clause by clause consideration clause ?

(विराम)

१ म० प०

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : इस क्लॉज़ में मेरा एक अमेण्डमेन्ट है और वह इस प्रकार है:

"Substitute the words 'thirty-seven nay' paise' for the words 'forty naye paise" sought to be substituted in section 3 of the principal Act."

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबन्ध में मैंने पहले भी निवेदन किया था कि यह गणना की गलती हुई है। मगर माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि गणना की यहां गलती नहीं हुई है और उनकी मन्शा टैक्स ही बढ़ाने की है। अगर ५ आने लेते हैं तो इसकी सही गणना तो ३० नये पैसे की ली जानी चाहिए। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की भी यही धारणा है कि नये पैसे का हिसाब टैक्सेशन के मामले में राउन्ड फीगर में हो। मैं समझता हूँ कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट यह नहीं कह सकता कि ३० नये पैसे राउन्ड फिगर नहीं हैं। तो यहां माननीय मन्त्री महोदय यह नहीं कह सकते कि नये पैसों की सुविधा के लिए ही यह टैक्स बढ़ाया जा रहा

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज गवर्नमेंट हमारी कहती है कि हमारे सामने पंच वर्षीययोजना है और पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए जितना पैसा हम जनता से ले सकें हमें लेना चाहिये। वैसे तो सरकार, क्योंकि हमारे ही मतों द्वारा बनी हुई है, टैक्स लेती है तो उसका कोई विरोध नहीं होता लेकिन जिस रूप में टैक्स की पॉलिसी अख्तियार की जाती है वह ठीक नहीं है। विधान सभा द्वारा इस प्रकार के बिल पास करके टैक्स लिया जाता है। डाइरेक्ट टैक्स लिए जाते हैं लेकिन इन्डाइरेक्ट रूप से जो टैक्स लिए जाते हैं, वे और भी भयंकर होते हैं। आज सरकार का एक ही काम है। सरकार के जितने भी एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट्स हैं उनका एक ही काम है कि जनता के अन्दर जायें और जनता के अन्दर से टैक्स वसूल करें। टैक्स लगते हैं। आज जनता विकास बाल समारोह मनाती है, गोसंवर्धन सप्ताह मनाती है और इस तरह से एक महीना भी ऐसा नहीं जाता कि जिसमें इस प्रकार का समारोह न मनाया जाता हो। तो हमारी सरकार की ज्यादातर मशीनरी इन्हीं समारोहों को मनाने में लग जाती है और अधिकारी लोग टैक्स वसूल करने नहीं जाते। फिर हम कैसे कहें कि यह जनतन्त्र है? इस प्रकार से अधिकारी व्यापारियों से टैक्स लेते हैं, उन व्यापारियों से टैक्स लेते हैं जो कपड़ों का सेल्स टैक्स देते है। यह सही बात है कि यदि हमारी सरकार आज ईमानदारी से काम करे और वह व्यापारी जो टैक्स के अन्दर चोरी करते हैं उनके साथ पूरी कार्यवाही की जाये तो सरकार का काफी पैसा बच सकता है। अभी अभी जिस सरकार से आंकड़े आये हैं उनके अनुसार इन्कम टैक्स की दो करोड़ की चोरी प्रतिवर्ष होती है, हालांकि इनकमटैक्स पर हमारी सरकार का कोई अधिकार नहीं है। अगर यह इनकम टैक्स की चोरी पकड़ी जा सके तो सरकार को काफी पैसा मिल सकता है। तो मेरा निवेदन है कि यदि हमारे माननीय मंत्री महोदय को नये पैसों में कोई राउन्ड फिगर रखनी है तो इसे ३० पैसा कर दिया जाय और अगर गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की टेबल के अनुसार चलना है तो फिर इसे ३७ नया पैसा ही किया जाना चाहिये। अगर आप ईमानदारी से चलें तो ईमानदारी का तकाजा है कि मैंने जो अमेंडमेंट पेश किया है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो सदन को कह देने से कि टैक्स के खातिर ही यह बिल पेश किया है तो ठीक से सरकार का बहुमत है। लेकिन जहां तक ईमानदारी का संबंध है वहां तक मैं समझता हूँ कि मेरा अमेंडमेंट इस सम्बन्ध में पूर्ण है और ४० नये पैसे के बजाय ३७ नये पैसे कर दिये जांय। तो मैं आशा करता हूं कि जो संशोधन मैंने पेश किया है सदन उसको अवश्य ही स्वीकार कर लेगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय.......

एक माननीय सदस्य : (श्री मदनसिंह की ओर सकेत करके) आप बोल रहे हैं?

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूँ और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक नई चीज है उसका नया रूप लिया जाय तो आगे सदन में बहस नही होगी, सदन का समय भी बरबाद नहीं होगा और यह बात सिद्ध हो गई है कि नये पैसे जो हैं इनमें बड़ा फर्क आता है। माननीय मंत्री

(श्री मदनसिंह)

महोदय स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि नये पैसे का हिसाब रखने से टैक्स बढ़ता है तो अच्छी बात तो यह होगी कि अगर सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय या यह अमेंडमेंट जो श्री जगदीशप्रसाद जी ने पेश किया है इसको स्वीकार कर लिया जाय। इससे ज्यादा जिद भी नहीं होगी और असेम्बली का आगे का काम भी विलम्बित नहीं होगा. नहीं तो चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं कि सरकार की मंशा टैक्स ज्यादा लगाने की है। अगर जनता को यह मंशा बताई जाती है कि यह टैक्स वास्तव में ज्यादा लगाया जा रहा है तो ठीक बात नहीं नही है। मगर नये पैसे की आड़ लेकर इस तरह से जनता को गुमराह किया जाय तो मैं समझता हूँ कि जनता की भावना पर बहुत बुरा असर होगा और मैं समझता हूँ कि इस अमेंडमेंट के द्वारा ३० नये पैसे रख दिये जायें तो इतना नुकसान भी सरकार को नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि इस बात में ज्यादा नुकसान होगा कि हमारी भावना ही पलट जाए। मैं कहता हूँ कि ४० नये पैसे से यह टैक्स बढ़ता है, तो या तो यह संशोधन अभी जो श्री जगदीशप्रसादजी ने रखा है उसे स्वीकार कर लिया जाय या फिर इसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया। मैं समझता हूँ कि इससे सरकार को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जैसा आप कहते हैं और अगर यह सही चीज हुई तो ठीक है, सिलेक्ट कमेटी भी इसे सही कहेगी। परन्तु यहां सदन में तो मंशा का प्रश्न आ गया है कि गवर्नमेंट की मंशा इस प्रकार की है कि यह टैक्स बढ़ा है। तो यह मंशा जब सदन को मालूम हो गई है तो मुझे विश्वास है कि यहां के सदस्यों की मंशा में भी फर्क आ गया है। इन रुपयों का हिसाब नए पैसों में इस प्रकार का है कि गड़-बड़ी पैदा कर देता है। इसलिए यह सिलेक्ट कमेटी में रख दिया जाय तो मैं समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं है। कोई नुकसान नहीं है। अगर जल्दी ही टैक्स बढ़ाना है तो सिलेक्ट कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए समय कम दिया जाय। इसलिए मेरी मंशा है कि इसे सिलेक्ट कमेटी के विचारार्थ रख दिया जाना चाहिए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में संशोधन पेश किया गया है कि ४० नये पैसे की जगह ३७ नये पैसे कर दिये जायें। इस सम्बन्ध में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि किन कारणों से यह ४० पैसे की संख्या इसमें मानी गई है। यह ठीक है कि ३५ भी किया जा सकता है, मल्टीप्ल पांच का ३५ भी होता है। लेकिन जो ६ आने की संख्या होती है और ५ आने एक्चुअल रखे हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आप कानून से वाकिफ हैं तो जब अधिकारों का प्रश्न आता है तो ज्यादा अधिकार ले लिए जाते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : In taxation you cannot have 'Adhikar'. टैक्सेशन में यह प्रिन्सिपल नहीं आता है कि आप पांच आने टैक्स लगायें और अधिकार ले लें सौ रुपये के।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : गवर्नमेन्ट ही यह निर्धारित करती है कि किस पर कितना टैक्स लगाया जाता है। मैग्ज़िमम लिमिट के अन्दर फिर गवर्नमेन्ट एक्चुअल टैक्स लगाती है। अधिकार तो ६ आने का लिया जाता है लेकिन वास्तव में टैक्स पांच आने ही लगाये जाते हैं। इसलिये दूरन्दाजी से सरकार ३७ पैसे की जगह ४० पैसे तक का अधिकार ले लेती हैं तो इसमें आपको बहुत हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आज तो····

श्री श्रीभानसिंह : इस टैक्सेशन को फाइनेन्स मिनिस्टर एज़ इण्डियन रबर ट्रीट कर रहे हैं। It may not recoil some day.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ऐसा है कि अगर टैक्स ज्यादा लगाये जाते हैं तो आपकी इजाजत से ही लगते हैं, आप जो अधिकार देते हैं उसी के अन्दर लगते हैं। वे जनता की सेवा और सुविधाओं के लिए लगते हैं। इसलिए टैक्स से बहुत घबराने की बात नहीं है। यह गवर्नमेन्ट के देखने की बात होती है कि वह इतना लगाये कि जिससे जनता पर बोझ न पड़े। यह जो भावना है उसकी मैं कद्र करता हूं, लेकिन इस समय यह ३७ पैसे वाला संशोधन स्वीकार करना कठिन मालूम होता है और मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। इसलिए यदि आप ३७ पैसे के बजाय ४० पैसे का अधिकार दे देते हैं तो इसमें कोई चिन्ता की बात नहीं है। गवर्नमेन्ट की यह मंशा नहीं हो सकती कि वह जान-बूझकर लोगों पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाले। अगर कहीं बोझ डाला जाता है तो मजबूरी से डाला जाता है, आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए डाला जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे इतने स्पष्टीकरण और निवेदन के बाद आप यह आवश्यकता नहीं समझेंगे कि इस संशोधन को पास किया जाय।

श्री श्रीभानसिंह : यह जो आप टैक्स की रेट लगा रहे हैं यह दूसरी स्टेट में भी मौजूद है क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपके इसी प्रश्न का उत्तर दे रहा था····

श्री श्रीभानसिंह : दूसरी स्टेट में मौजूद है क्या ? Whether six annas is levied in other States; such as U. P., Delhi. Bombay etc ?

और दूसरा सवाल यह है कि whether 40 N. P. has been made in other States where there is six annas and whether the Taxation Enquiry Commission of the Government of India have recommended a uniform rate of tax to be levied in all States ?

श्री अध्यक्ष : आप जरा सुनिये तो सही

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (जारी) : माननीय सदस्य ने अलग-अलग जगहों पर जो अलग अलग प्रकार के टैक्स हैं उसकी ओर ध्यान दिलाया, मैं समझता हूं उनका समानीकरण होना चाहिये।

श्री श्रीभानसिंह : मेरा क्वेश्चन यह नहीं था, मेरा यह प्रश्न था कि छः आने को क्या दूसरी स्टेट्स में ४० नये पैसे के रूप में लिया जाता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हो सकता है अलग-अलग जगह अलग कायदे हों। जब कि आप छः आना मन्जूर कर चुके हैं तो फिर पांच आने पर आना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है ?

श्री श्रीभानसिंह : क्या दूसरी स्टेट्स ने भी इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट किया है कि ६ आने की जगह ४० नये पैसे लिये जायं ?

श्री अध्यक्ष : दूसरी स्टेट्स में छः आने से भी भिन्न हो सकता है ?

श्री श्रीभानसिंह : It is less in all States. In Bombay, Madras etc. it is less than six annas, which rate the Taxation Enquiry Com-

(श्री श्रीमानसिंह)

mission has recommended as the maximum.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसलिये मैं यह समझता हूँ कि जो कारण मैंने आपको बताये उनको देखते हुए मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। मैं आशा करता हूं, आप इसको इसी समय पास कर देंगे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, वह किसी प्रकार भी सन्तोषजनक नहीं है। जहाँ तक टैक्सेशन का प्रश्न है, जो कारण माननीय मंत्री महोदय ने बताये हैं, वे ठीक प्रतीत नहीं होते, इसलिये इस अमेन्डमेन्ट को वापिस लेने का सवाल नहीं है। मैं इस अमेन्डमेन्ट को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ में जो संशोधन श्री जगदीशप्रसाद ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि।

प्रश्न यह है कि क्लॉज १ और प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह विधेयक पारित किया जाय।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने मोटर विहिकल्स टैक्सेशन के बारे में जो अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है और जो बातें ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में बतायी हैं वे मेरी समझ में नहीं आती हैं। ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में यह बतलाया गया है कि यह टैक्स डीज़ल ऑइल पर नहीं लगेगा, डीज़ल ऑइल को इससे वंचित किया गया है। दूसरी बात यह बतलाई गई है कि छः आने के नये पैसे चालीस बनते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो रीज़न्स बतलाये गये हैं वे मिस-लीडिंग रीज़न्स हैं। मैं समझता हूँ, जो छः आने के नये चालीस पैसे बनाते हैं वे मेरे ख्याल से एरिथ-मेटिक का ज्ञान नहीं रखते हैं। एरिथमेटिक केलकुलेशन की आड़ लेकर टैक्स बढ़ाना, मैं समझता हूँ, ठीक नहीं है। अगर आप वास्तव में टैक्स बढ़ाना चाहते हैं तो लोगों के साथ सीधी तरह से बर्ताव होना चाहिये। That is a straight way of dealing with the people. आढ़े-टेढ़े खामखाह रास्ते अख्तियार नहीं करने चाहिये।

डीज़ल ऑइल आप टैक्स से वंचित करना चाहते हैं, यह गलत है। टैक्स जो भी लगाये जाते हैं वे इसलिये लगाये जाते हैं कि सरकार को ठीक से चलाने के लिये, सरकार के काम को चलाने के लिये पैसे की आवश्यकता रहती है। मैं नही समझ पाता कि वित्त मंत्री महोदय ने डीज़ल ऑइल को इस्तेमाल करने वालों पर इतना प्रेम क्यों बताया, उनके दिल में इनके प्रति इतना प्रेम क्यों आया?

(श्री पी० के० चौधरी)

आजकल जो भी बसेज़ या ट्रक्स चलते हैं वे सब डीजल ऑइल से चलते हैं। गरीब और मध्यम श्रेणी के लोग पैट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। कॉमर्शियल लाइन्स पर जितने भी ट्रक्स या बसेज चलती हैं, जो धंधे से पैसा कमाते हैं, वे सब डीज़ल से चलती हैं, वे पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते। आज जो मिडिल क्लास है या दूसरे लोग हैं, प्राइवेट जो मोटर कार्स हैं, वे सब पैट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। कोमर्शियल ट्रक्स, बसेज़ आदि में पैट्रोल का इस्तेमाल नहीं होता। आज हम देखते हैं कि ट्रान्सपोर्ट के सिलसिले में बस वालों को, ट्रक्स वालों को परमिट हासिल करने में कितनी धांधली सहन करनी पड़ती है। रूटस् के परमिट देने में कितनी धान्धली चलती है, यह बात सभी जानते हैं; फिर भी पता नहीं किस वजह से ट्रक्स ओनर्स और बस वालों के प्रति माननीय मंत्री महोदय का प्रेम उमड़ आया, उन्होंने इस कानून में उनको रियायत दे दी है, मैं इसका बिल्कुल विरोधी हूं। आज इसी नीति के कारण जो कुछ भी बसेज या ट्रक्स हैं वे सब डीज़ल ऑइल में कन्वर्ट करा रहे हैं। आज जयपुर और अजमेर के रूट् का परमिट लेने की बोली २५ हजार की बोलते हैं, फिर भी नहीं मिलता है। बस ओनर्स और ट्रक्स ओनर्स जो हैं उनको आप रियायत देने की सोचते हैं, मैं इस टर्मिनोलोजी को समझ नहीं पाया। मुझे यह देख कर दुख होता है, अगर आप वास्तव में टैक्स बढ़ाना ही चाहते हैं तो डीजल ऑइल को भी उसमें शामिल कीजिये। अगर आप डीज़ल को इससे रुख्सत रखते हैं तो उस समय आपके ध्यान में क्यों नहीं आया? आज ऐसी क्या बात हो गई, आज उनके लिये आपके दिमाग में कैसे प्रेम हो गया? मैं समझता हूँ, आज इस प्रकार की रियायत देना गलत पोलिसी है।

आप टैक्स यदि कम रखना चाहते हैं तो आप छः आने के बजाय पांच आने कर दीजिये परन्तु डीजल को भी इसमें शामिल कीजिये। आप इस प्रकार न करके जिनको रियायत मिलनी चाहिये उनको नहीं दे रहे हैं, उन पर जुलम कर रहे हैं, उनसे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, इसलिये जो ओब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स बतलाये गये हैं वे गलत हैं, इसलिये इस अमेन्डमेन्ट बिल को पास नहीं करना चाहिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्या माननीय सदस्य इस बिल का विरोध कर रहे हैं?

श्री तनसिंह : क्या मंत्री महोदय को यह पता नहीं चला कि ये विरोध कर रहे हैं या आपके पक्ष में गुण-गान कर रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह (१४) : दुबारा बोलने के लिये कह दीजिये।

श्री पी० के० चौधरी : रीजन्स जो दिये गये हैं उसके लिये मैंने कहा है कि डीज़ल पर भी लग जाय तो ज्यादा पैसे मिलेंगे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है कि डीजल ऑइल को भी इसमें शामिल किया जाय, उनके इन विचारों को मैं एप्रीशियेट करता हूं। जब कभी टैक्स बढ़ाने का सवाल सदन में आता है, अक्सर देखा यह जाता है कि विधान सभा का हर सदस्य उसकी आलोचना करता है। आज यह पहला अवसर हैं जब कि एक माननीय सदस्य द्वारा किसी चीज पर टैक्स लगाने का सुझाव दिया गया है। इनकी बातें विचार के लायक हैं, लेकिन इस मौके पर

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

जब कि हम इस बिल को पारित करने जा रहे हैं ठीक नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य, जिस प्रकार का यह विधेयक जो उपस्थित है, उसको उसी प्रकार पास करने की कृपा करेंगे।

मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि उनके सुझाव विचार करने योग्य हैं। आगे किसी और अवसर पर उन पर विचार किया जा सकता है। आज तो मैं समझता हूं कि जो संशोधन उपस्थित हैं उसे पारित करने का सवाल है। ऐसी दशा में, मैं इस को स्वीकार नहीं कर सकता और मैं आशा करता हूँ कि आप सब इसको पारित करने की कृपा करेंगे।

उनके जो सुझाव हैं, उन पर विचार किया जा सकता है, विचार किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया जाता है।

१.२२ म. प.

राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन विधेयक, १९५७

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान ....

Mr. Speaker, there is a mistake the printing of this Bill.

गलती यह हो गई है कि ओरिजिनल बिल हिन्दी में प्रिन्ट होना चाहिये था, जो कि अंग्रेजी में हो गया है और इंगलिश वर्ज़न ऑथोराइज्ड ट्रान्सलेशन होना चाहिये था जो कि हिन्दी वर्ज़न में हो गया है। इसलिये में अर्ज करूंगा कि हिन्दी वर्ज़न को ओरिजिनल बिल में शुमार कर लिया जावे और अंग्रेजी वर्ज़न को ऑथोराइज्ड ट्रान्सलेशन में शुमार कर लिया जावे। विचारार्थ के पहले...

(विराम)

And then we proceed towards the passing of this Bill with the permission of this House. Of course it is only a mistake. As a matter of fact it makes no difference.

श्री अध्यक्ष : सर्कुलेट तो दोनों हो चुके हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, सिर्फ फर्क इतना ही है कि ओरिजिनल बिल हिन्दी वाले को शुमार कर लिया जावे और अंग्रेजी वाले को ऑथोराइज्ड ट्रान्सलेशन।

श्री श्रीमानसिंह : समझ में नहीं आया, which Bill is the authorised version ?

श्री दामोदरलाल : English version is to be treated as the authorised translation instead of the Hindi Bill which has been wrongly written as the authorised translat ion.

श्री श्रीमानसिंह : Mr. Speaker, Sir, I have read the authorised version ऑथोराइज्ड वर्ज़न इंगलिश का ही माना जाता है, while Hindi is considered as the authorised translation.

श्री अध्यक्ष : Both the Bills have been circulated; आप चलिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन विधेयक, १९५७ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन विधेयक, १९५७ को पारित किया जावे।

श्री तनसिंह : ये १२० मील की रफ्तार से जा रहे हैं। हमें मौका मिलना चाहिये कि हम ऐसे मौके पर इसके प्रिन्सिपल पर कुछ कह सकें। मैं मानता हूं कि मन्त्री महोदय इच्छुक हैं, इस बात का फायदा उठाने के लिये कि आज पहला ही दिन है और सभी सदस्य तैयार होकर आये नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष : आप तो सदैव तैयार रहते हैं।

श्री तनसिंह : इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि इसके प्रिन्सिपल पर पहले बहस करने के लिये हमें मौका मिलना चाहिये।

श्री अनोपसिंह : यह पहला दिन है। इस पर कुछ और विचार करने के लिये यह अच्छा रहेगा कि इसे कल रखा जावे।

श्री अध्यक्ष : इसकी तो आपको बहुत पहले इत्तला मिल चुकी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : No amendment has been received. This Bill was circulated long before and no amendments have been received.

श्री तनसिंह : After the Bill is introduced and a motion is made for its Consideration every member has a right to speack on its principles and as such I requested for the exercise of that right but the hon'ble Minister-in-charge is going far ahead.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have never disputed your right but that time has passed away.

श्री तनसिंह : The time has not passed but it has been pushed away.

श्री अध्यक्ष : There is no question of the time having been pushed away. There will be many occasions to speak on other amedments on almost same subject also.

श्री तनसिंह : पासिंग पर हो जावे, साहब। Then, Sir, let that discussion be at that stage.

श्री अध्यक्ष : मोशन हो चुका है, अगर आप बोलना चाहें।

श्री दामोदरलाल व्यास : Nobody is speaking.

श्री अनोपसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत प्रोपर था कि इस वक्त यह मौका दिया जाना चाहिये था।

जिस संशोधन को लाया जा रहा है वह ऐसा है जिसका बहुत से जागीरदारों पर असर पड़ेगा और खास कर उन पर पड़ेगा

(श्री अनोपसिंह)

जो छोटे हैं, जिनको रिहैबिलिटेट करना और उनको वापिस ठिकाने लाना, आज सरकार की पोलिसी है। उनकी जो हालत बिगड़ गई है, और आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, उनको थोड़ा बहुत आगे कायम रखना और वापिस अपने पैरों पर खड़े करने लायक बनाना, गवर्नमेंट की पोलिसी होते हुए भी हमारी समझ में यह नहीं आया कि इस संशोधन को लाने की ऐसी कौनसी जल्दी थी कि जो किसी गलती से, जागीर और जागीर भूमि रिज्यूम हो चुकी है, उस गलती को ठीक करने के लिये इसे यहां लाया गया है कि हमने जो पहले गलती की वह टीक है? इसका तो फिर मतलब यही है कि गलती तो आपने उस समय की थी, वह आप इस संशोधन के द्वारा आज मन्जूर कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : I think the hon'ble member does not know which Bill is under consideration and he is talking about some other Bill.

श्री अध्यक्ष : This is a different Bill.

श्री अनोपसिंह : वेलिडेशन के लिये है, यह मैं समझ रहा हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप समझ नहीं रहे हैं, यह बिल दूसरा है।

श्री अध्यक्ष : Bill No 30 of 1957.

श्री अनोपसिंह : कभी हिन्दी का वर्सन ठीक माना जाता है, कभी अंग्रेजी का। इससे समझ में आना मुश्किल है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप चाहते हैं कि एक बिल को दूसरा बिल मान लें।

श्री अनोपसिंह : पचासों बिल आ गये है।

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले आप तैयार होकर आते तो मालूम हो जाता।

(श्री अध्यक्ष से) मैं जवाब दूं ?

श्री श्रीभानसिंह : But, Sir, his arguments should be carried forward to the other Bill.

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह बिल तो इतना इन्नोसेन्ट है कि इसको माननीय सदस्य ने पढ़ा नहीं, नहीं तो वे इसके बारे में ऐसा नहीं कहते।

श्री अध्यक्ष : आप तो ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स पढ़ दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बिलकुल साफ है।

"According to the Rajasthan Jagir Decisions and Proceedings (Validation) Act, 1955 (Rajasthan Act 18 of 1955) the power of finally disposing of casses of succession to Jagirs is vested in the Collector, subject to two appeals and revisional powers of the Board of Revenue. Having regard to the complexity of issues which are involved in succession casses and with a view to safeguarding the interests of the State it is considered expedient to amend the law suitably so as to provide for the exercise of limited powers in such cases by officers of different grades and to confer the final

(श्री दामोदरलाल व्यास)

authority in such cases on the Board of Revenue. Hence the Bill". इसमें कोई बात नहीं है। केवल पॉवर ली है, नफा-नुकसान का कोई सवाल नहीं है। सिर्फ बात यह है कि कुछ केसेज़ ऐसे हैं जिनमें डिफ्रेन्ट अफसरों को डिफ्रेन्ट पॉवर्स दी गई हैं और इसलिये यह बिल लाया गया है। Ultimate authority is vested in the Board of Revenue which is the final Court of Appeal.

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेन्ट ने तो कोई पॉवर नहीं ले ली है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री तनसिंह : कोई न कोई नम्बर तो लगाया जायगा। नं० ३०, हर एक ही वेलिडेटिंग एक्ट है, लेकिन कौन सा है, यह पता नहीं चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : टाइटल में भी फर्क है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का सेशन प्रोरोग नहीं हुआ उसके पहले ही, जहां तक मेरी जानकारी है, ऑर्डिनेन्स जारी किया गया था और जब सेशन प्रोरोग नहीं होता है तो सेशन को चालू ही समझा जाता है, इस सूरत में अब जो इसको एक्ट की शक्ल दे रहे हैं यह संविधान के प्रतिकूल है और यह गलत है।

श्री दामोदरलाल व्यास : I have not followed my hon'ble member.

श्री अध्यक्ष : The hon'ble membea will please repeat.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है, यह पहले एक ऑर्डिनेन्स इश्यू किया गया था और उसको रिपील किया जाकर अब एक्ट की शक्ल दी जा रही है। इसको एक्ट की शक्ल देने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो इमर्जेन्सी पॉवर्स सरकार ने अख्तियार किये हैं वे पॉवर्स सरकार अख्तियार नहीं कर सकती जब कि सेशन शुरू हो। मेरी जानकारी यह है कि जब सेशन प्रोरोग नहीं किया गया उसके पहले ही राजस्थान सरकार ने एक ऑर्डिनेन्स जारी किया और जब तक सेशन प्रोरोग नहीं होता है तो उस हालत में सेशन को शुरू माना जाता है और इस दृष्टि से सरकार द्वारा इमर्जेन्सी पावर्स नहीं लिये जा सकते और अब जो अख्तियार लेकर इसको एक्ट बनाया जा रहा है वह संविधान के प्रतिकूल है। अत: इसको एक्ट के रूप में तब्दील करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की सूचना मेरे ख्याल से गलत है कि राजस्थान विधान सभा का सेशन चालू था उस वक्त में ओर्डिनेन्स ईश्यू किया गया; प्रोरोग करने के बाद ही किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : ओर्डिनेन्स की डेट बतायें।

श्री दामोदरलाल व्यास : I am not here for that purpose. ओर्डिनेन्स के रूप में कोई ऐतराज है ? He can challenge the validity of that Ordinance in a court of law.

श्री भैरोंसिंह : चेलेन्ज करना है तो हाईकोर्ट है, लेकिन यह जानकारी तो दें कि यह ऑर्डिनेन्स किस तारीख को जारी किया गया ?

श्री अध्यक्ष : अगर यह मान भी लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। विधेयक के रूप में लाते हैं और उसको पास करना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है।

श्री अध्यक्ष: उसके लिए दूसरा चारा है।

श्री भैरोंसिंह : अगर यह जानबूझ कर किया जाय तो सदन की शोभा के लिए उपयुक्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष : उसके लिए उचित कार्यवाही कर सकते है।

श्री भैरोंसिंह : उचित कार्यवाही तो उसी समय कर सकते है जब कि कोई अनुचित कार्यवाही हो रही है और उसको वहीं रोक दें।

श्री अध्यक्ष : बिल को कैसे रोक सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज राजस्व मन्त्री महोदय की ओर से हो रहा है, इसलिए इसको रोका जाय।

श्री अध्यक्ष : हमारे सामने कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन नहीं है, इसलिए नहीं रोका जा सकता।

श्री भैरोंसिंह : तारीख तो पूछ लें कि कौन सी तारीख को यह ऑर्डिनेन्स इश्यू किया गया ?

श्री अध्यक्ष : उनको मालूम नहीं है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक को पारित किया जाय ?

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता

श्री भैरोंसिंह : नो।

श्री अध्यक्ष : "हां" पक्ष जीता ?

श्री भैरोंसिंह: "ना" पक्ष जीता। I claim division on this issue.

श्री अध्यक्ष : एक दफा इसको और सुन लीजिये। प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

(पुनः मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : 'ना' पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : Do you want division ?

श्री अनोपसिंह : तारीख ही क्यों नहीं बता दी जाती ?

श्री अध्यक्ष : उनको मालूम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : हाउस में इस पर बोल रहे हैं और उनको तारीख का ही पता नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : २५ जुलाई। The Ordinance was promulgated on the 25th July.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : तारीख बताने में उनको क्या एतराज है ?

श्री अध्यक्ष : तारीख "२५ जुलाई" बताई।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय नहीं बता रहे हैं, दूसरे सदस्य बता रहें हैं, जो अनधिकृत है।

Page No.50

श्री अध्यक्ष : You still insist on Division?

श्री भैरोंसिंह ; Yes sir.

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय ?

(पुन: मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

विधेयक पारित किया जाता है।

१.३७ म० प०

राजस्थान विक्रय-कर (संशोधी एवं विस्तारी) संशोधन विधेयक, १९५७

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "Rajasthan Sales Tax (Amending and Extending) Amendment Bill, 1957" को विचारार्थ लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : इसका स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्टस एण्ड रीज़न्स नाकाफी है और सारे रीज़न्स का इसमें पता नहीं लगता है कि सरकार इसको क्यों चाहती है ? मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके सम्बन्ध में वे सदन में एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत कर दें कि इसकी आवश्यकता क्यों है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य ने इसमें जो कारण और स्पष्टीकरण के लिए वक्तव्य दिया है उसको पढ़ा है।

श्री भैरोंसिंह : अच्छी तरह।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : (भाषण जारी रखते हुए) वह इतना सीधा सा है कि वह उनकी समझ में आ जाना चाहिए था। जो स्पष्टीकरण इसमें दिया है उसके अलावा न कोई कारण है और न कोई और ध्येय है। अगर वह स्पष्टीकरण उनके समझ में नहीं आया है तो मैं समझा सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : नहीं आया है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पिछली विधान सभा ने सेल्स टैक्स में एक संशोधन स्वीकार किया था। सन् १९५४ में जो राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट है उसमें वह संशोधन प्रस्तुत किया गया जो कि ६ जून को ऑफिशियल गजट में शाया हुआ। उस बिल में यह कहा गया था कि यह ६ मई से लागू होगा। जब ६ जून को गजट शाया हुआ तो गजट में शाया होने के बाद से ही वह टैक्स लेना चाहिए था लेकिन जब कि वह ६ मई से ही पास किया गया था तो यह स्वाभाविक था कि ६ मई से ही सेल्स टैक्स लिया जाना था। इसलिए यह बात प्रशासन में बाधा डालती थी और गैर जरूरी तौर पर और शायद अन्यायपूर्ण तौर पर उनसे टैक्स लिया जा सकता था, अत: यह ऑर्डिनेन्स निकाला गया कि ६ मई से नहीं, ६ जून से ही सेल्स टैक्स लिया जायगा। एक महीने के अन्दर जो कुछ टैक्स लगा सकते थे, वह सब उस टैक्स से वच जायं, जिनका कि बचना वाजिब था और चूंकि उस समय विधान सभा का अधिवेशन नहीं हो रहा था, तो ऑर्डिनेन्स के द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करना था और अब विधान सभा का अधिवेशन हो रहा है तो यह संशोधन आपके सामने उपस्थित किया गया है। उसमें कोई महत्व की बात नहीं है और अगर है तो एक महीने के अन्दर

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

जिनसे टैक्स लिया जा सकता था उन्हें बचाने की बात है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यह तो आपने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स का हिन्दी अनुवाद कर दिया है। हमारे पूछने का तात्पर्य यह है कि प्रशासनिक कठिनाइयां आपके सामने आईं हैं, वे प्रशासनिक कठिनाइयां क्या हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उसके अनुसार वह टैक्स लिया जाना चाहिए था, जो कि कानून से टैक्स नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि गजट में छापा होने के बाद ही टैक्स लागू होता है। उस धारा के अनुसार उससे पहले से भी टैक्स लागू किया जा सकता था। इस कठिनाई से बचने के लिए यह आर्डिनेन्स निकाला गया और इसीलिए, चूंकि विधान सभा का अधिवेशन हो रहा है, उस आर्डिनेन्स के बजाय यह संशोधन आपके सामने उपस्थित किया गया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल मंत्री महोदय ने रखा है, मुझे इसके सम्बन्ध में एक बहुत गम्भीर आपत्ति है जो यह है कि एक बिल इसी सदन के पिछले सत्र के अन्दर अजमेर में सेल्स टैक्स लागू करने के लिए एमेंडमेंट के रूप में लाया गया था, उसी बिल में सत्र को चार महीने भी नहीं बीते कि अब एमेंडमेंट लाया जाता है। इस प्रकार से बराबर समझ में नहीं आता है कि कानून विभाग या वित्त मंत्री महोदय के सामने इस बात की स्पष्ट कल्पना नहीं है और बार बार सदन के सामने आता है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि सदन का समय अनावश्यक रूप से मंत्री महोदय या विभाग की गलती के कारण खराब किया जाता है, या यह भी हो सकता है कि जब अजमेर के लिए आप लोगों को यह पता चला कि राजस्थान के सेल्स टैक्स एक्ट को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होने पर उनको बहुत बड़ी रियायत मिलती है, क्योंकि वहां टैक्स पहले कुछ ज्यादा था और जैसा कि मैंने पहले बताया कि सरकार का ध्येय अधिक से अधिक किसी न किसी प्रकार से टैक्स लिया जाय, यह है, इसलिये यह चीज़ लाये। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने पर सरकार को हानि होती थी। उस हानि से बचने की कल्पना पहले विभाग के मन में नहीं आई थी और इन सारी परिस्थितियों का ज्ञान नहीं रखते हुए पहले एमेंडमेंट ले आये थे। अब उसके बाद में जब विभाग को यह पता चला, तो इस प्रकार से एमेंडमेंट लाया जा रहा है। मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय से, कि इस बिल को वे फिर विभाग के पास ले जायं, ताकि आयन्दा फिर कोई खामी न रहे। ६ महीने पहले अजमेर में सेल्स टैक्स लागू किया गया था और वह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया गया था और अब आप कहते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू न करें। इस प्रकार से यह विभाग की अयोग्यता है कि उसको इन सारी चीजों की कल्पना पहले नहीं होती है और बाद में जाकर, बातें सुझाकर सदन का समय खराब किया जाता है और जनता की गाढ़ी कमाई से जो टैक्स आता है उसको बरबाद किया जाता है। उन सारी कठिनाइयों से बचने के लिए मैं निवेदन करता हूं कि मंत्री महोदय कुछ समय और ले लें और फिर इसको अपने विभाग में ले जायं और इस पर पुनर्विचार करें और फिर सदन में लावें। अतएव जो इस रूप में बिल आ रहा है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य के सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कोई खास उत्तर की जरूरत नहीं हैं। एक कठिनाई कानूनन पैदा हुई थी, उसको हम लोगों ने अध्यादेश के द्वारा हल किया। अब आपके सामने सेशन में उठी कठिनाई को दूर करने के लिए संशोधन पेश किया गया है। मैं समझता हूं कि यह संशोधन वाजिब है और मैं आशा करता हूँ कि इस संशोधन को सदन स्वीकार करेगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या मंत्री महोदय बता सकेंगे कि इस बिल को दुबारा सदन में लाने में कितना धन खर्च हुआ होगा ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, चूंकि इसमें कोई संशोधन नहीं आया है इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह विधेयक पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया जाता है।

१. ४५ म० प०

राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेण्ट एण्ड एविक्शन) संशोधी तथा विस्तारी विधेयक, १९५७

(खंडशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेण्ट एण्ड एविक्शन) संशोधित तथा विस्तारी बिल, १९५७ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, क्लॉज बाइ क्लॉज़।

(विराम)

आपको (गृह मन्त्री) संशोधन है इसमें कुछ।

श्री रामकिशोर व्यास : There is no amendment and therefore they should be taken as read.

श्री अध्यक्ष : एमेन्डमेन्ट्स जो हैं उनके बारे में विरोध नहीं है इसलिये they are taken as moved.

श्री नरोत्तम लाल जोशी : I have an initial objection to the moving of the amendments of this amending Bill. When we come to the Objects and Reasons given by this Secretariat, we come to this Rajasthan premises (Control of Rent and Eviction) Act, 1956

कतिपय गृहादि (Premises) से निष्कासित किये जाने, उन्हें किराये पर उठाने का तथा किराये का नियन्त्रण करता है, किन्तु ऐसे गृहादि में ऐसी खुली भूमि, जो किसी भवन के साथ या स्वतन्त्र रूप से कृषि भिन्न प्रयोजनों के निमित्त किराये पर उठाई जाती है, शामिल नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आपकी (श्री जोशी की) सूचना के लिए निवे-

Page No.53

(श्री रामकिशोर व्यास)

दन कर दूं कि यह उसमें शामिल नहीं है। वह दूसरा बिल है जो कि इस वक्त कन्सीडरेशन में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिल नम्बर १२ ऑफ १६५७।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : No number is given.

श्री अध्यक्ष : Right hand top corner पर नम्बर दिया है।

श्री रामकिशोर व्यास : वह दूसरा बिल है जो कि बाद में आयेगा, जिसके लिए आप अर्ज कर रहे हैं वह दूसरा बिल है जो कि बाद में हाउस के सामने आयेगा।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : आपका कौन सा बिल है, नं० १२?

श्री अध्यक्ष : जी हां।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : आपके एमेंडमेंट कौन से बिल के है, नं० १२ पर?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : I am sorry.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत क्लॉज़ २ को ओमिट करने का संशोधन, क्लॉज़ २ में जो आया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया, परिणाम स्वरूप

क्लॉज़ २ विधेयक से पृथक किया गया।

(विराम)

क्लॉजेज़ ३ व ४.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ३ व ४ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ३ व ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ में जो यह सब्स्टीट्यूट करने का संशोधन है :

Extent, commencement and application.

(1) This Act extends to the whole of the State of Rajasthan.

(2) Sections 1 to 4 and 27 to 31 of this Act shall come into force at once, and the remaining provisions thereof shall extend to such areas in the State of Rajasthan and shall come into force therein with effect from such date as may from time to time be notified by the State Government in the official Gazette :

Provided that nothing in the Act shall apply :

(a) to any premises occupied by or belonging to the Central Government, or

Page No.54

(श्री अध्यक्ष)

(b) to any tenancy or other like relationship created by a grant from the State Government or the Central Government in respect of premises taken on lease or requisitioned by that Government, or

(c) To any premises which are meant to be places of public amusement or sport such as cinema buildings, theatres and the like and are let out for being used as such, or

(d) To any premises belonging to the State Goveanment or a local authority other than premises let out for commercial purposes nct being purposes mentirned in clause (c), or

(e) To any premises the construction of which was completed on or after the 1st June, 1951 for a period of seven years from the date of such completion."

उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५, संशोधित रुप से विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५, संशोधित रुप से, विधेयक में अंग रुप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ ६ से ८.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ६, ७ व ८ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लाजेज ६, ७ व ८ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ८ के पश्चात् एक नया क्लॉज़ ८ ए इस प्रकार जोड़ने का मंत्री महोदय का प्रस्ताव है :

'8A. Amendment of section 30. rajasthan act. XVII of 1950.

Section 30 of the principle Act shall be renumbered as sub-section (1) of that section and after the sub-section as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely :-

"(2) The enactments specified in column 1 of the Schedule are hereby repealed to the extent specified in column 2 thereof :

Provided that anything done or action taken before the commencement of the Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) amending and Extending Act, 1957, under the enacments hereby repealed shall, until varied or superseded under this Act, continue and be deemed to have been done or taken, as the case may be, under or in pursuance of this Act, as if it were then in force :-

(श्री अध्यक्ष)

Provided further that all cases, suits or proceedings under the enactments so repealed pending at the commencement of the Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Amending and extending Act, 1957 shall be determined and disposed of in accordance with the provisions of those enactments by the court, authority or officer competent thereunder to dispose of the same as if the said enactments were not repealed and the State Government shall have power, by notification in the official Gazettee, to appoint or authorise any officer by name or by Virtue of office to perform the duties and exercise the powers of such court, authority or officer under the enactments so repealed.'"

प्रश्न यह है कि एक नया क्लॉज़ ८ ए विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

नया क्लॉज़ ८ ए विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाज़ ९

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज़ ९ विधेयक का अंग बने।

(विराम)

क्लाज़ ९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाज़ ९ के पश्चात् क्लाज़ ९ए नया जोड़ने का मंत्री महोदय का संशोधन यह है :

"9A. Insertion of schedule in rajasthan Act XVI of 1950

After section 31 of the principal Act the following Schedule shall be inserted, nemely:-

"THE SCHEDULE

[See section 30 (2)]

LIST OF ENACTMENTS REPEALED

Description of enactment repealed	Extent af repeal
The Delhi and Ajmer Rent Control Act, 1952.	The whole in so far as it applies to the territory of the State of Ajmer as it existed immediately before the "1st day of November, 1656."
The Madhya Bharat Acco-mmodation Control Act, 1955.	The whole in so far as it applies to the territory comprised in the Sunel tappa of Bhanpura tehsil of Mandsaur district in the State of Madhya Bharat as it existed immediately before the 1st day of November, 1956.
The Bombay Rents, Hotel and Lodging House Rates Control Act, 1947.	The whole in so far as it applies to the territory comprised in the Abu Road taluka of Banaskantha district in the State of Bombay as it existed immediately before the first day of November, 1956."

Page No.56

(श्री अध्यक्ष)

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज़ ६९ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लाज़ ६९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लाज़ १०

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज़ १० विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ११ को हटाने सम्बन्धी मन्त्री महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११ को हटाने का जो संशोधन आया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया; परिणाम स्वरूप क्लॉज़ ११ विधेयक में से हटाया गया ।

(विराम)

शिड्यूल को विधेयक में से हटाने का मंत्री महोदय का संशोधन है ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि शिड्यूल विधेयक में से हटाने सम्बन्धी जो संशोधन है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

शिड्यूल को विधेयक में से हटाने संबंधी संशोधन स्वीकार किया गया । परिणामस्वरूप शिड्यूल विधेयक में से हटाया गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १ में मन्त्री महोदय का इस प्रकार का संशोधन है :

"In sub clause (2) for the words 'on such date as the Government may by notification in the official Gazette' substitute 'at once."

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ में जो संशोधन आया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ।

(विराम)

क्लॉज़ १, संशोधित रूप से, विधेयक में जोड़ा गया ।

(विराम)

इनेक्टिंग फॉर्मुला, टाइटल इत्यादि ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इनेक्टिंग फॉर्मुला, टाइटल इत्यदि विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

इनैक्टिंग फॉर्मुला, टाइटल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि बिल पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

१.५३ म० प०

राजस्थान संक्रामक रोग विधेयक, १६५७
(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान संक्रामक रोग विधेयक, १६५७ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री जगदीशप्रसाद (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, आज वास्तव में खुशी की बात है कि मंत्रीजी ने इस प्रकार का बिल पेश किया है। आज से कुछ दिन पहले जब यह बीमारी फैली थी, उसके बारे में इस बिल के पीछे लिखा है कि इन्फ्लुएन्जा को रोकने के लिये सरकार के पास अपर्याप्त साधन थे इसलिये यह बिल लाया गया है। आज से कुछ दिन पूर्व अखबारों में पढ़ा था, बाहर के अखबारों में तो नहीं किन्तु जयपुर के स्थानीय अखबारों में पढ़ा था कि मंत्री जी ने कहा है कि दुबारा अगर इस बीमारी का दौर आया तो हम उसे नहीं रोक सकेंगे; इसके निराकरण के लिये ही समझिये यह बिल आया है। लेकिन जिस समय यहां इन्फ्लुएन्जा आया और जिन कारणों से आया और जिन कारणों से उसे नहीं रोक सके उसके बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा है। जिन कारणों से इसका आना वे मानते हैं और उनके लिये जो रोक लगाने के बारे में लिखा है उनके बारे में मंत्री जी के विभाग ने क्या किया है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। मंत्री जी के विभाग ने उस समय जो सेवा की और जिस प्रकार जनता में यह बीमारी बड़े आराम से घर घर फैली उसके कारणों पर प्रकाश नहीं डाला। हमें पता है कि डिस्ट्रिक्ट आंथोरिटीज़ ने यह आदेश दिया है कि इस प्रकार के केसेज़ को रजिस्टर नहीं किया जाय। सीकर में हमने देखा कि इस प्रकार के केसेज़ को रेकॉर्ड नहीं किया गया। रेकॉर्ड पर इस प्रकार के केसेज़ नहीं लिखे जायं, इसका प्रबन्ध जरूर किया गया लेकिन इसको रोकने का प्रबन्ध नहीं किया गया। इस बिल में भी इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं है कि यदि यह बीमारी फैलेगी तो विभाग इसे रोकने के लिये फलाँ फलाँ प्रबन्ध करेगा और मंत्रीजी के विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की जायगी ? लेकिन यह लिखा हुआ है कि जनता विभाग की बात नहीं माने और टीका नहीं लगावे या हॉस्पिटल से गोली नहीं ले या घर का मुखिया यह नहीं लिखावे कि उसके घर में फलाँ आदमी बीमार है तो उसको ज़रूर सजा होगी। लेकिन जहाँ इंजेक्शन के बजाय पानी के इन्जेक्शन लगाये जाते हैं, इसके बारे में समय आने पर बताऊँगा, उनके लिये क्या सजा तजवीज़ की जाय, यदि इस प्रकार की बात का समावेश नहीं होता है, तो यह बिल अधूरा है। मैं चाहता हूं कि मंत्रीजी पहले इसके लिये एक कमेटी नियुक्त करते जो इस बात की जांच करती कि इस

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

बीमारी को नहीं रोक सकने के लिये कौन जिम्मेदार है और मंत्रीजी मुलजिम के रूप में उसके सामने उपस्थित होते क्योंकि प्रान्त भर के लिये वे ही जिम्मेदार हैं। प्रान्त भर में इतने आदमी मरे और यह बीमारी कितनी घातक है इस बारे में एक भी विज्ञप्ति नहीं जारी की गई। दैनिक समाचार पत्रों में जरूर विज्ञप्ति निकलती रही है कि इतने आदमी मरे और इतने आदमी इस बीमारी से पीड़ित हैं। लेकिन एक बात जरूर हुई कि अखबारों की खबरों का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं निकला। कभी कभी यह जरूर कहते कि अखबारों की यह आदत हो गई जो इस प्रकार का गन्दा प्रचार करते हैं, उनकी ऐसी मेन्टेलिटी हो गई है। लेकिन विभाग की तरफ से इस प्रकार का प्रबन्ध किया गया कि कोई यह नहीं कहे कि बीमार इस बीमारी से मरे हैं। यदि कोई मरता तो कहते कि एक दूसरी बीमारी चली है पेट की, उससे मरे हैं। समाचार पत्रों में भी इस प्रकार का समाचार पढ़ने को मिला था कि जयपुर वगैरह में ८० पर्सेन्ट मरीज़ ऐसे हैं जिनको पेट की बीमारी है, इसका कारण क्या है? उसके बारे में बताया जाता है कि यहां का पानी गन्दा है, इसके लिये म्युनिसिपेलिटी इन्तजाम नहीं करती है। लेकिन म्युनिसिपेलिटीज़ के भी मंत्रीजी इन्चार्ज हैं। प्रान्त भर में जितनी भी बीमारियां फैलती हैं उन सब का उत्तरदायित्व मंत्रीजी पर है। उससे बचने के लिये जनता से कहते हैं कि आयन्दा यदि संक्रामक रोग फैलेंगे तो हम इस प्रकार का काम करेंगे। इसके रोकने के लिये किस प्रकार जनता को व्यवस्था करनी चाहिये, यह कहा जाता है; लेकिन अस्पताल में पूरी दवाइयाँ तक नहीं दी जाती हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। सीकर जिले का केन्द्र है, वहां पर यदि किसी के हाथ की हड्डी टूट जाय तो डॉक्टर कहते हैं कि पट्टी बाजार से ले आओ, यह एक डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल का हाल है। तो सारी बातों पर पुनर्विचार करने के लिये इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय, ताकि सच्चा चित्र सामने आ सके, और इस पर विचार किया जा सके कि आयन्दा इस प्रकार की बीमारी फैलने का अंदेशा हो तो उसको किस प्रकार रोका जा सके। इस बिल को ठीक ढग से ड्राफ्ट किया जाय। मंत्रीजी केवल २ पेज के बिल से बीमारी को रोकने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

२. म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मदनसिंह (दांता) : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं क्योंकि वाकई में इस बिल को पेश करने का जो कारण है वह ऐसा कारण नहीं है कि जिससे वाकई बीमारी दूर हो सकती हो। यदि कानून बना देने से बीमारी दूर हो जाय तो इतने डाक्टरों का खर्चा क्यों है, इतने वैद्यों का खर्चा क्यों है, इतनी दवाइयों का खर्चा क्यों है, इतने प्रयत्न क्यों किये जा रहे है? वाकई में करना यह चाहिये था कि किसी तरह से यह रोग नहीं आ सके, इसके ऊपर सिलेक्ट कमेटी में विचार होकर यह बिल फिर हाउस के सामने रखा जाय तो प्रत्येक सदस्य को ठीक तरह से ज्ञान भी हो कि आज तक इन रोगों को मिटाने के लिए क्या प्रयत्न किये और किस ढंग से, किस तरीके से नई चीजें निकालीं।

(श्री मदनसिंह दांता)

इस प्रकार कानून विचार करने के बाद बनता है तो ठीक है, नहीं तो जैसे बहुत पुराने जमाने में हुआ, मुसलमानों के राज्य में हुआ, अन्य राजाओं के राज्य में हुआ जब कि कोई चीज नहीं सम्हलती थी, तो उसके लिए ऊट पटांग कानून निकाल देते थे। वैसे ही कानून आज निकल रहे हैं। सरकार कहती है कि ऐसे कानून निकाल देने चाहिये और वे कानून पास हो जाते हैं, यह हालत आज हो रही है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसमें मिनिस्टर महोदय को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, यदि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जाकर, जैसे अन्य कई बिल सिलेक्ट कमेटी में गये हैं और वे हाउस के सामने आने वाले हैं, इस हाउस में आयें तो खुद सदस्यगण महसूस करेंगे कि जो सिलेक्ट कमेटी में बिल जाकर हाउस में आते हैं तो उन पर कितनी अच्छी तरह से विचार होता है और उनमें कितनी गलतियां निकलती हैं और किस तरीके से किस ढंग से कानून आगे रखा जाय, यह भी साफ हो जाता है। इससे जनता में भी जब बिल जाता है तो उस पर ज्यादा विचार नहीं होता। इसलिए मैं जोरदार शब्दों से निवेदन करूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में रखा दिया जाय और वहां पर इस पर विचार हो जाय, यदि विचार करके सदस्यों को सन्तोष हो जाता है तो यह समझिये कि जनता को सन्तोष होता है, यदि सदस्यों को सन्तोष नहीं होता है तो जनता को सन्तोष नहीं होता है, यदि ऐसी चीजों के लिए वाद-विवाद होता है और यह चीज जनता में कही जाती है तो यह समझा जाता है कि बगैर जनता की मर्जी के ऐसी चीजें पास होती हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा हाउस के सामने, कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में रखा जाय।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बीमारी की रोक थाम के लिए जो बिल पेश किया है, उसके विषय में मुझे कुछ मालूम नहीं होता है कि किस तरीके से इस बीमारी की रोक-थाम होगी और कैसे यह बीमारी अपने देश में नहीं फैलेगी। कारण, कुछ दिनों पहले यह बीमारी बहुत फैल गई थी, तब अस्पतालों में लोगों को न तो दवाइयां मिली थीं और न डाक्टरों ने गावों का दौरा किया था। माननीय मंत्रीजी की तरफ से कुछ फार्म निकलते कि बीमारी की रोक-थाम के लिए इन्तजाम किया जा रहा है, तब जो यह बिल पेश होता तो हम आशा करते कि इस बिल का पास होना जरूरी है और हमारी जनता को जिन्दा रहने की आशा हो जाती, पर इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि इस बीमारी की किस तरह रोक थाम की जायगी और कैसे दवाइयों को अस्पताल में इस बीमारी की रोक-थाम के लिए रखा जयगा? इस साल जो इस बीमारी की रोक-थाम के लिए काम किया गया उससे यह मालूम नहीं होता कि हमारी गवर्नमेंट किस आधार पर उसकी रोक थाम कर रही है? यह जो पहले बीमारी फैल गई थी, उस वक्त फॉर्म निकल चुके हैं, लेकिन बीमारी का सिलसिला होता रहा और आज तक बीमारी होती रही है; आज भी देखने में आ रही है। यह बिल पेश हो रहा है, लेकिन इस बिल से खुलासा नहीं है, कि कहीं कहीं पर २०–२५ मील पर होस्पिटल नहीं हैं, छोटे मोटे दवाखाने नहीं हैं, तो वहां क्या इन्तजाम किया जायगा, इस बीमारी की रोक थाम के लिए दवाइयां किस किस जगह पर रखी जायेंगी? इस कानून से यह

(श्री मदनसिंह दांता)

मालूम होता तो फिर विरोध करने की जरूरत नहीं होती । इस बिल से यह स्पष्ट नहीं है । इस बीमारी की रोक-थाम के लिए जैसा पहले हो चुका है, उसी तरह फिर होगा । यह बिल प्रवर समिति को दिया जाय, ताकि सारा सारांश और मतलब कि कौनसी दवाई लगाई जाय, दवा कहां कहां रखी जाय, डॉक्टर के ऊपर जिम्मेदारी रखी जाय, तब जाकर पूरी कार्यवाही होगी । इस बिल में नाममात्र को कुछ बात बताते हैं और बिल पास हो जाता है, सिर्फ 'हां' और 'ना' का सवाल हो जाता है और बिल मंजूर हो जाता है । लेकिन यह मालूम नहीं होता कि क्या हो और किस तरह से बीमारी की रोक-थाम होगी ? इस कारण यह मेरा सुझाव है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि पूरा पूरा रेकार्ड बनाये और किस तरह से कार्यवाही होगी, कौन सी दवा दी जायगी और किस तरह यह बीमारी दूर होगी । इसलिए मेरा निवेदन है कि यह बिल प्रवर समिति को दिया जाय ।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो है, इसके द्वारा संक्रामक रोगों के बारे में कुछ अधिकार सरकार लेना चाहती है । मेरी समझ में नहीं आता कि सिलेक्ट कमेटी में जाकर, क्या इसमें ज्यादा बढ़ जायेगा और क्या कम हो जायेगा, जब कि यह मानते हैं कि संक्रामक रोग इस देश में हैं, आ रहे हैं और आयेंगे और उनकी रोक थाम भी करनी ही चाहिए । साथ ही यह भी अभी कहा गया कि दवाखानों में दवा नहीं है, फलां चीज नहीं है, क्या सिलेक्ट कमेटी में लेजाकर इस बिल में यह भी लिखवायेंगे कि दवा इतनी रखी जाय या फलां जगह दवाखाने खोले जांय । मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे युक्तिसंगत बिल के लिए भी यह कहा जाय कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय । यह बिल संक्रामक रोगों की रोक-थाम के लिए है । साथ ही यह भी कहा गया कि इन्फ्लुएन्जा आया, उसके कारण इतने लोग मर गये, लोग तो मर गये, इस लिये तो रोग की रोक-थाम के लिए यह कानून बनाया जा रहा है, इससे जरूर बीमारी में कमी होगी । आज एशिया में, यूरोप में हजारों लाखों व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हुए, और मरे भी । इसका कारण यह नहीं कि जो भी युक्तिसंगत बिल आये, उसे भी ढील-ढाल करके सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए हम अग्रसर हों । हमारा कर्तव्य है कि जो भी बिल जनता के फायदे के लिए जरूरी है, और जिसमें पेचदीगियां नहीं हैं उसको हमें पास कर देना चाहिए । इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जाय । इस बिल के द्वारा सरकार को कुछ अधिकार लेने हैं । मान लीजिए रोगी यात्री आते हैं, यदि सरकार को अधिकार नहीं है तो उन्हें आने से कैसे रोका जा सकता है ? यह बिल कुछ अधिकार के लिए है, जो कि जरूरी है । इसलिए ऐसे विधेयक में देर लगाना, सिलेक्ट कमेटी में भेजना जरूरी नहीं है, सिवाय खर्चा बढ़ाने के और देरी लगाने के, इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस प्रस्ताव के, कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाव, हक में हूं । इसकी वजह यह है कि यह जो बिल है एक पन्ने का, लेकिन इसमें ओम्नीबस क्लॉजेज् हैं । इन क्लॉजेज् में पॉवर्स मांगी है । ऐसी पावर्स से सरकार के अधिकारी लोग अपनी मन चाही कर सकेंगे । मैं समझता हूं कि

(श्री पी० के० चौधरी)

जब किसी लेजिस्लेशन को पास करें तो हमको एक्युरेट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, यह बराबर डिफाइन करके, एक्युरेट स्टेज में भेजना चाहिए। इस बिल में जो क्लॉज है, उनमें ओम्नीबस पावर्स को मांगते हैं। मैं समझता हूं कि सरकारी अधिकारियों को इस तरह के ओम्नीबस पॉवर्स नहीं देने चाहिए जिससे वे इसको मन-चाहा इस्तेमाल कर सकें। यह बिल पेश किया जाता है एपिडेमिक बीमारियों को रोकने के लिए। हमने सरकार का नमूना देखा है। जब इन्फलुएन्जा का अटेक आया था, उस वक्त क्या इन्तजाम किये थे ? एक लाउड स्पीकर बजाने के सिवाय मेरे ख्याल में सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। सरकार की तरफ से लाउड स्पीकर बजाया गया, फोटो खिंचवाई गई। मैंने खुद ने आंखों से देखा है, हैल्थ मिनिस्टर ने बस स्टेशन पर खड़े होकर, जो गांवों से शहर में आ रहे थे उनका फोटो खिंचवाया। जो देहातों से शहरों में आ रहे हैं, इनकी फोटो में हैल्थ मिनिस्टर भी है और कहा गया कि इन्फलुएन्जा देहातों से शहर में आया। इस नमूने का एक बहाना लेकर, मैंने देखा है, सिर्फ प्रोपेगेन्डा के सिवाय कुछ नहीं हुआ है।

रेल्वे स्टेशन पर ऐसे ऐसे लोगों को बिठा रखा था कि कोई क्लर्क है, कम्पाउन्डर है, वे जांच करें कि इन्फलुएन्जा है कि नहीं। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के बजाय, ऐसे लोगों को बिठाना चाहिये था जो कि डॉक्टर्स हों और समझें कि इन्फलुएन्जा क्या है ? हमारा जयपुर शहर जो केपिटल है, उसका नमूना देखा है, मैंने देखा है, जो लोग गाड़ी से ट्रेवल करते हुए निकले हैं, उन्होंने देखा होगा कि वे लोग बैठे रहे और बाजे बजाते रहे। ऐसे लोगों को बैठाते हैं, जो इन्फ्लुएन्जा का नाम नहीं जानते, उनको इन्फ्लुएन्जा जैसी एपेडेमिक बीमारी को रोकने के नाम पर रखा गया। इसलिये मेरा कहना है कि केवल कानून पास करने से कुछ नहीं होता, कानून पास करके आप लोगों को बता सकते हैं कि हमने कानून पास कर दिया पर उस कानून को अमल में लाने के लिए, इन्तजाम के लिये मशीनरी को हमें देना चाहिये। आपने लिख दिया कि इन्सपेक्टिंग ऑफीसर जिसको चाहेगा उसे रोक लेगा, कैम्प में डाल देगा, पर जिन लोगों को यह अधिकार दे रहे हैं वे लोग कौन हैं ? कम्पाउन्डर्स और क्लर्क लोगों की क्वालिफिकेशनस इस माने में नहीं के बराबर हैं। जिन्होंने रेल्वे से ट्रेवल किया वे लोग इस बात को जानते हैं, उनकी बात से मालूम पड़ता है कि मेडिकल इल्म उन्हें नहीं है। ऐसे ऐसे मेडिकल इन्सपेक्टर्स हैं कि जिनको चाहा क्वेरेन्टाइन में डाल दिया, जिनको चाहा बंद कर दिया। एपिडेमिक का नाम लेकर आपके अफसर लोग अपने ग्रूप बेसिस पर चलते हैं, मनमानी करेंगे। तो ऐसी सूरत में मैं यह समझता हूँ कि इस बिल को पास करना है तो एग्जेक्टली डिफाइन कर दिया जाय कि किस किस हालत में किन किन कन्डीशन्स में इसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह ओम्नीबस बिल द्वारा ओटोमेटिक पावर आप दे देते हैं, वह नहीं देनें चाहिये। एग्जेक्ट डेफिनेशन दे देनी चाहिये कि क्या प्रिवेन्टिव मेजर्स लेंगे। आपको यह साफ कर देना चाहिये कि सिनेमा के ऊपर कूओं पर, डी. डी. टी. डालने के लिये जिस पर इन्फेक्शन हो उस पर ऐग्जेक्ट डिफाइन कर देना चाहिये।

मैं यह जानता हूँ कि ये पॉवर्स मिनिस्टर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे इन पॉवर्स को कम्पा-

(श्री पी० के० चौधरी)

उन्डर लोग कर्ल्क लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे जिनको इल्म नहीं है कि इन्फ्ल्युएन्जा की बीमारी क्या है, जिस जिस से उनकी दुश्मनी होगी उस पर वे इन पॉवर्स को इस्तेमाल में लायेंगे। पिछले इन्फ्ल्युएन्जा के वख्त में जो हमने तरीका देखा, इस बिल को पास कर के वही तरीका चलेगा तो यह बिल पास करना बेकार है। इन्फ्ल्युएन्जा के टाइम में हमने देखा कि सिवाय लाउड स्पीकर बजाने के और फोटो खींचने के और कोई काम नहीं किया गया। टाइम्स ऑफ इन्डिया में फोटो आया है, हमने उसकी कापी रखी है, देहातों की तरफ से इन्फ्ल्युएन्जा के कीटाणु शहरों को आते हैं, इसके फोटो लेते हैं। मैं समझता हूँ इससे कोई काम नहीं चल सकता। जो लेजिस्लेशन है, मौजूदा कानून है उसके मातेहत अच्छे आदमियों को डेप्यूट कर दें तो उससे जो काम अच्छे तरीके से हो सकता है वह, वह इस तरह के कानून पास करने से नहीं हो सकता। जैसे बन्दर के हाथ में डंडा देते हैं, यह कानून पास कर के ईन्स्पेक्टिंग ओफीसर ऐसे लोगों को रखेंगे जिनको कोई मेडिकल इल्म नहीं है। इसलिये मेरा कहना है कि इस तरह के ओम्नीबस पॉवर्स देते हैं, उनको करटेल कर देने के लिये और इस पर विचार करने के लिये इसे सिलेक्ट कमेटी को भेज कर फिर इस पर विचार किया जाय।

श्री सम्पतराम (अकलेरा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संक्रामक रोग है उसको रोकने के लिए सरकार ने अधिकार प्राप्त करने के लिए यह विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है। स्वतन्त्र देश में जनता सरकार से यह आशा करती है कि संक्रामक रोगों से जनता की रक्षा की जावे और उसको फैलने को, पूरी ताकत से रोका जावे। जब जनता सरकार से यह आशा करती है, तो सरकार के पास ऐसे अधिकार अवश्य होने चाहिए जिससे संक्रामक रोगों के समय में सरकार एक प्रभावशाली कदम उठा सके। संक्रामक रोग इतनी तेजी और भयंकरता के साथ फैलते हैं कि उनकी रोकथाम के लिए तुरन्त ही कदम न उठाये जायं तो जनता को बड़ा भारी नुकसान पहुंच सकता है। संक्रामक रोग जहां भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है उन जगाहों, मेलों, सिनेमा घरों और हाटों के जरिये फैलते हैं। यदि सरकार के हाथ में ये अधिकार नहीं हों, सरकार अपने अधिकारियों को ये अधिकार नहीं दे, कि भीड़-भाड़ इकट्ठी न होने दी जाय, मेलों को रोका जाय, जिस एरिया में संक्रामक रोग फैला है, उस एरिया में मेलें न भरने दिए जायं, सिनेमा घर न चलने दिए जायं, अन्य भीड़ भाड़ का अवसर उपस्थित नहीं होने दिया जाय और जहां संक्रामक रोग नहीं हैं वहां अगर बाहर से कोई आदमी आता है, जहां यह संक्रामक रोग है, तो वहां की जनता को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए सरकारी अधिकारियों को अधिकार होने चाहिए कि उसे वहां जाने से रोक रखें और इस तरह के संक्रामक रोग फैलने से रोकने के लिये और उपाय काम में लायें।

ऐसी सूरत में सरकार से जनता आशा करती है कि सरकार हमें संक्रामक रोगों से बचावेगी, तो सरकार के हाथों में वे पावर्स अवश्य दिये जाने चाहिये।

कहा गया है कि इन्फ्ल्युएन्जा अभी दो-तीन महिने पहले चला था, वह देहातों से शहरों की ओर गया था, मैं इसको मानने को

(श्री पी० के० चौधरी)

तैयार नहीं हूं। यह वास्तव में शहर से देहातों की ओर गया था। यह विधेयक आज आया है, ये अधिकार अगर सरकार को सरकारी अधिकारियों को नहीं दिये जाते हैं, तो इन्फ्लुएंजा पर सरकार का कन्ट्रोल नहीं हो सकता। इस विधेयक में अधिकार दिये गये हैं उनके द्वारा सरकार ने इस संक्रामक रोग को रोकने में सफलता प्राप्त की है, भीड़ भाड़ नहीं होने दी, मेले नहीं होने दिये, जहां यह रोग नहीं फैला था वहां की जनता को रोगियों से दूर रखा गया, इससे देहातों में इन्फ्लुएंजा बहुत कम फैला और मृत्युएं बहुत कम हुईं।

ऐसी सूरत में जो मूल विधेयक पेश किया गया है उसको प्रवर समिति में भेजे बगैर मूल रूप में पास किया जाय।

मैं निवेदन करूंगा कि इसे प्रवर समिति में न भेजा जाय, यों ही पास किया जाय।

(दो सदस्यों के एक साथ बोलने को खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष: The Hon ble member on my right.

(विराम)

आरम्भ करिए

श्री किशनसिंह (लक्ष्मणगढ़): यह विधेयक, जो रखा गया है इसके सम्बन्ध में यह प्रस्ताव रखा है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय। मुझे ऐसा लगता है कि कार्य को रोकने के लिए इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: यह गलत कहा जा रहा है कि कार्य को रोकने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया है....

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर! ऑर्डर!!

श्री किशनसिंह: इन्फ्लुएंजा के वक्त प्रोपेगण्डा किया गया, फोटो लिये गए; तो क्या बीमारी फैले उस वक्त असेंबली बुलाई जावे और पॉवर लिये जावें। इस तरह की बातें कही गईं, उस दलील में दम नहीं। कहा गया कि ऐसे कम्पाउण्डर्स को भेजा गया जो योग्य नहीं थे। इस तरह की शिकायत की गई कि अयोग्य आदमियों को भेजा गया है, योग्य आदमियों को भेजा जाय। तो इसके लिए कहा गया कि ऐसी डेफिनिशन दी जाय कि ऐसी बीमारी फैले तो ऐसी योग्यता वालों को भेजा जाय, इस तरह के प्रोविज़न का क्लॉज़ रखा जाय। यह दलील काम की नहीं है। प्रवर समिति में जाने से यों ही देर लग जाती है। इस पर ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिये। इसलिए मैं यही निवेदन करता हूं कि विधेयक को पास किया जाय। मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री भोगजी (बांसवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो राजस्थान संक्रामक रोग विधेयक, संक्रामक रोग की रोक-थाम के लिए बिल पेश किया है उसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के लिए कहा है। मेरी भी यह राय है कि जो यह विधेयक है इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय। चूंकि इस रोग के साथ साथ संक्रामक भ्रष्टाचार रोग भी फैला है उसको भी रोकना है। पिछले समय हमने देखा है कि जो इन्फ्लुएंजा की बीमारी हुई उसमें कई लोगों जो बीमार थे और कई लोग जो मर रहे थे उनके लिए जब डॉ० के पास गये तो उनके पास कोई

Page No.64

(श्री भोगजी)

दवाइयों का प्रबन्ध नहीं था और लोगों को दवाइयें नहीं मिली और उसके फलस्वरूप कई लोग मर गये। लोगों ने इसके सम्बन्ध में शिकायतें कीं मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे बीमारी के मौके पर कोई दवाई न मिली और उसकी रोक-थाम के लिए यों ही बड़े बड़े लाउड स्पीकरों पर प्रचार किया गया और पर्चे निकाल कर लोगों को यह बतलाया गया कि संक्रामक रोग को जल्दी से जल्दी दूर किया गया, इस प्रकार का नाटक रचा गया। हमारे यहां बांसवाड़ा में गढ़ी तहसील में इस बीमारी के सिलसिले में अन्धुना गांव में बी० डी० ओ० के २८० रुपये दिये गये, मगर २॥ या तीन महीने तक वहां पर दवाई नहीं आई और उन लोगों ने उनकी शिकायत की तब वापिस रुपये दिये गये। इस प्रकार जब दवाइयें देने का मौका आता है दवाई दी नहीं जाती और इसका दुरुपयोग किया जाता है। इसके अलावा साथ साथ यह भी भ्रष्टाचार फैलता है कि दवाइयां खरीद कर दी जाने नाम पर और पैसे दे दिये जावें। इसलिये इस संक्रामक रोग के लिए पॉवर्स डॉक्टरों को नहीं दिये जावें ताकि उनका गलत तरीके से उपयोग किया जावे और पब्लिक को वक्त पर दवाई नहीं मिले। यदि इस प्रकार के अधिकार दिये जावेंगे, तो इससे भ्रष्टाचार भी फैलेगा। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाना मैं जरूरी समझता हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष, यह बिल जो सदन के सामने है उसमें दो बातें हैं :

पहली बात तो यह है कि जब कभी कोई संक्रामक रोग हो तो उसकी रोक थाम के लिए गवर्नमेंट को पॉवर्स दिये गये हैं, और दूसरी बात यह है कि वे पोवर्स दूसरे ओफिसर्स को भी डेलिगेट कर सकें, यह बात है।

इस सम्बन्ध में एक मुख्य बात कही गई है कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजा जावे कि पॉवर्स क्या होंगे यह डिफाइन किया जावे। इसके लिए मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि कौन सी बीमारी किस प्रकार की होगी, इसके लिए तो एक्सपर्ट डाक्टर ही अपनी राय दे सकता है और वही इस बात को बता सकता है कि कहां पर किस प्रकार के मेजर्स लेने चाहिये। इसलिए यह एक एक्सपर्ट की बात है यह बिल की बात नहीं है। बीमारी की हालत में फलां दवाई दी जावेगी यह कानून नहीं बता सकता, यह तो एक्सपर्ट डाक्टर ही बता सकता है, डॉक्टर ही बता सकता है कि है कि उसकी रोक-थाम के लिए क्या किया जाए। इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावेगा तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई लाभ नहीं होगा और मैं यह कहूँगा कि ऐसा ख्याल किया जा रहा है कि इससे गवर्नमेंट को कोई विशेष पॉवर्स दिये जा रहे हैं, यह भी उचित नहीं होगा क्योंकि बीमारी की हालत में डाक्टर की एक्सपर्ट एडवाइज़ पर ही काम किया जाता है।

इस सम्बन्ध में और भी एतराज किया गया है जिसका सम्बन्ध इससे नहीं है। कहा यह जाता है कि सरकार पॉवर्स ले लेगी, मगर सरकार संक्रामक रोग की रोक थाम के लिए क्या इन्तजाम करेगी तो इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले समय जो हमारे यहां एपेडेमिक हुआ उसकी ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं सदन की

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जानकारी के लिए यह अर्ज करूंगा कि सदन के सदस्यों को यह बात याद होगी कि इण्डिया के हेल्थ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया कि किन किन जगह यह बीमारी फैली और उसकी रोक थाम के लिए क्या क्या कदम उठाया गया। तो आप देखेंगे और आपको यह बात जाहिर होगी कि राजस्थान में दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में सबसे कम मृत्यु इस रोग से हुई और सबसे ज्यादा काम हुआ और लोगों को लाभ हुआ। शायद दो तीन ही मृत्यु इस रोग से हुई होगी इस तरह के फिगर्स हैं पूरे मुझे याद नहीं हैं।

फोटो की बात का जिक्र किया गया, मुझे मालूम नहीं, वह कौन सी फोटो है। हो सकता है कि मुझे कहीं जाने का मौका मिला हो और किसी ने मेरा फोटो ले लिया होगा। यों ही मेरे तो फोटो बहुत कम आते हैं और हो सकता है कि कहीं पर मैं इस बीमारी की रोक-थाम के लिए, क्या प्रबन्ध हो रहा है उसको चेक करने के लिए गया हूँ और ले लिया गया हो तो कोई बात नहीं है। मगर इसका सम्बन्ध इससे नहीं है। इस सिल-सिले में कई बातें हुई हैं मगर मैं यह कहूँगा कि यदि किसी दूसरी जगह से इसका कम्पेरिजन हो तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में इसकी रोक-थाम के लिए जो कार्यवाही की गई वह बहुत अच्छी थी और जो प्रान्त हमसे आगे बताये जाते हैं उनके फिगर्स हमसे बहुत ज्यादा थे और भी गौर करने की बात है कि इंगलैंड और अमरीका जहां उन्होंने दवाइयों को नेशनलाइज़ कर रखा है और इसके लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है वहां के फिगर्स भी हिन्दुस्तान से ज्यादा हैं। वहां पर स्कूलें बन्द हो गये और फिगर्स भी मृत्यु के हुई हैं। फिर भी यहां पर यह कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया।

अब रहा अखबार की खबर के बारे में, मैं इसके लिए अर्ज करूं, आपको याद होगा कि उस अखबार के बाद दूसरे अखबार में यह खबर निकली कि इस सम्बन्ध में मेरी राय क्या है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उस अखबार वाले को पब्लिश करने से पहले मैंने उसको मना कर दिया था और जो खबर पहले अखबार में दी गई वह गलत है और उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये। अतः मैं निवेदन करूंगा कि जिन सदस्यों ने यह प्रस्ताव पेश किया है वे अपना प्रस्ताव वापिस ले लेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस बिल के संबंध में विचार कर रहे हैं वह केवल ऐसा ही नहीं है कि एक पैसे से बढ़ाकर तीन पैसे का टैक्स लगा दिया जाय, लेकिन यह तो हमारे जीवन-मरण के प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है और इस प्रश्न को जिस प्रकार से सरकार ने उठाया है, वह वास्तव में आपत्तिजनक ही नहीं था बल्कि अगर वास्तव में घटना सही है तो क्यों नहीं सरकार एक निष्पक्ष कमीशन नियुक्त करती जो कि इस घटना की तह में जाये और सब बातों का पता लगावे। साथ ही जो बातें मैंने कहीं वह सही हैं तो मैं यह कहूँगा कि सरकार ने जानबूझ कर इस प्रकार के प्रयत्न किये। मन्त्री महोदय ने कहा कि हिन्दुस्तान के जो केन्द्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी इस प्रकार के स्टेटमेन्ट दिया कि राजस्थान में कम से कम इस बीमारी से पीड़ित हैं। बड़ी अच्छी बात है। केन्द्रीय सरकार से एक सर्टीफिकेट

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

मिल गया कि बड़ी अच्छी कार्यवाही की। लेकिन किस प्रकार की अन्डर हैंड कार्यवाहियां की गई वह किसी को नहीं पता। यहां सिनेमाओं को बन्द किया गया और सिनेमाओं को बन्द करने का कारण यह बतलाया गया कि इन्फलुएन्जा फैला हुआ है। आप देखिये, सिनेमाओं की इस दौरान में खोला गया तो ३ बजे से ६ बजे तक और ९ बजे से १२ बजे तक। तो ३ बजे से ६ बजे तक और ९ बजे से १२ बजे तक तो सिनेमाओं को चलाया जैसे कि इन्फलुएंजा एक ऐसा रोग है जो कि समय पर ही आएगा। ३ बजे से ६ बजे तक और ९ बजे से १२ बजे तक तो यह इन्फलुएंजा किसी को होगा नहीं और बीच का जो समय है, यानी ६ से ९ बजे तक का, अगर उसमें सिनेमा चला तो लोगों को इन्फलुएंजा आ जायगा। फिर इसके आगे और क्या किया गया, स्कूलों को बन्द कर दिया और इन स्कूलों को भी बन्द करने का कारण यही बताया कि शहर में इन्फलुएन्जा हो रहा है। मगर स्कूलें बन्द करने का कारण इन्फलुएन्जा नहीं था लेकिन उसका कारण था पुस्तकों का गलत राष्ट्रीयकरण। विद्यार्थियों को आज तक पुस्तकें नहीं मिली हैं यह था सही कारण स्कूलें बन्द करने का, और बहाना लगाया गया कि इन्फलुएन्जा हो रहा है। स्कूलें इसलिये भी बन्द रखी गई कि विद्यार्थियों का जो आन्दोलन चल रहा था वह जोर न पकड़ जाये। जोधपुर के अन्दर भी स्कूलें बन्द की गई और कहा गया कि इन्फलुएन्जा चल रहा है। तो जोधपुर में स्कूलें कोई इस इन्फलुएन्जा के कारण से बन्द नहीं की गई थीं परन्तु इस डर से कि जोधपुर के अन्दर भी यह आन्दोलन जोर न पकड़ जाये और वहां भी यह न फैल जाये इस कारण से स्कूलें वहां बन्द की गई। तो इस तरह से आड़, किसी न किसी की ली जाती है। छोटे बच्चों के लिये किताबें नहीं हैं, बड़े विद्यार्थियों में आन्दोलन फैल रहा है, इसलिये ही स्कूलें बन्द की गई, न कि इन्फलुएन्जा के लिए। इन्फलुएन्जा तो एक मात्र बहाना था। यह हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय की अन्डर हैंड टैक्टिक्स नहीं है तो और क्या है? उन्होंने इस प्रकार से इन्फलुएन्जा रोग का सहारा लेकर उनका कितना दुरुपयोग किया है यह सभी जानते हैं।

कहते हैं कि हमने तो इस प्रकार का कार्य नहीं किया और अखबारों ने इस चीज़ को गलत छाप दिया। वास्तव में अखबार जनतंत्र में जनता की राय को सामने रखने का एकमात्र साधन है और जब उनमें हमारी सरकार के विरुद्ध या किसी मंत्री महोदय के विरुद्ध कोई बात छपती है तो उसको वह बुरा मानते हैं और उनको नुकसान पहुँचाने की सोचते हैं। हमारी सरकार आज यह देखती है कि यह अखबार सरकार के विरुद्ध कोई भी बात लिखता है तो अखबार की जुबान किस प्रकार से बन्द की जाये और उसका एक ही साधन है कि इनको जो एडवरटाइज़मेन्ट दिये जाते हैं उनको बन्द कर दिया जाय। जो राष्ट्रदूत अखबार है, उसके बारे में पहले हमारे सदन में काफी चर्चा हुई थी। लेकिन इन्फलुएन्जा को लेकर अखबारों के एडवर्टाइज़मेन्ट बन्द कर सकते हैं तो सचमुच बड़े ही आश्चर्य की बात है। अखबारों ने जब इन सिनेमाओं के बन्द करने पर सरकार की आलोचना की तो सरकार ने सिनेमाओं के मालिकों से कहकर एडवर्टाइज़मेन्ट देना बन्द करा दिया।

सेल्स टैक्स के आन्दोलन के समय किसी तरह जनता आन्दोलन न करे और उस

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

आन्दोलन को कैसे बन्द किया जाय तो आखिर किसी न किसी की तो आड़ लेनी ही चाहिये। इसके लिये काम तो हरिभाऊ जी का था, उन्होंने सोचा कि इसके लिये कौन आदमी को आड़ बनाया जाय, तो उन्होने सोचा कि स्वास्थ्य मंत्री जी को आगे कर दें, तो शहर में मीटिंग न हो, इसके लिये धारा १४४ लगा दी गई और कहा यह गया कि इन्फ्लुएन्जा हो रहा है।

तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एन्फ्लुएन्जा के पीछे इनकी क्या क्या अन्डर हैंड टैक्टिक्स थीं उनको बहुत कम लोग जानते हैं। इसके लिये मैं कहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय एक दिन तय करें कि इन्फ्लुएन्जा की बीमारी को रोकने के लिये सरकार सफल हुई या नहीं हुई। मैं कहता हूं कि इन्फ्लुएन्जा के लिये एक दिन की बहस रखी जाये जिससे यह मालूम हो जाय कि हमारी सरकार इस इन्फ्लुएन्जा को रोकने में कहां तक सफल हुई है? अगर मंत्री महोदय का दिल साफ है और उनका दिमाग साफ है और अगर वे साफ दिल से हमारे सामने आना चाहें तो एक दिन, इन्फ्लुएंजा को रोकने में सरकार कहां तक सफल हुई है, मुकर्रर कर लिया जाय। उनको जो कहना है वह कहें और जो हमारे पास में तथ्य हैं वे हम रखें। तो जैसा मैं बता रहा था कि अखबारों ने लिखा कि सिनेमाओं को बन्द करने की सरकार की गलत नीति है और इस सम्बन्ध में सरकार ने देखा कि लोकवाणी ज्यादा बोलता है तो उन्होंने सिनेमाओं के मालिकों से कहा कि लोकवाणी को एडवर्टाइज़मेन्ट मत दो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (स्वायत्त शासन मंत्री) : यह बात गलत है। गवर्नमेन्ट ने किसी के भी एडवर्टाइज़मेंट बन्द नहीं किये और न कराये। और न ऐसे आदेश ही जारी हुए।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (जारी) : यह मैं कहता हूँ कि गवर्नमेन्ट के आदेश नहीं हुए हैं लेकिन सिनेमा वालों से कह कर उनके एडवर्टाइज़मेन्ट बन्द कराये। यह जरूर है कि केन्द्रीय सरकार का एक सर्टीफिकेट मिल गया। मैं पूछता हूं कि क्या राजस्थान की जनता ने उनको कोई सर्टिफिकेट दिया? अब सरकार के सक्युलर या फाइल तो हम चुरा नहीं सकते। मंत्री महोदय से अगर पूछेंगे तो वह कह देंगे कि इस प्रकार का कोई सक्युलर जारी नहीं किया गया लेकिन मैं सही कहता हूं कि इस प्रकार के सक्युलर जारी किये गये थे कि इन्फ्लुएन्जा के केसेज़ ज्यादा से ज्यादा एन्टर किये जायें। उस समय तो जो भी केस आये उनको इन्फ्लुएन्जा का केस डिक्लेयर करके एन्टर कर लिया जाता था.......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सफेद झूठ है। ऐसे सक्युलर कभी जारी नहीं किये गये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि मंत्री महोदय जरूर नटेंगे कि इस प्रकार के सक्युलर जारी ही नहीं किये गये। लेकिन मैं भी कहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर!! माननीय सदस्य के पास अगर कोई सक्युलर हो तो वह दें, अन्यथा एसी बातों का जिक्र सदन में करना मैं उचित नहीं समझता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह भी ईमानदारी की बात होगी कि कांफीडेन्शियल जितने भी सक्युलर हैं वे

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

कॉन्फीडेन्शियल ही रहें । हमें जो जानकारी प्राप्त होती हम उसी के आधार पर कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यदि ऐसा भी है तो आप उसका नम्बर बता दीजिये तो हम उसको यहां लाने का प्रयत्न करें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसका मतलब यह हुआ कि चोरी हुई । अगर ऐसी बात नहीं है तो मैं कहता हूं कि यह सही है कि जितने भी जिले हैं और उनके अन्दर जो मैडिकल आफिसर हैं उनका यह प्रयास चलता था कि ज्यादा से ज्यादा केसेज़ एन्टर किये जायें । मुझे याद है कि उस समय किसी प्रकार मुहल्लों के अन्दर मीटिंगें होती थीं और केसेज़ रजिस्टर होते थे । यह सही स्थिति है ।

आप एक एक परिवार के अन्दर जाकर देखिये । मैं सक्युंलर तो पेश नहीं कर सकता हूं । जब मैं भी और आप भी इसी जन समाज के प्रतिनिधि हैं, एक एक घर के अन्दर जाकर देखा जाय तो मालुम होगा कि हर परिवार के अन्दर कोई न कोई आदमी इस बीमारी से जरूर पीड़ित था जयपुर के अन्दर ही मैं रहा हूं और प्रान्त के अन्दर घूमने का अवसर मिला है, उस समय सभी जगह त्राहि-त्राहि मची हुई थी । तो इस बीमारी को चैक करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाये, मैं चाहता हूँ कि इसके लिए एक कमीशन नियुक्त कर दिया जाय । आप निष्पक्ष आदमियों का एक कमीशन क्यों नहीं नियुक्त कर दते कि वह इस चीज की जानकारी प्राप्त कर सकें, कि वास्तव में क्या स्थिति थी ? अगर यह सही बात नहीं है जो मैंने कही है तो लोकवाणी अखबार भी यहीं है, सिनेमा वाले भी यहीं हैं। लोकवाणी और सिनेमाओं से पूछ लिया जाय कि उसके एडवरटाईज़मेन्ट बंद हुए या नहीं ? राष्ट्रदूत का सारा किस्सा क्यों चला था ? तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से सरकार की अन्डर हैंड टेकटिक्स चलती है । अखबार वास्तव में जनता का प्रतिनिधि है । वह जनता के सामने किसी भी चीज़ को सही स्थिति रखने वाला है तो फिर मैं पूछता हूँ कि ऐसी कार्यवाही क्यों होती है ? अगर जनतंत्र को आज हमारे देश में पनपाना है तो हमें इस प्रकार की अन्डरहैंड टेकटिक्स को छोड़ना होगा । मैं कहता हूँ कि जब इस प्रकार की घटनाएँ हुई तो क्यों नहीं सदन का सत्र एक ही दिन के लिए बुलाया गया । क्या विद्यार्थियों का आन्दोलन चल रहा था, इसलिए नहीं बुलाया गया ? या हमारे माननीय मंत्री महोदय अपने आप को कमजोर फील करते थे या वह फिर यह सोचते थे कि जब सारे राजस्थान के प्रतिनिधि यहां आयेंगे तो क्या कहेंगे ? मैं कहता हूँ कि इस रोग से कौन ग्रसित नहीं हुआ ? प्रतिनिधि भी इस रोग से ग्रसित हुए। यहां तक कि हमारे माननीय मुख्यमंत्रीजी को इन्फ्लुएन्जा हो गया । जो कि राज्य के एक मात्र प्रतिनिधि हैं और जब हमारे राज्य के फर्स्ट सिटिजन को ही इन्फ्लुएन्जा हो गया तो बाकी की क्या हालत होगी ?

हमारे मुख्य मन्त्री जी भी इस इन्फ्लुएन्जा रोग से ग्रसित हुए थे हालां कि उनके लिये सभी प्रकार के साधन और सुविधायें मौजूद थीं । जहां तक मुझे मालूम है माननीय स्वास्थ्य मन्त्री भी इस रोग से ग्रसित हुये थे । आज जो यह कानून बनाया जा रहा है वह रोग को रोकने के लिए नहीं, बल्कि जिन लोगों ने गलत खबर दी है और केन्द्रीय सरकार को गलत खबर दी है और जिन लोगों

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

के प्रयत्न से इस प्रकार की गलत खबर अखबारों में आयी उनको प्रोत्साहन देने के लिए यह बनाया जा रहा है। इस रोग से कितने व्यक्ति मरे इसके आंकड़े माननीय मन्त्री महोदय को भी मालूम नहीं है, वे भी डेफीनेट फीगर्स नहीं बता सकते। राष्ट्रदूत अखबार में इस बारे में जो खबर छपी थी कि इससे ६–१० आदमी मरे हैं उसको भी करेक्ट नहीं किया गया। माननीय मन्त्री महोदय खुद यह चाहते हैं कि जो तथ्य हैं उनको जान बूझ कर छिपाया जाय और जो लोग छिपाते हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाय। यह ठीक है कि यह संक्रामक रोग है, लेकिन इस रोग के साथ साथ जनतन्त्र को बरबाद करने वाला जो संक्रामक रोग हमारी सरकार को लगा हुआ है, उसके उपचार का कोई उपाय नहीं किया जाता। संक्रामक रोग यदि समाज के अन्दर बढ़ता है तो उसको रोकने के अन्य तरीके भी हैं उसके लिए कानून भी है, उसके अन्तर्गत सजा भी दी जा सकती है।

मैं यह मानता हूं कि जब तक इस कानून के अन्दर इस बात का प्रोवीजन नहीं होता कि जो लोग संक्रामक रोग के रोकने के लिए उत्तरदायी हैं, जो लोग ठीक ढंग से काम नहीं करते उनको सजा दी जाय, वे सही मायने में इसके अपराधी हैं। बहुमत के आधार पर आप इस बिल को पास करवा सकते हैं और बिल पास हो भी जायगा, लेकिन उसका मतलब यह है कि आप उन लोगों को संरक्षण देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस रोग से राजस्थान में लाखों आदमी ग्रसित हुए थे लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार को गलत सूचनायें देकर उनसे सार्टिफिकेट हासिल कर लिया गया ताकि यह दिखाने के लिये कि कोई भी अगर बात बनायेगा तो उन पर किसी प्रकार की आंच आने वाली नहीं। इस प्रकार जो नौकर-शाही को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वह गलत है। आज जो लोग उधर बैठे हुए हैं वे किसी समय नौकर शाही की आलोचना किया करते थे, वे कहते थे कि हिन्दुस्तान में जो हुकूमत हो रही है, वह नौकर-शाही की हुकूमत है, हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र नहीं लेकिन आज वे ही लोग नौकरशाही को प्रोत्साहन देने के कानून बना रहे हैं ताकि वे अपनी कमजोरियों को छिपा सकें। आप भी जनता से चुने हुए आये हैं, आप और हम सब जिम्मेवार सदस्य हैं, क्या हम इस प्रकार का कानून बनाकर क्या नौकरशाही को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं? इसके लिए माननीय मन्त्री महोदय, स्वयं दोषी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अधिक पुनरावृत्ति हो रही है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पुनरावृत्ति नहीं स्पष्टीकरण कर रहा हूं।

एक बस का फोटो भी अखबारों में निकला था, जिसमें हमारे माननीय स्वास्थ्य मन्त्री यात्रियों को चेक करते हुए दिखाये गये हैं। मैं नहीं समझ सकता कि वे कौन से डॉक्टर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : It has been repeated several times.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बिलकुल गलत है कि मैं चैक कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से ऐसा कोई फोटो नहीं निकला है। यह बात जरूर है कि डॉक्टर चैक कर रहा है, मैं चैक भी नहीं कर सकता। मैं तो पास में खड़ा था।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस प्रकार का फोटो भी पेश किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : It was by coincidence, Hon' ble Members. We are not discu ssing the photographshere. I think much has been said already.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में एक बार फिर माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का बिल राजस्थान में पास कर, कोई दूसरी स्टेट्स के लिये अनुकरणीय उदाहरण नहीं रख सकते। वैसे भी आप संक्रामक रोग को रोक सकते हैं, बिना कानून पास किये भी। मैं चाहता हूं. इस बिल को, इस प्रकार से ड्राफ्ट किया जाय, ताकि किसी प्रकार की खामी नहीं रहे। भविष्य में जिस प्रकार अखबारों के एडवरटाइजमेण्ट रोकने की नौबत न आये, स्कूलें बन्द न हों, इस प्रकार की बातों का समावेश करने के लिये, मैं समझता हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाय, इसमें किसी प्रकार की वैमनस्य की बात नहीं समझनी चाहिये। हम सब लोग एक ही समाज से चुने हुए हैं, हममें जहां तक समाज की सेवा का ताल्लुक है, किसी प्रकार के भेद भाव की बात नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय, मनोमालिन्य की बात को छोड़ कर, इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये राजी हो जायेंगे यही निवेदन कर, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

२. ४८ म० प०

राजस्थान सिविल कोर्ट्स संशोधन विधेयक, १६५७

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सिविल कोर्ट्स (अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५७ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Motion moved.

(विराम)

प्रश्न यह है कि यह विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सिविल कोर्ट्स अमेन्डमेन्ट बिल, १६५७ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह विधेयक पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

राजस्थान सिविल कोर्ट्स (अमेन्डमेण्ट) विधेयक, १६५७ पारित हुआ।

राजस्थान जागीर भूमि पुनर्ग्रहण (वैधकरण) विधेयक, १६५७

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि पुनर्ग्रहण (वैधकरण) विधेयक, १६५७ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिल को पारित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

२. ५० म० प०

राजस्थान जनरल क्लॉजेज (संशोधन) विधेयक, १६५७

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मन्त्री) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान जनरल क्लॉजेज (संशोधन) विधेयक, १६५७ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री उपाध्याक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

(स्वीकृत)

(विधेयक विचारार्थ लिया गया)

श्री रामकिशोर व्यास (विधिमन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिल को पारित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

२. ५१ म० प०

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (छठवां संशोधन) विधेयक, १६५७

(विचार–विमर्श)

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लैण्ड रिफार्मस एण्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स (छठवां संशोधन) विधेयक, १६५७ विचारार्थ लिया जावे।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो जो विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, वह बहुत छोटा सा है, लेकिन इस बिल को यदि गहराई से देखा जावे तो मालूम होगा कि यह जितना छोटा है उतना ही खतरनाक भी है। इस बिल के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जितने भी मन्दिर या चैरिटेबल या रिलीजियस इन्स्टीट्यूशन्स हैं और जिनको ग्रांट या पट्टा इस पर्पेज के लिये हुआ है वे सारी की सारी जागीरें, इस कानून के बनने के बाद से, रिज्यूम समझी जावेंगी और जो जागीरें रिज्यूम हो जावेंगी उनको इसके बाद उनकी नैट इन्कम उन मन्दिरों के महंतों को या पुजारियों को मंदिर की सेवा के लिए मिलेगी।

(श्री भैरोंसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, कहने को यह बड़ी सुन्दर बात लगती है। इस जिले के स्टेटमैंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में उपाध्यक्ष महोदय, हमारी राजस्थान की सरकार ने राजस्थान सरकार के मुकाबले में मंदिरों के जितने भी प्रबंधकर्ता, महंत या पुजारी हैं, उनके ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि उनका प्रबंध अच्छा नहीं है। मैंने जो मुकाबले शब्द का प्रयोग किया है उपाध्यक्ष महोदय, उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान की सरकार, उसके मंत्री महोदयगण व राजस्थान की समस्त जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि आज कल का, इस सरकार का प्रशासन कितना उपयुक्त है, कितना सस्ता न्याय मिलता है, कितनी जल्दी सुनवाई होती है। जिस प्रकार का जस्टिस हमें मिलता है, प्रशासन, हमारे केसों को जिस प्रकार से निपटाता है, उसको देखते हुए, मैं समझता हूं कि राजस्थान के प्रशासन की, और मदिरों के प्रशासन की और दोनों की तुलना की जावे और उस तुलना में, उन मंदिरों के प्रशासन को, जो सरकार के आधीन हैं, उस विभाग से तुलना की जावे तो मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर, राजस्थान की सरकार के अंदर, जो देवस्थान विभाग है, उसकी तुलना यदि राजस्थान में जो प्राइवेट मंदिर हैं, रिलीजस इंस्टीट्यूशन्स हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनके प्रशासन से तुलना की जावे, तो मैं मानता हूं मंत्री महोदय भी इस पर विश्वास करेंगे और मानेंगे कि उनका प्रशासन, उनके देवस्थान विभाग के प्रशासन के मुकाबले में कहीं ज्यादा अच्छा है। मैं समझता हूं कि मंदिरों के प्रशासन में कहीं खयानत का मामला नहीं आता। हिसाब किताब की गड़बड़ी करने का सवाल नहीं आता। अपने काम में पूंजी को इस्तेमाल कर लेने का मामला नहीं आता, जब कि सरकार का यह देवस्थान विभाग इस बात के लिए मशहूर है। इसमें खयानत भी होते हैं, अधिकारियों को पता नहीं कि राजस्थान के देवस्थान विभाग के अंदर कितने मंदिर हैं, कितनी मंदिर की कैटेगरीज़ हैं, किस कैटेगरीज़ के मंदिर को कितनी सरकारी सहायता मिलती है और उसका किस प्रकार से उपयोग होता है, उनको यह भी पता नहीं कि उनकी प्रोपर्टी कितनी कितनी है ? मुझे तो इस बात का अफसोस है कि कई मंदिरों की प्रोपर्टी की लिस्ट भी उनके पास नहीं है। केवल इतना लिखा है कि इस मंदिर के फलां मकान में सील मोहर में सामान पड़ा है, वह सामान उनका है। सील मोहर पर राजस्थान सरकार के अधिकारियों के दस्तखत होते हैं। मैं नहीं कहता कि वे अधिकारी कोई गड़बड़ कर सकते हैं। पर आज कल जिस प्रकार का बावेला मचा है और सरकारी अधिकारियों में और सरकारी प्रशासन में, जिस प्रकार का भयंकर भ्रष्टाचार पनप रहा है और जिसको, आज सरकार के बड़े बड़े कर्णधार मान रहे हैं और जिसको दूर करने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं, स्पेशल आई. जी. पी. बाहर से बुलाकर और बड़ा भारी खर्चा उठा कर, जिसे दूर करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, तो जिस प्रशासन में आज इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके एक अंग पर इतना विश्वास किया जा रहा है कि उनके दस्तखत से सील मोहर है और उस सील मोहर में जितना सामान रक्खा है वह सब सुरक्षित है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम दूसरों पर इल्जाम लगावें, दूसरों पर पत्थर फेंके, उससे पहले अपनी तस्वीर कांच में देख लें। अगर आपको अपना मुंह साफ लगता है, अपना प्रशासन ठीक मालूम होता है तो निश्चित रूप से दूसरों

(श्री भैरोंसिंह)

पर इल्जाम लगा सकते हैं। पर स्वयं कांच के महल में बैठ कर निश्चिंत होने वाले दूसरों पर पत्थर फेंकेंगे तो निश्चित रूप से, वह कांच का महल ढहेगा।

यह बिलकुल सही बात है। राजस्थान के मंत्री महोदय, पहले अपने देवस्थान विभाग को देखें, उसके काम को, उसके प्रशासन को देखें और ठीक करें और इसके बाद, अगर उनको तसल्ली हो कि उनके देवस्थान विभाग का काम ठीक चल रहा है और अब दूसरे मन्दिरों का प्रबन्ध भी हाथ में लेना है, तो फिर सदन में एक्सप्लेनेशन दें और उन्होंने जो इल्जाम लगाया है मिसमेनेजमेन्ट का, दूसरे मंदिरों के संचालकों पर, उसको साबित करें, सुबूत दें, तो अच्छा होगा। मैं कहता हूँ कि शायद किसी भी मंदिर के लिए राजस्थान सरकार के और मंदिरों की तुलना में यदि ज्यादा पर्सेन्टेज में गड़बड़ी होती है तो इसके लिए वे आंकड़े प्रस्तुत करें, मंदिरों की किसी की अगर उन्होंने चैकिंग की हो हो और उसके बाद अगर कोई रिपोर्ट आई हो तो वह प्रस्तुत करें, वहां के महन्तों या अन्य संचालकों का प्रशासन अच्छा नहीं है, या आमदनी का सदुपयोग नहीं हो रहा है या महन्त भ्रष्टाचार का पुतला है तो उसका सुबूत पेश करें।

मैं समझता हूँ कि जिस समय राजस्थान में सेटलमेन्ट हो जाता है तो मन्दिरों की नैट इन्कम रहती है और उस नैट इन्कम को भी जागीर रिजम्प्शन एक्ट में जिस प्रकार से नैट केल्कुलेट किया है, वह प्रकार, इस प्रकार का है कि जो मन्दिरों की आमदनी है, उसमें भी छीना झपटी करें। आज के युग में, जहां भौतिकवाद का ज्यादा प्रचार हो रहा है, अनैतिकता फैलती चली जा रही है, लोग आध्यात्मिक जीवन से गिरते चले जा रहे हैं, उस समय आध्यात्मिक दृष्टिकोण जिनका रहा है और चल रहा है और जिनके द्वारा मानव आज आध्यात्मिक दृष्टिकोण की तरफ मोड़ा जा सकता है, नैतिक जीवन की प्रेरणा जिनकी ओर से मिल सकती है, उनके बारे में आज इस सरकार की यह धारणा बने कि ये निरुपयोगी हैं, आज के समय में इनका कोई उपयोग नहीं रह गया, तो यह बड़े दुख की बात है। मैं मान सकता हूँ कि आज जिस प्रकार के आरोप लगाये जा रहे हैं उन पर, जिस प्रकार की बातें कही जा रही हों, उन में कुछ सत्य भी हों, उनका, उतना उपयोग न भी रह गया हो, आध्यात्मिकता में उनकी आस्था न रह गई हो, वे आज के समय के उपयुक्त न रह गये हों, पर आज के ये भौतिकवादी मनोवृत्ति वाले प्राणी और ये अध्यात्मवाद में विश्वास न रखने वाली सरकारें, आज यह महसूस भले ही न कर रही हों, पर वह समय भी आने वाला है, जब कि ये बड़े बड़े नेता और ये सरकारें महसूस करने लगेंगी और आज बहुत से महसूस करने भी लगें है, क्यों कि वे आज राष्ट्रीयता और आध्यत्मिकता दृष्टिकोण की बात भी करने लगे गये हैं, तो जहां आज ऐसी बातें पनपने लगी हैं, वहां यह इस बात का संकेत है कि आज के युग में नैतिक उत्थान की बातें भी लोग सोचने लगे हैं। नैतिक चरित्र की बातें आज चलने लगी हैं तो मैं इस रूप में कह सकता हूं कि जबतक लोगों को अपनी मानवता के आध्यात्मिक दृष्टिकोण का ज्ञान नहीं होगा तब तक नैतिक उत्थान नहीं हो सकता।

अब इन संस्थाओं का जो इन्तजाम है वह अच्छा नहीं यह कह कर इस बिना पर

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार उनमें हस्तक्षेप करेगी, यह इस एक्ट में प्रोविज़न है। यह एक बड़ी खतरनाक बात है। इस की आड़ लेकर किसी पर भी यह इल्जाम लगाया जा सकता है और इस तरह से मन्दिर की सारी प्रोपर्टी जरूर छीन ली जावेगी और उनको नैट इन्कम दी जावेगी, यह भी कहा गया है। इसमें भी रहस्य भरा है। अब किसी की पचास रुपया साल की आमदनी है। अब यह नैट ५०) की आमदनी दी जावेगी तो इसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ काटे जावेंगे, दस परसेन्ट के हिसाब से, और अगर किसी की ज्यादा आमदनी है, तो उस पर्सेन्ट से एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ के नाम पर काटा जावेगा। तो जहां इस प्रकार की परिस्थिति है राजस्थान की सरकार की, उस स्थिति में तो मैं यही कहूँगा, यह जो मन्दिरों से भीख मांगने का काम सरकार करती है, यह किसी भी रूप में उचित नहीं है। एक ५०) रुपये की आमदनी वाला मन्दिर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ के नाम पर कभी ५) खर्च करने वाला नहीं है और अगर वह ५) खर्च नहीं करेगा तो उसको बाध्य किया जावेगा। वैसी सूरत में वह पांच रुपया ही खर्च नहीं होगा उसे मजबूर किया जावेगा कि वह तहसील में जाकर अपना रुपया वसूल करे। जिला अधिकारियों से वसूल करे। एक गांव में एक छोटा सा मन्दिर, जिसकी आमदनी ५०) वार्षिक है और उससे आप ५) एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ के रूप में छीन लेंगे और फिर भी वह बाकी का ४५) आसानी से उसे नहीं मिल जावेगा, उसके लिये उसे जाना पड़ेगा तहसील में, जिला में, सरकारी अधिकारियों की खुशामदें-मिन्नतें उसे करनी पड़ेगी, दरख्वास्त पर उसे आठ आने का टिकट लनाना होगा, फिर गांव के तहसील दार की खुशामद करेगा, हाथा जोड़ी करेगा, दस बीस रुपया रिश्वत का भी उसे देना पड़ेगा। दरख्वास्त का भी एक रुपया देना पड़ेगा। इस तरह इसका मतलब यह हुआ कि उसे आने जाने में भी दस बीस रुपया खर्च करना पड़ेगा और इस तरह से इतनी कटौतियों के बाद उसको कुछ मिलना, जुलना नहीं है। इस की तसल्ली की जा सकती है। उसे बताया जाता है कि नैट इन्कम उसको मिलेगी। पर मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या तरीका है केलकुलेशन करने का। इस कानून के बाद में और कोई आमदनी उनकी हो सकती है, इसकी कोई उम्मीद नहीं। जागीरदारों को आमदनी हो सकती है। उनकी सारी इन्कम शामिल की गई है, लगभग शामिल की गई, सामान फरोक्त करने की आमदनी शामिल की गई और इसी तरह से और जो कुछ आ सकता था, सब शामिल की गई कम्पेन्सेशन देते वक्त। पर इसको कम्पेन्सेशन केवल जागीरी से इन्कम मानकर नैट इन्कम निकालने की व्यवस्था की गई है। जागीरी की आमदनी के अलावा और जो आमदनी होती थी वह शामिल नहीं की जा रही है और इसमें भी नैट इन्कम और नैट इन्कम में भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ अलग कटेगा, और इसमें भी भ्रष्टाचार के जो चार्जेज़ लगेंगे वे ऊपर से। ऐसी स्थिति में मैं विश्वास से कह सकता हूं कि एक पैसा भी उनको मिलने वाला नहीं है।

३ म० प०

अब यहां सरकार का केवल एक ही दृष्टिकोण है कि मन्दिरों को समाप्त करना है, मन्दिर नाम की कोई वस्तु राजस्थान में रहे ही नहीं और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि राजस्थान में मन्दिर न रखने की बात राजस्थान सरकार के राजस्व मंन्त्रीजी

(श्री भैरोंसिंह)

ने उठायी है। उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वे मन्दिरों के इतने खिलाफ हैं। वे मन्दिरों की जागीरी के पक्ष में न हों, जागीरें समाप्त हुईं, यहां तक तो मैं उनसे सहमत हो सकता हूँ कि मन्दिरों की जो जागीरें हैं इन्टर मिडिवेरीज़ हैं, उनको समाप्त किया जाय लेकिन यहां मैं उनसे इस बात पर सहमत नहीं हो सकता कि मन्दिरों की कोई व्यवस्था न हो, जो मन्दिरों को नेट इनकम मिलेगी उससे काम चलाते रहेंगे। वह व्यवस्था नहीं चलेगी। अगर राजस्थान की सरकार यह चाहती है कि मन्दिरों की कोई व्यवस्था होनी चाहिए, यदि मन्दिरों की व्यवस्था में कोई कुप्रबन्ध है तो उसको दूर किया जाय, जो मन्दिरों का धन है उसका सदुपयोग किया जाय, उस हालत में राजस्थान सरकार को यह भी देखना पड़ेगा कि वास्तव में पैसे की कमी के कारण ही मन्दिर की अव्यवस्था है, उस मन्दिर में पैसे की कमी है और यदि ऐसा है तो वास्तव में राजस्थान सरकार को उसको दूर करना पड़ेगा। मन्दिरों में अब तक जो ग्रान्ट चली आ रही है उसके अनुसार सारा काम किया जाता है। लेकिन राजस्थान सरकार मन्दिरों के असेट्स पर तो कब्जा करना चाहती है तो राजस्थान सरकार को मन्दिर की जो लायबिलिटीज़ है उसको भी पूरा करना चाहिए। सरकार बड़ी भारी सिद्धान्तवादी है। सरकार के पास मन्दिरों के असेट्स छीनने का कानूनी तरीका है और यदि कानूनी तरीका न हो तो उसको कानूनी रूप दे सकती है, आज नहीं दे साल बाद भी जो दो वर्ष से गलती चली आ रही है उसको सुधारने की दृष्टि से कानून दो वर्ष पहले के लिए पास कर सकती है, सरकार अनडेमोक्रेटिक वे (way) अपना सकती है, इस दृष्टि से इस सिद्धान्त पर भी विचार किया जा सकता है। विशाल दृष्टिकोण सरकार का होना बहुत जरूरी है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार के राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जब तक ऐसी व्यवस्था न हो, तब तक यह दृष्टिकोण सामने रखना पड़ेगा कि मन्दिरों की अव्यवस्था न हो। जहां यह स्वीकार किया है कि मन्दिरों में बदइन्तजामी है, उनका सम्बन्ध जागीरों से कहां तक है, यह भी विचार करना पड़ेगा। यदि बदइन्तजामी केवल जागीरों से है, तो मैं यह नहीं मान सकता। यदि सरकार यह महसूस करती है कि इस बदइन्तजामी को खत्म करने का एक ही तरीका है कि जागीरों को खत्म कर देना चाहिए, तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनको यह भी विश्वास करना चाहिए कि केवल जागीरें खत्म करने से ही मन्दिर की अव्यवस्था दूर नहीं होगी। जागीरों को समाप्त करने से तो एक यह भी होगा कि जहां महन्त और काश्तकारों के बीच में सेटलमेंट हो गया है, जमीन के बारे में कोई झगड़ा नहीं है, खुद काश्त के बारे में कोई झगड़ा नहीं है, उस हालत में यह इल्जाम लगा कर कि मन्दिरों की व्यवस्था ठीक नहीं है मन्दिरों की जागीरों को छीनने की कोशिश करना अच्छा नहीं है। मैं यह भी मानता हूँ कि सरकार और काश्तकारों के बीच में जो इन्टरमिडियेरीज़ हैं, खत्म होना चाहिए। इस मोटी चीज को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन मन्दिर हैं और दूसरी धार्मिक संस्थायें हैं उनके बारे में यदि सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं तो जो सारे कान्सिक्वेन्सेज़ होंगे उनको भी देखना पड़ेगा और उनको स्वीकार करने के बाद में इन संस्थाओं की क्या हालत होगी, उनकी क्या स्थिति होगी? यदि राजस्व मन्त्री जी यह स्वीकार करते हैं कि उनकी हालत

Page No.76

(श्री भैरोंसिंह)

अच्छी होगी तो सदन में उनको यह एक्सप्ले-नेशन देना चाहिए कि जागीरें खत्म होने पर मन्दिरों की हालत अच्छी होगी। केवल महन्त और काश्तकारों के बीच में बीच-बचाव नहीं होना चाहिए। लेकिन मन्दिरों की बदइन्त-जामी की आड़ में यह जो किया जा रहा है वह इस मूल सिद्धान्त के प्रतिकूल है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। इस बिल के स्टेटमेन्ट ओफ ओब्जेक्टस में जो बताया गया है वह इस मूल सिद्धान्त के प्रतिकूल है। जिस कारण से यहां यह बिल लाया जा रहा है वह इस मूल सिद्धान्त के प्रतिकूल है, प्लानिंग कमीशन ने जो सिद्धान्त बनाये हैं उनके भी यह प्रतिकूल है। यदि इसको कानूनी ढंग देना है तो यह देखना पड़ेगा कि इस सम्बन्ध में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ होंगे, कितनी इन्कम है और कितनी कितनी कम है देनी पड़ेगी। इन सारी बातों के आने पर यह देखना पड़ेगा कि वास्तव में यह उपयुक्त है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और मैंने जो प्रस्ताव इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्तुत किया है सदन उसको स्वीकार करे तो अच्छा होगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मुझे ज्यादा हर्ष होता कि यह प्रस्ताव आज पहले दिन न रखा जाकर थोड़े दिनों बाद में रखा जाता और उस समय रखा जाता जिस समय सदन भरा हुआ होता है और आप लोग जिस चीज़ के वास्ते अपने विचारों को सामने रखते हुए विचार करते। यह ऐसी चीज़ नहीं है और जिसके लिए मैं यह निवेदन कर दूं कि यह होता है कि दो पार्टीज़ दोनों तरफ बैठी हुई है, जैसे स्पा सिंचाई होती है। इसमें उधर के पक्ष से हां और इधर के पक्ष से ना का सवाल नहीं है। यह सवाल सारे भारतवर्ष का है। राजस्थान का ही नहीं प्रत्युत दूसरी जगहों से भी इसका सम्बन्ध रहता है और इसको इस प्रकार पारित कर देने में किसी भी सेन गवर्नमेंट को मुनासिब नहीं समझा जा सकता। जिस समय यह सवाल आया थोड़े आदमी इधर बैठे हैं, थोड़े उधर......

श्री उपाध्यक्ष : सब माननीय सदस्य हैं, आदमी नहीं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं क्षमा चाहता हूं। मैं यह अर्ज नहीं करता कि आदमी का स्थान भी है, तो वैसा नहीं होता है, पहले मनुष्य हैं और फिर दूसरी बातें। खैर, मैं इन बातों में नहीं पड़ कर इसकी गंभीरता के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर किसी मामले को छाती पर हाथ रख कर उस तरफ के महानुभाव अगर यह विचार करते होंगे कि यह चीज कर दी जाय तो मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा कि मैं कहता हूं कि अपने लफ्जों को वापिस लेता हूं।

राजस्थान वह स्थान है कि जहां बहुत मंदिर और दूसरी चेरिटेबल संस्थायें हैं। उसके वास्ते आज तक मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, जैनियों ने और दूसरे धर्मावलम्बियों ने जब कभी कहीं यह सवाल आया इन भूमिपतियों को टच नहीं किया। इसलिए मैं यह कह देना चाहता हूं कि यदि इसको इस तरह से जल्दी जल्दी में निकाल दिया गया तो इसके बड़े भारी रिपरकशन्स होंगे। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, मेरा यह सिद्धान्त रहा है कि किसी पार्टी में न पड़ कर, ६५ वर्ष की

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

आयु के लम्बे अर्से में ४० वर्ष का रिकार्ड रहा है सर्विस का, मैंने आज तक कभी राजाओं के वक्त में भी शपथ नहीं खाई और शपथ आज खाई हुई है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि शपथ खाकर जो महानुभाव ऐसे मामले में आगे बढ़ते हैं उनको इसके मेरिटस पर विचार करना चाहिए। मंदिरों के लिए राजस्थान ही नहीं, जैसा मैंने निवेदन किया, मैं यह निवेदन करना ठीक नहीं समझता कि भगवान के रूप में देवताओं का राजस्थान तीर्थ स्थान समझा जाता है, जो भगवान के विख्यात स्थान बृज में और दूसरी जगह रहे हैं। हमारे राजाओं, जागीरदारों और प्रजाजनों के सब के सामने ऐसे ऐसे मौके आये हैं कि भगवान, जो बृज में हैं, वे हमको यहां शरण देने के लिए पधारे। वही सारा स्वरूप मेवाड़ में है, जयपुर में है, कोटा में है और दूसरी जगह न आकर यहां विराजमान हैं। और जैसा कि मेरे पहले वक्ता, श्रीमाधोपुर से आने वाले हैं सज्जन हैं, ने फरमाया है कि कभी भी ऐसा मौका नहीं आया है कि इसको इस प्रकार किया जाय, इसको जल्दी में पास किया जाय। मैं यह निवेदन करूंगा कि मैं तो उनकी राय से भी आगे बढूंगा और इसके खिलाफ हूं कि यह मामला सिलेक्ट कमेटी में न भेजा जाय। मैं तो यह कहूंगा कि इसी स्थान पर इसी वक्त ऐसे मामलों को हमारे जो राजस्व मंत्रीजी हैं, मैं उनको बुढढा आदमी होकर भी अपील करूँगा, निवेदन करूँगा कि आगे न बढ़ावें। मैं तो यही निवेदन कर देना चाहता हूँ कि कहने को बात कटु होती है, और आदमी बाज़ वक्त ऐसा सोचते हुए भी कि पार्लियामेन्ट्री भाषा के अन्दर बोलना चाहिए, मैं भी यह समझता हूं कि पार्लियामेन्ट्री भाषा कैसी होती है और क्या होती है, फिर भी कहना पड़ता है और मुझे इस बात का डर है कि इस प्रकार की जो चीज़ है वह वर्तमान गवर्नमेंट पर ही नहीं प्रत्युत भारतवर्ष की ऊँचे से ऊँचे प्रान्तों की चीजों के ऊपर भी कॉफिन के वास्ते नेल न हो जाय, स्टेबिलिटी के वास्ते कांटा न बन जाय। इस चीज़ के वास्ते मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको लेकर ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी चाहिए जिसके लिए हिस्ट्री तो क्या पॉस्टेरिटी भी इस बात के लिए अवश्य कहेगी कि इन लोगों ने इस प्रकार की चीज़ ठीक नहीं की।

मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं और माननीय राजस्व मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूँ कि आज तक यह जो जितने प्रहार यहां हुए हैं वे हिन्दू कॉम्युनिटी पर ही क्यों हुए हैं अथवा हो रहे हैं? आज तक इसी मामले के अन्दर मुसलमानों की मस्जिदें और दूसरी कई रिलीजियस चीजें हैं उनके पास भी लाखों करोड़ों की जायदाद मौजूद है; ईसाइयों के पास भी हैं, जैनियों के पास भी हैं, लेकिन इसका असर, इस मान्यता की चीजों का असर जो है, वह क्या गरीब हिन्दू कौम के ऊपर है, जिनके खून और पसीने से जो आज राजस्थान का महल है, राजस्थान की गवर्नमेंट है और डेमोक्रेसी है सींची गई है और विशाल एडीफि-सेज़ और प्रासादों का काम उन लोगों की हड्डियों से हुआ है। मीरा और दूसरे रामदेवजी आदि सैकड़ों वीर पुरुष, भक्त हैं जिनको हीरो वर्शिप का रूप आज भी दिया जाता है, उन लोगों के लिए जो सवाल है उसको आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। सेन्ट्रल यूरोप में माध्यमिक युग में जो चीज़ हुई है उसमें शायद ज्यादातर यही है कि प्रोस्टेन्ट्स और रोमन केथोलिक्स, जुएनेट्स तथा दूसरी दूसरी पार्टियों ने वैसा ही किया है वह इसी तरह से यहां हो रहा है।

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

मैं मानता हूँ कि आपका यह विचार बुरा नहीं है कि मन्दिरों का प्रबन्ध ठीक हो। उस प्रबन्ध के लिए बन्दोबस्त होना चाहिए। प्रबन्ध होना निहायत जरूरी है। यह भी मैं मानता हूं कि आज वक्त मन्दिरों के अन्दर प्रबन्ध ठीक नहीं हो सकता है, यह हो सकता है। मैं यह भी मानता हूं कि इसके वास्ते आप लोग अच्छी रकम रखकर प्रबन्ध कर दें। जैसा कि मेरे पहले बोलने वाले महानुभाव ने निवेदन कर दिया है, मैं इस तू-तू मैं मैं में ज्यादा नहीं पड़ना चाहता हूं कि आप लोगों के अन्दर क्या भ्रष्टाचार है, गवर्नमेंट में क्या भ्रष्टाचार है और दूसरी जगह क्या है और यहां क्या नहीं है ? लेकिन इस चीज़ पर मैं निवेदन करूँगा कि इस चीज़ के वास्ते भारत का बच्चा-बच्चा और खासकर राजस्थान का बच्चा-बच्चा खड़ा हो जायगा और इस बात को बुरा समझेगा। किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक मजहब के मामले के अन्दर हस्तक्षेप नहीं किया। मैं निवेदन करूँगा कि कमजोर आंतों वाले आदमी के वास्ते जबरदस्त दवा यह है कि वह कम से कम इतना खाये कि उसको हजम कर जाय और हजम करने के बाद में दूसरा निवाला तब ले जब कि पहले की चीज़ को हज़म कर ले। जैसा कि इस चीज़ से पहले आपने जागीरदारों को छेड़ा, गो यह सवाल अप्रासंगिक हो सकता है, ५ हजार के नीचे १ इजार और ५०० रु० तक के इन्टरमीजियेरीज़ को न रखने का सवाल जब पैदा हुआ था उस समय लौह पुरुष, महामना पटेल और दूसरे महानुभाव हैं और यहां के पहले के मिनिस्टरों ने भी सवाल रखा था कि जहां तक हो सके एक एक चीज़ को धीरे धीरे लिया जाय। इस धीरे धीरे के बजाय अब उसको वास्तव में एक साथ खाया जा रहा है। वह चीज़ खत्म नहीं होती है तो इससे जरूर अपच होकर या तो दस्त होंगे या आंतों के अन्दर दूसरे विकार होंगे। इसमें फर्क नहीं है, मैं यह नहीं कहता कि यह राजपूतों के खिलाफ है। मैं राजपूत पीछे हूं और पहले मनुष्य हूं, व हिन्दू हूँ भारत और राजस्थान का नागरिक हूँ। मुझको इस भाव से कहना यह होगा कि मेरे ख्याल से ५०० के नीचे वाली जितनी भी जो जमीनें हैं उनमें से शायद १० पर्सेन्ट राजपूतों की हैं और ६० पर्सेन्ट छोटी छोटी जातियों की, गरीबों की, अनाथों की जागीरें हैं; उन सब का सवाल रहेगा। मन्दिरों के अन्दर गरीब आदमी थोड़ा सा पढ़ कर अपना निर्वाह करते हैं, और भगवान का भोग लगा कर उसका बन्दोबस्त करते हैं। इसमें ज्यादातर मन्दिर, १० पर्सेन्ट ऐसे मन्दिर मिलेंगे जिनकी आमदनी को छेड़ा जाय, इनके अन्दर ६० पर्सेन्ट बड़े मन्दिर नहीं हैं बल्कि ऐसे हैं जिनके पास २००), ५००) या १०), २०) व ५०) रु० की जायदाद है और उस जायदाद में एक ही जगह २०-२५ आदमी और खानदान रहते हैं और उसी आमदनी के अन्दर अपना निर्वाह करते हैं। विधवाओं और अनाथ बच्चों पर जो पुजारी हैं इसका असर होगा।

तो मेरा निवेदन करना इसलिए है कि जैसी कि विधान सभा में मेरी खुद की जो पार्टी है, राम राज्य सभा, या जो अपोजिशन के अन्दर हैं, इन महानुभावों ने यह फर्मा रखा है कि तू हम लोगों की तरफ से खूब कहा कर, तो मैं इन्हीं की तरफ से न कह कर कांग्रेस की ओर से निवेदन करूँगा कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और उत्तम विचारधारा दे कि ऐसी चीज़ के वास्ते शीघ्रता से न बढ़ें। जैसा कि मैंने कहा, आप लोग, जब 'हां' पक्ष या

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

'ना' पक्ष का सवाल आता है तो आज वक्त यह होता है, मैं कहना नहीं चाहता था, जिस समय वह मौका आता है और ज्यादा जोर से इस तरफ से बोला जाता है, यह किसी के ऊपर आक्षेप नहीं है, तब भी वह पार्टी डबल है इसलिए उनकी जीत होती है। तो सवाल इस चीज का है कि ऐसी चीजों पर सोचकर आगे बढ़ें।

आप सबसे पहले छेड़ो तो आर्य समाज की संस्थाओं को छेड़ो, आर्य समाज के मन्दिरों को छेड़ो। आप सबसे पहले छेड़ो सिक्खों की जो जमीनें हैं उनको छेड़ो। आप इससे पहले मुसलमानों की जो जमीनें हैं, मुसलमानों की जो निकाली हुई भूसम्पत्ति है उसको छेड़ो। अगर आप छेड़ो तो जैनियों की लाखों करोड़ों की जो भू-सम्पत्ति है और तरह-तरह की चीजें हैं उनको छेड़ो। आपके लिए धन बटोरने के लिए और बातें हैं, मंदिरों की आमदनी को, भगवान के लिए प्रार्थना करूँगा कि आप जो खा चुके हैं उन गरीबों और अनाथों और जो विधवाएं हैं उनको हजम करके फिर इस तरफ कदम दें। आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन करूँगा और मैंने जो कड़ी बात कही है उसके लिए माफी चाहता हूँ, कि यह प्रेजेन्ट गवर्नमेंट और प्रेजेन्ट डेमोक्रेसी के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य संसदीय परम्पराओं से थोड़ा सा विरुद्ध जा रहे हैं, हाथ जोड़ना आदि।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैंने ज्यादा अर्ज नहीं किया। इसलिये अर्ज किया कि सदन जानता है कि ब्रिटिश गवर्नमेन्ट का झंडा इसलिये फूटा कि महामना लाजपतरायजी पर लाठियों का प्रहार किया गया और जवाहरलालजी नेहरू और महात्मा गांधीजी ने यह कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेन्ट को निकालने के लिये यह चीज आखिरी कदम है। उन लोगों के सामने (मुकाबिले) मैंने तो थोड़ा ही अर्ज किया है।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो श्रीमाधोपुरसे आये हैं और उन्होंने जो इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

मेरा निवेदन यह है कि आज जो हमारे सामने एक बिल आया है वह राजस्थान लैंड रिफोर्म्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स अधिनियम जो है उसमें छठा संशोधन है। मेरा यह निवेदन है कि इसके बाद में एक और संशोधन आ रहा है, वह सातवां संशोधन है। न जाने कब तक, कितने अर्से तक और कितनी लम्बाई तक इस प्रकार के संशोधन आयेंगे, ७, ८ या हजार। इन सबका अभिप्राय यह है कि हमारी सरकार कानून बनाने में इतनी जल्दबाजी करती है और बिना सोचे-समझे संशोधन पेश करती है कि उसे बार बार संशोधन लाने पड़ते हैं। किसी भी कानून पर संशोधन लाकर यहां रख देती है और सरकार की सबसे बड़ी चतुराई यह है कि वह ऐसा मौका देखती है कि जिस समय पहले पहल लोग घर से आते हैं और आराम से खाना भी खाकर नहीं आ सकते उस समय इतने बिल्स सदन के सामने लाकर रख देती है। सदस्यों की सुविधा-असुविधा को ध्यान में न रखकर उनकी परेशानी का फायदा सरकार उठाने लगती है। मैं अर्ज करता हूं कि यदि सरकार क्रिटिसिज़्म से डरती नहीं है और विरोधी दल की भावनाओं का आदर करना चाहती है और प्रजातंत्र को ठीक ढंग से फलीभूत देखना चाहती है त उसको चाहिये

(श्री तनसिंह)

कि सबको ऐसा मौका दे कि सब प्रकार के जो विधेयक सामने आवें उनमें लोग पूर्णरूप से भाग ले सकें। हो सकता है कि हमारी कई बातों से मंत्रीजी पूर्णत: अवगत हों और वे कहें कि इनको हम जानते हैं, आप क्या कहते हैं लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि वे जानते हैं, फिर भी हमारी परम्पराओं को निभाने के लिये और किसी कानून में हम कॉंट्रीब्युशन दे सकें इसके लिये हमें अपने विचार रखने का मौका दें और राजस्थान के लोगों की परिस्थिति पर विचार हो सके। हो सकता है राजस्थान की इस विधान सभा में मेरे जैसे लोग भी हैं जो ठीक तरह से कॉंट्रिब्युशन नहीं दे सके, मंत्रीजी की राय में, लेकिन इस ओर भी ऐसे लोग हैं जो कॉंट्रिब्युशन दे सकते हैं।

एक कानून सन् ५२ में बना। आज उसको ५ वर्ष हुए और ५ वर्ष में ७ संशोधन हो गये और भविष्य में कितनी बार होंगे, इसका भी अनुमान नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि यदि इसके स्टेटमैंन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स के विस्तार में जाते तो भी कोई बात होती। जो स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में बताया गया है उसमें भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। पहले पहल यह कानून सन् ५२ में बना, उस समय विधान सभा नहीं बनी थी। वैधानिक अधिकार सरकार को होंगे उसको मैं चुनौती नहीं देता। लेकिन फिर जो कानून सन् ५४ में बना उसको भी प्रवर समिति को सुपुर्द नहीं किया गया और यह समझिये कि संगीन की नोक पर यह कानून पास कराया गया और इसी प्रकार ३, ४, ५ और ६ संशोधन इस प्रकार पास कराये जाते हैं। मैं नहीं समझ पाया कि प्रवर समिति के सुपुर्द करने में हिचकिचाहट क्या है? यदि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर देंगे तो क्या प्रलय हो जायगा? यदि यह २-४ महीने रुक जायगा तो कौनसी बड़ी भारी प्रलय हो जायग और यदि इसे आज का आज पास कर दिया जाय तो क्या मंत्रीजी यह आश्वासन दे सकते हैं कि भविष्य में कभी इसमें संशोधन नहीं आयगा? लेकिन भविष्य में संशोधन नहीं आयेंगे, इसके लिये आश्वासन देने को मंत्री जी तैयार नहीं हो सकते। ऐसी सूरत में प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय तो कई दूसरी बातें एराइज़ हो सकती हैं, जिनकी गहराई में जाना आवश्यक है।

हो सकता है कि मंत्री जी कहें कि वे जागीर अबोलिशन के सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं करना चाहते हैं और उसकी आड़ में ये बातें कह रहे हैं लेकिन यदि यही सिद्धान्त या लक्ष्य उनका भी होता तो सन् ५२ में भी ला सकते थे और ५४ में जब ५ हजार से नीचे की जागीरें ली जाने का सवाल आया था उस समय भी कहा जा सकता था। लेकिन सरकार उन परिस्थितियों को भूल जाती है और आज यह कहती है कि यह मूल रूप में करना है कि जागीर रखना नहीं चाहते हैं, इंटरमीजियरी या मध्यस्थ नहीं रखना चाहिये तो सन् ५४ में भी यह परिस्थिति सामने लाई जा सकती थी। लेकिन यदि आज लाते हैं तो हमें बैठ कर गंभीरता से देखने की आवश्यकता है कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है? यदि आप एक स्ट्रोक ऑफ पेन से जागीरें समाप्त कर देना चाहते हैं जो मंदिरों और मस्जिदों के लिये हैं तो आपका कुछ उत्तरदायित्व भी है जिसे आपको पूरा करना चाहिये। लेकिन सरकार इतनी चतुर है कि अपना मतलब तो निकालना चाहती है लेकिन कर्तव्य पूरा करना नहीं

(श्री तनसिंह)

चाहती। महंतों के कारण से घोटाला हो रहा है या पुजारी ठीक इन्तजाम नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब यह नहीं है कि उनका सिर काट लिया जाय। यदि किसी के हाथ में फोड़ा हो गया है तो यह जरूरी नहीं है कि उसका हाथ ही काट डाला जाय। यदि हाथ काटा जायगा तो उसका जो परिणाम होगा उससे भी वाकफियत रहनी चाहिये। इसी प्रकार इनके प्रति भी सरकार का उत्तरदायित्व है। यदि सरकार इन जागीरों को एबोलिश करती है तो उसके परिणाम का उत्तरदायित्व भी सरकार का है। सरकार कहती है कि हम नेट इन्कम देते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस संशोधन से कोई मतलब नहीं निकलेगा। प्रश्न यहां नेट इन्कम का नहीं है, यहां प्रश्न यह है कि मन्दिरों में घोटाला हो रहा है, संपत्ति का ठीक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, मिसमेनेजमेन्ट हो रहा है और यदि मिस मेनेजमेन्ट हो रहा है तो उसको रोकना इसका उद्देश्य है। तो मैं कहूंगा कि मन्त्री जी अपने आप में स्पष्ट नहीं हैं। मंत्री जी कहना क्या चाहते हैं और कह क्या रहे हैं, यह परस्पर विरोधी बात है। यदि मिस मेनेजमेंट है तो आपने उसको रोकने के लिए क्या मेनेजमेन्ट किया है? मंदिरों की आमदनी सरकार लेगी और उसमें से एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेज़ काट कर नेट इनकम दी जायगी, मेरा कहना यह है कि क्या इससे अवस्था सुधर जायगी और महन्तों के घोटाले ठीक हो जायंगे? तो प्रश्न बिना उत्तर का रहता है। यदि मन्त्रीजी का यह उत्तर है कि मिसमेनेजमेंट को हटाया जाय तो आवश्यकता यह है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और वह इस पर अच्छी तरह से विचार करें। केवल यही सरकार का कर्तव्य नहीं है कि खाली धार्मिक संस्थाओं की आमदनी वसूल करे। उसका उत्तरदायित्व यह है कि उनका मेनेजमेन्ट ठीक ढंग से करे और महन्तों के घोटाले को मिटावे। मेरा निवेदन यह है कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये। लेकिन जैसा हमेशा कहा जाता है कि जहां धर्म का नाम आता है वहां हम उसको एक्सप्लोइट करना चाहते हैं, इस तरह से कहने से काम नहीं चलेगा।

मैं समझता हूं, इस बिल को लाने के जो उद्देश्य और कारण हैं, उन्हें स्पष्ट करें। मैं आपको जो कह रहा हूँ उसको स्पष्टता से बतायें; जो दलीलें दी गई हैं, उनका उत्तर क्या है? हमारी दलीलों का उत्तर केवल यह है कि क्योंकि कहना है इसलिए ही कहते हैं, यह कोई दलील नहीं है। ऐसी अवस्था में आपके पास कोई दलील नहीं है। यदि आपको झिझक होती हो कि कानून पेश कर दिया है, लिखने में गलती हो गई है, तो यदि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, तो इसे देख कर और अमेन्डमेंट सजेस्ट कर, इस बिल को लम्बा-चौड़ा बना कर प्रवर समिति दे देगी। ऐसा प्रलय नहीं हो रहा है कि यदि आज यह बिल पास नहीं हुआ तो कुछ हो जायगा। ऐसी अवस्था में मैं निवेदन करूंगा कि इस सदन के, माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य, ने जो प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(श्री पुरुषोत्तमलाल के भाषण करने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : The member from Kumbhalgarh constituency.

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष, जो प्रस्ताव इस प्रस्तुत

(श्री मनोहर कोठारी)

बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, उसके विरोध में मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल आज हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है वह बिल वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण बिल है। जो माननीय सदस्य अब तक धर्म के नाम से सदन में अपने विचार प्रस्तुत कर चुके हैं, उन्हें इस बात का प्रेक्टीकल अनुभव नहीं है, जैसा कि प्रेक्टिकल अनुभव मुझे इस सम्बन्ध में इसलिए है कि मैं एक ऐसे ही देवस्थान से सम्बन्धित एवं जागीर क्षेत्र का रहने वाला हूं और वहां की स्थिति से भली भांति परिचित हूं। नाथद्वारा, कांकरोली जैसे धार्मिक स्थानों का नाम आपने सुना होगा। मुझे मालूम है कि राजस्थान सरकार ने अन्यान्य जागीरों के साथ इन धार्मिक स्थानों की जागीरों का उस समय पुनर्ग्रहण नहीं किया क्योंकि यह स्वाभाविक धारणा थी कि धर्म के नाम से कुछ लोग संभवतः इस चीज का फायदा उठायेंगे और उन्होंने उस समय ऐसी व्यवस्था की कि ऐसे स्थानों का; जैसे नाथद्वारा और कांकरोली बगैरह हैं, का राजस्व स्वयं वहां के महन्त अथवा उनके एडमिनिस्ट्रेटर, जैसी भी स्थिति हो, वसूल किया करें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय उपाध्यक्ष, कि नाथद्वारा जैसे एक बड़े स्थान में कई व्यक्तियों का एक लम्बा चौड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी है। वहां एक आई० ए० एस० केडर के रिटायर्ड ऑफिसर की नियुक्ति की की गई है। उसके बावजूद भी मैं यह बताना चाहता हूँ कि वहां का राजस्व एकत्रित नहीं हो रहा है और नहीं किया जा सकता है बल्कि एक नई समस्या उन लोगों के सामने पैदा हो गई है। आज उनके पास वे सब तो अधिकार नहीं हैं, जो आज से पहले, जब कि राजस्थान नहीं बना था और जागीरें नहीं ली गई थीं, उस समय उनके अधिकार थे। नाथद्वारा ठिकाने के पास पहले बहुत सारे अधिकार थे, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की पावर्स थीं और उन सारे के सारे अधिकारों के अन्तर्गत सारा राजस्व वसूल कर लिया करते थे। लेकिन आज किसान आसानी से राजस्व नहीं देते इसलिए उनके पास सिवाय इसके कि वे अदालत में जायं और दावा करें और उसके बाद राजस्व इकट्ठा कर सकें, और कोई चारा नहीं रह गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बिल से यह काफी अच्छी व्यवस्था हो जायगी। इस तरह देवस्थानों की जो वास्तव में धर्म के उपयोगी अंग हैं और सांस्कृतिक केन्द्र हैं, रक्षा करने की आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए विरोधी पक्ष के जो माननीय सदस्य हैं, उनको निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, तो देवस्थानों की रक्षा करना जरूरी है। आज देवस्थानों का राजस्व इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, वह राज्य सरकार इकट्ठा करके, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ नियत किये जांय, वह काटने के बाद ऐसे स्थानों को लौटा दिया जायगा इसके सिवाय धार्मिक जागीरें हैं, उनके महन्तों के दुर्व्यसन के कारण, उनके दुराचरण के कारण, जनता की गाढ़ी कमाई का सारा का सारा पैसा इस तरह व्यर्थ चला जा रहा है उसमें भी कमी होगी; उनके ऊपर इस सम्बन्ध में एक प्रकार से चैक होगा, ऐसी मेरी मान्यता है और मैं समझता हूं वह बड़ी आवश्यक बात है जिस पर सद्भावना पूर्वक सोचा जाना चाहिये।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता

(श्री मनोहर कोठारी)

हूँ और यह है कि जो धार्मिक स्थान हैं और इनमें भी जागीरें हैं, उनके दो हिस्से हैं, कुछ जागीरें हैं जो मन्दिरों से सम्बन्धित हैं। उनका सारा का सारा पैसा मूर्ति व मन्दिर ही के काम में आता है और कुछ ऐसी जागीरें हैं, उनका सारा का सारा पैसा और उनकी जितनी इन्कम है, वह व्यक्तिगत महन्त के काम में आती है। जहां तक महन्त के काम में आने वाली व्यक्तिगत पूंजी का सवाल है, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ ज्यादा होने चाहिये, बनिस्पत मूर्ति या मन्दिर के लिए जो रकम निर्धारित की जाती हैं, उसके मुकाबिले, यह एक बड़ी आवश्यक बात है। एक व्यक्ति के काम में आने वाली आय और दूसरी सार्वजनिक काम में आने वाली आय, इसके बारे में हमें गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और आपके जरिये सदन को सूचना देना चाहता हूं कि आज नाथद्वारा में जो रकम इकट्ठी की जाती है, उसमें कले-क्शन करने में काफी खर्चा हो जाता है। यह भार इतना अधिक होता है कि वह ठिकाने के मन्दिरों के एडमिनिस्ट्रेशन के बूते की बात नहीं कि वह उक्त भार वहन कर सके। ऐसे स्थानों के लिए जहां कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ नियुक्ति किये जाने चाहिये, उसमें थोड़ी ऐसी व्यवस्था भी जरूर होनी चाहिये कि वे चार्जेज़ उन व्यक्तिगत महन्तों के पास जाने वाली इन्कम पर पड़ने वाले चार्जेज़ के मुकाबिले कम हों। यह बहुत आवश्यक है, नहीं तो ऐसे सांस्कृतिक केन्द्र बन्द हो जायेंगे। यही नहीं अंत में मैं यह निवेदन करते हुए इस सदन को यह बता देना चाहता हूँ कि हमको यह मान लेना चाहिये व अब यह आवश्यकता महसूस की जाने लगी है कि महन्त लोग इस प्रकार के महत्वपूर्ण हमारे यहां के धार्मिक केन्द्रों का अच्छी तरह से संरक्षण नही कर सकते और न कर ही रहे हैं इसलिए चेरीटेबल एण्डाउमेंट बिल भी शीघ्र पास किया जाकर उसके अनुसार व्यवस्था होनी चाहिये। तो जनता की गाढ़ी कमाई से खड़े किये गये ऐसे सांस्कृतिक केन्द्र जो दिनोदिन गिरते जा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है और पैसे का जो अपव्यय किया जाता है उसे नहीं रोका जा सकेगा। यह आवश्यक है कि हम इस सम्बन्ध में भी सोचें और विचारें। मैं समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव रखा गया है कि बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, मैं इसका विरोध करता हूँ और यह बिल जैसा सरकार द्वारा हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया है उसी ढंग से पारित करके उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आप इसके पक्ष में बोले हैं या विपक्ष में बोले हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर !

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह पोइन्ट आफ ऑर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : I rule it out.

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, यह संशोधन विधेयक राजस्थान लैन्ड रिफॉर्म्स एक रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (छठवां संशोधन) विधेयक पर है। इस संशोधन विधेयक में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे मंदिरों की पूंजी में हस्तक्षेप किया जाना हो, या मंदिरों की आमदनी को लिया जाना हो, या कोई मंदिरों की प्रोपर्टी को उनके कब्जे से लेने की बात हो, या उनके

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

कब्जे में जो सोना चांदी है या उनकी तिजोरी में सोना भरा हुआ है, उनको लेने को उसमें प्रोवीजन हो।यहां तो जमीनों के सम्बन्ध में विचार करना है, यहां सिर्फ यह देखना है कि काश्तकारों, महन्तों और पुजारियों के बीच सम्बन्ध कैसे रहे हैं, इसके उपर विचार करना है। यह बात विचार करने के लिए नहीं है कि जैनियों का मंदिर क्यों लिया जाय, सिक्खों का लिया जाय, या मुसलमानों का लिया जाय। यह विधेयक सभी धार्मिक संस्थाओं के लिए है, जिनको काश्त की जमीन दी गई है और जमीनें जिनके पास में हैं और जिनका रिजम्पशन अब तक नहीं किया गया है। उनको रिज्यूम करके उनकी आमदनी उन्हें दी जाय। यह सवाल भी दरपेश नहीं है कि उनकी आमदनी ली जाती हो। सवाल यह है, बिना उनके किसी का हस्तक्षेप होते हुए, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होते हुए उनकी आमदनी हो, उनको वह आमदनी एकदम दे देनी चाहिए ताकि वे अपना सरल तरीके से इन्तजाम कर सकें। संशोधन में तो यह है, यह कहीं नहीं है कि धार्मिक काम में हस्तक्षेप करना हो, धार्मिक पूंजी में हस्तक्षेप किया जाता हो या उनकी आमदनी में हस्तक्षेप किया जाता हो। जमीन के बारे में काश्तकार, महन्त और पुजारी में जो झगड़े होते हैं, उनका इसमें उल्लेख आया है। ऐसे झगड़े हैं कि महन्त, पुजारी किसानों से रुपया लेकर उन्हें रसीद नहीं देते हैं और उनसे मुकदमें होते रहते हैं। ये सारे झगड़े निपटाने के लिए यह संशोधन लाया गया है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। यहाँ सदन में जो विचारधारायें व्यक्त की गई हैं, वे इस विधेयक के प्रतिकूल हैं, अनुकूल नहीं हैं। इसलिए इस संशोधन में जो विचारधारा है वह बड़ी शुद्ध भावना से रखी गई है। मैं आशा करूंगा कि इसे शीघ्राति-शीघ्र पास किया जाय और सिलेक्ट कमेटी सुपुर्द न किया जाय।

श्री अनूपसिंह (बलोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष, अच्छा होता कि इस तरह का विधेयक, जो कि हमारी धार्मिक संस्थाओं, हमारी धार्मिक प्रवृत्तियों और आज तक सांस्कृतिक केन्द्रों की जमी हुई हमारी व्यवस्था है, उसको बदलने के लिए लाया जा रहा है; इसे उस वक्त लाया जाना चाहिए था जब काफी मौका मिल पाता, अब हम पूरे तैयार होकर आते। यहां ऐसा दीख रहा है जैसे सिनेमा हाउस में लोग बोर हो गये हों और वहां से उठ जाते हों, वैसी ही हालत इस सदन में हो गई है। जब अधिकांश सदस्यों ने यहां बैठना मन्जूर नहीं किया, उस वक्त इस चीज को लाकर पास कराने का मन्त्री महोदय का इरादा है, वह ठीक नहीं। हो सकता है कि उन्होंने इसे कोई खास महत्व नहीं दिया हो और सोचते हों कि इसमें कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं। तो मैं समझता हूँ यह सोचना कि इसमें कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं, यह उचित नहीं है क्योंकि यह हमारा धार्मिक मामला है, धार्मिक व्यवस्था, मन्दिरों की व्यवस्था का हिसाब किताब देख रहे हैं वह ठीक नहीं देख रहे हैं। इसको सुधारने के लिये व्यवस्था कर रहे हैं तो यह अच्छा होता कि और टाइम लगा लेते और विचार करते तो ठीक चीज निकल सकती थी। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें कोई हस्तक्षेप की बात नहीं, मन्दिरों को सुधारने के भाव से लिया जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि हम इतने थोड़े २०, ३० सदस्य ही सदन में बैठे हुए हैं, उनके सामने ही क्यों, सबको आने दीजिये तो

(श्री अनूपसिंह)

अच्छा होगा। यदि इसे सिलेक्ट कमेटी में दे दें तो आप और हम इस पर पूर्ण रूप से विचार कर लें और पूरी तरह विचार के बाद सिलेक्ट कमेटी इसे दे दे तो फिर इसे ले लें।

इसके सिद्धान्तों की ओर अगर आपका ध्यान दिलाऊं तो इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में दिया है, उसमें यह है कि एक नेट इन्कम जो वसूल करते थे उनके कलेक्शन चार्जेज़ लगते थे, वे कम लगते थे, उनको बढ़ा कर हम उन्हें नेट इन्कम वापिस देना चाहते हैं। तो यह इसमें उद्देश्य पूरा है ऐसी बात नहीं है, यह तो एडमिनिस्ट्रेटिव बात रही कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ कम हैं तो गवर्नमेंट का चार्जेज करने का तरीका होगा वह और बढ़ा हुआ होगा, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें यह होगा कि १०-२० नौकरों को रख लेंगे, या वहां जो अभी काम कर रहे हैं उन्हीं में से रख लेंगे, इसके सिवाय तो फरक नहीं पड़ेगा। अब तक ले रहे थे वह मन्दिरों के काम में आने वाली नेट इन्कम थी। उनको नौकर रखने पड़ते थे, कलेक्शन करने के लिये व्यवस्था करनी पड़ती थी। आपने कहा है कि हम उन्हें नेट इन्कम दे देंगे। नेट इन्कम तो वे भी लेते थे। फिर आपने व्यवस्था सुधारी क्या ? महन्तों ने मंदिरों की व्यवस्था बिगाड़ दी है इसलिये लेना चाहते हैं, इसलिये उनकी इन्कम को कम करना चाहते हैं, इसका यह उद्देश्य है तब तो और बात है। इन्कम जो उनकी ज्यादा है उसको कम करने से उनकी व्यवस्था ठीक हो जायगी, तो यह तो ठीक नहीं। व्यवस्था को ठीक करने के लिये तो आप यह कर दीजिये कि और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था कर दीजिये। कांकरोली में महाराज कुत्तों पर, चिड़ियों पर खर्च करते हैं, वह मैं मानता हूँ गलत है, उसको मंदिर की पूजा का पार्ट एण्ड पार्सल नहीं मानता, पर जैसे कांकरोली में नाथद्वारे में सदाव्रत बंटता है और हजारों आदमी इन्तजार करते हैं कि वापिस कब पूजा का सामान बाजार में आये और हमें सस्ता भोजन मिल जाय। इससे हजारों आदमियों का पेट पलता है। अगर कुत्ते रखे जाते हैं, चिड़ियां रखी जाती हैं तो इनके साथ साथ हजारों इन्सान भी ऐसे हैं जो इस व्यवस्था पर पलते हैं। यह बात नहीं कही जा सकती कि ठाकुरजी के ऊपर कुछ खर्च होता ही नहीं है। उनकी पूजा के ऊपर जो खर्चा होता है वह तो होता ही है। अगर आपको यह करना है कि व्यवस्था के लिये कमेटी बना दें, बोर्ड बना दें और वह कमेटी ही सारी व्यवस्था चलाये तो ठीक है पर यह जागीरें इसलिये उठाई जा रही हैं कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ कम हैं, हमारे ज्यादा होंगे और उनको इन्कम ज्यादा है वह कम हो जायगी और उनकी इन्कम कम हो जाने से वहां की व्यवस्था ठीक हो जायगी; तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं। जो एम्स एण्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वे इस विधेयक की असली बात को पूरा नहीं करते, कलेक्शन चार्जेज़ कमती-ज्यादा कर देने से ऐम्स पूरे नहीं होते। जब तक कि आप ऐसा प्रोविजन नहीं कर दें कि जो इन्कम आती है उससे अच्छी व्यवस्था की जाय।

यदि गवर्नमेंट के यही चीज जंच गई हो कि मंदिरों की व्यवस्था सुधरे या बिगड़े, उनकी नेट इन्कम कम कर देनी है तो यह दूसरी बात है। अपव्यय कम करना है यह बात है, तो मैं पूछूंगा कि क्या आपको फिजूल खर्ची, बेखर्ची, अपव्यय मंदिरों में ही मिला है क्या, दूसरी जगह नहीं है ? हिन्दुस्तान की

(श्रीअनूपसिंह)

सारी संस्कृति इन मंदिरों के पीछे जमी हुई है, उस संस्कृति को बिगड़ते हुए देख सकते हैं, दूसरी जगह आपको कहीं अवव्यय, फिजूल खर्ची या गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है, उसको आप नहीं देख सकते । आपके विभागों में अपव्यय नहीं होता है, गड़बड़ी नहीं होती है? आपके जिस विभाग के आधीन ये धार्मिक स्थान, मंदिर हैं उस देवस्थान धर्मपुरा विभाग में कहीं आपको कोई इनएफिशियेन्सी, अव्यवस्था नजर नहीं आई, और और जो आपके विभाग हैं उनमें आपको अव्यवस्था नजर नहीं आई ? उसको आप नहीं मिटा सकते तो क्या मन्दिरों की चीज ही एक ऐसी है जिसको ठीक करना, व्यवस्था ठीक तौर से जमी रहे, यह आपके लिये जरूरी हो गया ?

इसलिये माननीय उपाध्यक्ष, मैं सविनय निवेदन करूंगा कि आज इस विधेयक को पारित न किया जाकर इसे सिलेक्ट कमेटी को दिया जाय। मैं यह सद्भावना से अर्ज कर रहा हूं । वैसे अव्यवस्था तो हर जगह है। आपके घर में, मेरे घर में सब जगह होगी। इस भगवान् के घर की अव्यवस्था को ठीक करने के लिये आप इस पर एक दो बार और विचार कीजिये । सिखों के गुरुद्वारों की, ख्वाजा साहब की दर्गाह की ऐसी बातें हैं, उनको एक दम हाथ में मत लीजिये। यह भगवान् के घर की अव्यवस्था है उसको भगवान् ही ठीक कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कमेटी के हाथ में दीजिये, आप और हम बैठ कर इस पर एक बार और विचार कर लें। व्यवस्था खराब है तो जरूर ठीक की जाय। जैसे मंदिर आपके हैं उसी तरह हमारे भी हैं, जो धर्म हमारा है वही आपकी पार्टी का भी है ।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यही निवेदन करूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को देना ही उचित होगा।

(श्री मूलचन्द डागा और श्री तेजमल बापना दोनों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : The hon'ble member from Pali.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह भगवान का घर है और धर्म का मामला है। भगवान का घर और भगवान का नाम लेकर, जिस अर्थ व्यवस्था में कोई शख्स अपनी आध्यात्मिकता और नैतिकता का परिचय देकर, धार्मिकता की आड़ में मन्दिर या मन्दिरों के पुजारियों की आड़ में या मन्दिरों के कलश और किताबों की आड़ में किसी प्रकार की बात कहना चाहता है, मेरे ख्याल से आज के १९५७ के युग में उचित नहीं होगा और मैं यही निवेदन करूंगा कि आप खास बात पर सोचें।

श्री अनूपसिंह : जमाना बदल गया है।

श्री मूलचन्द डागा : आप सोच लीजिये । आज तक यानि १९५७ तक उन लोगों को ज्यादा खाना खाते खाते बदहजमी हो गई है और उनकी बदहजमी को मिटाने के लिये, उनको व्यवस्थित रूप से खाना दिया जावे तो अच्छा होगा और मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन रखा है वह इसी आशय को लेकर रखा है। आप संशोधन पर टीका-टिप्पणी करिये । आपको मालूम होगा कि ७ दफा संशोधन हुआ। संशोधन होते रहते हैं। ज्यों ज्यों मुसीबतें नजर आती हैं, त्यों त्यों संशोधन

(श्री मूलचन्द डागा)

होते रहते हैं। आप आलोचना करते समय कह जावें कि महन्त पूंजीपति होना चाहिये। उसके पास पैसा होना चाहिये। मैं तो यह कहूंगा कि महन्त के पास पैसा होना ही नहीं चाहिये। उनको पैसा इकट्ठा करने से क्या मतलब ? वार्षिक आय उनको मिल जावेगी। उनको क्या है कि वे पैसा इकट्ठा करें। अच्छा है कि आज राजस्थान सरकार उनको, उनके जागीरों की आय को इकट्ठा करके उनको देती है वरना बेचारे मन्दिरों से नीचे उतर कर गांव गांव में फिरते रहते। अब रहा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़, वह तो रहेगा ही। मैं समझता हूं कि जो आय आज उनको मिल रही है वही उनको आसानी से मिलती रहेगी। आप इसके ओब्जेक्ट्स हैं उनको देखिये।

श्री अनूपसिंह : मैंने पढ़ लिये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अच्छा होगा कि आप उसको समझते। इस पर भी यह कहा जावे कि आज कल के महन्तों की जो हालत है वह........

श्री भैरोंसिंह : यह कांग्रेसवादियों से अच्छी है।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे ख्याल से उनको जन संघ या कांग्रेस वादियों से अच्छा या बुरा नापने का मापदंड और कसौटी यदि आपकी वही है तो आपके समझने का यह दृष्टिकोण, मैं समझता हूं, किसी प्रकार उचित नहीं है और यह विधान सभा के सदस्यों के लिये शोभा की बात नहीं है। यदि मैं आपसे कहूं कि उस पार्टी के सदस्यों से अच्छा होगा, तो यह शोभा की बात नहीं है। मैं इस पर ज्यादा कहना नहीं चाहता, यह तो समय ही बतलाएगा और इसका उत्तर दे सकता है।

दूसरी बात जो आपने रखी है कि महन्तों और मन्दिरों के पुजारियों का सिर काटना चाहते हैं, मेरे ख्याल से यह कोई मंदिर के पुजारियों और महन्तों के सिर काटने की बात नहीं है।

श्री अनूपसिंह : मैंने सिर काटने की बात नहीं कही।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर !! ऑर्डर !

श्री अनूपसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर, मैंने सिर काटने की बात नहीं कही।

श्री उपाध्यक्ष : This is a point of information and not a point of order.

एक माननीय सदस्य : इससे पुजारियों के दिल काट दिये जावेंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरे ख्याल से आपने गलत सुना है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री मूलचन्द डागा : आपके जो शब्द थे उनसे आपत्ति है और इसके लिये जो संशोधन आ रहा है उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और किसी प्रकार की आपत्ति, मैं समझता हूं कि आज के युग में किसी प्रकार से होना संभव नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इसको पास किया जावे।

श्री तेजमल बापना (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं भी इस बिल के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस सदन में जो सज्जन उपस्थित हैं और जिन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं, मेरे ख्याल से जो उस ओर बैठने वाले सदस्य हैं, उन्होंने इस

(श्री तेजमल बापना)

बिल के उद्देश्यों को सही तरीके से नहीं देखा है। जैसा कि यहां पर कहा गया है कि यह धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने वाली है या धर्म पर, या मन्दिरों पर या ऐसे ही कोई धर्म और मन्दिरों से सम्बन्ध रखने वाली जागीरें अगर हैं, उसको समाप्त करने का मेरे खयाल से कोई जिक्र नहीं है। आप जानते हैं कि जागीर रिजम्पशन सन् १९५२ में पारित हुआ और उसमें कई संशोधन होते होते आज कई जागीरें रिज्यूम हो गई हैं, लेकिन उसमें जो धार्मिक संस्था से ताल्लुक रखने वाली थी, उसे उससे मुस्तसना रखा गया और उसका मतलब यह हुआ कि आज ऐसे स्थान मौजूद हैं, जहां देवस्थान या मन्दिरों का शासन है वह आज भी उसी तरह से बरकरार है। मैं अभी अभी कुछ इस सम्बन्ध में अपना अनुभव प्राप्त कर चुका हूँ क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक ऐसा स्थान है जहां के लोग बड़ी मुसीबत में हैं। बनेड़ा तहसील है उसमें जागीर रिज़म्पशन हुआ मगर एक स्थान रायला है। वहां पर वह धर्मार्थ दिया हुआ है और इसी वजह से बीच में एक टापू की तरह टिका है। रिजम्पशन के समय हाई कोर्ट में उसको चुनौती दी गई और धर्मादे की वजह से हाई कोर्ट से यह निर्णय हुआ कि यह चूंकि धर्मादे से ताल्लुक रखती है रिज्यूम नहीं हो सकती। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यहां पर दूसरी बातों में पड़ना नहीं चाहता मगर इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि आज जो शासन का लाभ और जो प्रवृत्तियें शासन की ओर से खालसा एरिया में और जागीर रिज्यूम्ड एरिया में लागू हैं उनसे वह एरिया तो बिल्कुल वंचित है, जहां आज भी वही पुरानी बातें हो रही हैं, इसको चाहे आप धार्मिक कहिये या किन्हीं भी शब्दों में कहें, मगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां पर वही बातें आज भी मौजूद हैं जो और लोगों को कई तरह की मुसीबतें और परेशानियें हैं, जो पहले थीं। आज जमीन के एलोटमेंट का सवाल है, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास वहां पर कोई जमीन खेती के लिए नहीं है मगर उनको खेती के लिए जमीनें नहीं मिलती हैं और जो लोग खेती करते हैं उनको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं, कई इस प्रकार की प्रेक्टीकल डिफिकलटीज़ होती हैं जिनको मिटाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और उसके लिए एमेंडमेंट्स आते हैं। जागीर रिज़म्पशन में भी कई एमेंडमेंटस आए हैं इस लिए आज केवल यह कहना कि इससे धार्मिक मन्दिरों पर या धार्मिक संस्थाओं पर कोई असर पड़ेगा मेरे खयाल से यह कतई गलत दृष्टिकोण है।

अभी एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि बहुत से मन्दिरों में भोग लगता है और वह भोग प्रसाद के रूप में लोगों को वितरित होता है और इससे कई लोग पलते हैं, मेरे खयाल से यह दलील कोई ठोस दलील नहीं है और ठोस कारण नहीं है जिसकी वजह से वह बरकरार रहना चाहिये और उनकी जागीर ज्यों की त्यों रहनी चाहिये। आज तो भारत एक प्रजातन्त्र देश है और प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर आधारित है। प्रजातंत्र के सिद्धांतों के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहना चाहिये जो किसी दूसरे की आमदनी पर आश्रित रहे। गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रकार का प्रबंध होना चाहिये कि हर व्यक्ति के पास अपनी आमदनी का जरिया, साधन हो जो लोग खेती करने वाले हैं उनको जमीन और तकावी मिलनी चाहिये और जो लोग

(श्री तेजमल बापना)

इंडस्ट्री लगाने वाले हैं उनके लिए इन्डस्ट्री लगाने का प्रबंध होना चाहिये। यह कोई दलील नहीं कि इससे उनकी आमदनी कम हो जायगी। अगर इस प्रकार की बातों पर पहले ही ध्यान रखा जाता तो जागीर रिज़म्पशन का प्रश्न पैदा ही क्यों होता ? यह प्रश्न और आवश्यकता केवल इसीलिये हुई कि जागीरदारों ने जिनको चाहा जमीनें दी, जिनको चाहा नहीं दी, जिसके साथ जो चाहा जुल्म किया, जैसा चाहा वैसा किया और शासन में अव्यवस्था की, और यह सब उसी वजह से हुआ। यदि जो साधन और लाभ खालसा एरिया में लोगों को मिलते हैं वही जागीर एरिया में भी मिलते रहते तो जागीर रिजम्पशन की नौबत नहीं आती और जागीरें रिज़्यूम नहीं होतीं। आज आप देखते है कि एक जगह कुछ और शासन है तो दूसरी जगह दूसरी तरह का शासन है। रायला ग्राम ठाकुर साहब की तरफ से दरगा अजमेर के भेंट किया हुआ है और दरगा अजमेर वालों ने देवगढ़ ठिकाने के पास कुछ ही रुपयों में गिरवी रखा है या ठेके पर दे रखा है और वह धर्मार्थ का होने के कारण रिज़म्पशन से अलग पड़ा है। वहां के लोग बड़े दुखी हैं और त्राहि त्राहि कर रहे हैं। तो इससे धर्मार्थ जागीर की आमदनी में कोई कमी हो जायेगी, यह भी गलत बात है। मैं अंत में यही निवेदन करता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का कोई खास मसला नहीं है और इसे सदन में इसी अवस्था में पारित किया जाना उचित होगा।

४. १ म० प०

श्री किशनसिंह (लक्ष्मणगढ़) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह नहीं समझ पाता कि आज के जमाने में यह कहा जाय कि गवर्नमेन्ट थोड़ी सी और रहेगी, वह किसी भी नाम से रहे। आज के जमाने में और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा यह कहा जाय तो मुझे ताज्जुब होता है कि यह क्या हो रहा है ? यह कहा गया कि उस समय उनका शासन अच्छा चलता था और जो शासन आज चलता है वह देश के काम में नहीं आता है, गांव के काम में नहीं आता है और उसके साथ यह भी कहा गया कि चूंकि मैं कहता हूँ लेकिन मैं पहले जागीरदारों का समर्थक नहीं था और आज भी यह इसलिये कह रहा हूं। अच्छा, मैं ज्यादा न बोलकर उसके बाद जो कहा गया उस विषय में कह दूं। मैं बहुत वर्षों का अनुभव रखने वाला आदमी हूँ। मैंने कई वर्ष शासन के देखे हैं। मैं बताऊं उस शासन के जमाने में मैंने यह देखा है कि शासन चलता था........

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : यह बिल के सम्बन्ध में बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : वह थोड़ा फासला छोड़ गये, बाकी वे नजदीक आ रहे हैं।

(हंसी)

श्री किशनसिंह : जिनके द्वारा शासन चल रहा था उसमें व्यक्तियों को मारा जाता था। जागीरदारी उन्मूलन के बारे में हमने यह देखा कि काफी रोड़े अटके। यहां तक कहा गया कि जागीरदार वहां से हमला कर देंगे और यह कहा गया कि यदि ऐसा हुआ तो सारे भारत में पता नहीं क्या हो जायेगा ? यानी विप्लव हो जायेगा और भी अन्य प्रकार की बातें हो जायेंगी........

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैंने विप्लव के बारे में नहीं कहा........

Page No.90

श्री उपाध्यक्ष : I stand as a witness. It was never said.

श्री किशनसिंह : तो मैं इन सारी बातों को सुनने के बाद यह कहता हूं कि जागीरदारी के समाप्त होने में देरी हो गई और पता नहीं क्या होता। जितनी देर होती है उससे नुकसान उतना ही ज्यादा होता है। जितनी जल्दी हो सके सरकार को जागीरदारी को ले लेना चाहिये, चाहे वह किसी के भी नाम से हो। आज के जमाने में किसी भी तरह की जागीरदारी को बर्दाश्त करना असहनीय सी बात है।

श्री भैरोंसिंह : राजनैतिक पीड़ितों के नाम पर जो जागीरदारी है वह भी खत्म होनी चाहिये?

श्री किशनसिंह : जितनी भी तरह की जागीरदारियां हैं वे खत्म होनी चाहिये। यह भी कहा गया, इसे प्रवर समिति को जाना चाहिये। मैं कहता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है। इस पर यहां पर ही विचार कर लिया जाय। मैं यह जरूर कहूंगा कि हम अभी आये हैं। हम यहां आज ६ महीने के आराम के बाद आये हैं और हम अभी इतने ताजा हैं कि इस पर इसी सदन में बहस कर लेंगे। हमारे दिमाग ताजा हैं। हां, हो सकता है कि दो-तीन दिन के बाद थक जायें। मैं इतना बोलने के बाद यह चाहूँगा कि इस इस प्रस्ताव को यहीं पास कर दिया जाय।

श्री जगीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे सामने यह आलोचना की जाती है कि यह इस बिल का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हम जागीर उन्मूलन के विरोधी हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि न तो कभी हमारे दिलों में इस जागीर उन्मूलन का विरोध रहा है और न हम इस बात के ही विरोधी हैं। हां, अगर कहीं भी अव्यवस्था हो तो हम समाज के प्रतिनिधि होने के नाते उस अव्यवस्था को देखें और फिर उस अव्यवस्था को देखने का हमारा अधिकार भी है। लेकिन केवल जागीर उन्मूलन के नाम पर किस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, हमारे समाज के अन्दर? वह इसलिए किया जा रहा है कि हमारे सत्तारूढ़ दल का जो आर्थिक कार्यक्रम है, वह जो सोशियेलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की स्थापना करना चाहते हैं, उस सोशियेलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की गाइडेन्स के अन्दर, उसके आवरण के ऊपर; इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है कि सारे समाज के अन्दर जितने भी काम हैं, जो व्यक्ति स्वयं के इनिशियेटिव से करने वाला है, सब को खत्म करके सरकार का एक गुलाम बना दिया जाय। हमारे सदस्य कहते हैं कि इससे मन्दिरों को क्या आपत्ति है? सबसे पहले जो मन्दिरों पर आपत्ति होगी, वह है धर्म के अपहरण और मनुष्य के अपहरण की बात। वहां बदमाशी करने की स्वतंत्रता है, उसको रोकने का प्रयास नहीं किया जाता है। लेकिन मन्दिरों की स्वतन्त्रता को अपहरण करने का प्रयास किया जाता है कि जो मन्दिरों की आमदनी है वह आमदनी लेने के लिए तहसीलदार का मुंह देखना पड़ेगा। तहसीलों के अन्दर क्या होता है, उसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। तहसीलों के अन्दर यह होता है कि किसी आदमी पर तकावी लगी होती है या किसी मामले में दरखास्त देनी होती है तो हमारी गवर्नमेंट ने कई डिपार्टमेंट्स खोल रखे हैं और जब भी आदमी अर्जी देने जाता है तो कहते हैं कि पांच रुपये का सेविंग सर्टीफिकेट खरीदो, रैड क्रोस के टिकट खरीदो। तो जो महन्त अपनी मन्दिरों

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

की आमदनी तहसीलदारों के पास लेने जायेंगे उनके साथ इस प्रकार का प्रयास नहीं किया जायगा। जब मन्दिरों के ऊपर जो आमदनी का श्रोत है वह ही खत्म हो जायगा तो यह ही तो गुलाम बनाने का सबसे पहला तरीका है। आमदनी का जो श्रोत है, उस पर कब्जा कर लेंगे तो फिर आदमी जल्दी ही गुलाम हो जाता है। जब गवर्नमेंट के पास यह हो जायगा तो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं होगा। इससे तो यह पता लगता है कि हमारी सरकार ही प्रजातांत्रिक नहीं है। अगर आज महन्त सरकार की किसी नीति का विरोधी होकर किसी दूसरे का पक्ष करेगा तो उस पर किसी भी तरह की कार्यवाही की जा सकती है क्योंकि उसकी आमदनी का सारा हिसाब किताब तो तहसीलदार के पास ही रहेगा। यह तो वही बात हो गई कि जैसा मैंने अभी अखबारों के लिए कहा था कि सरकार के विरोध में कोई बात छाप दी तो उसको एडवर्टाइज़मेंट ही देना बन्द कर देते हैं, जिससे कि उसकी आय कम हो जाय। आज मन्दिरों के इन्सटीट्यूशन्स इस प्रकार के हैं कि जिनका सारी जनता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सरकारी दल किस प्रकार से उस सारे प्रभाव को अपनी ओर मोड़े ? इस प्रकार से मन्दिरों के महन्तों को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया जा रहा है। उदयपुर से आने वाले एक सदस्य ने यह मन्जूर किया कि सरकार का जो खर्चा होगा वह खर्चा कटने के बाद में उनको सौंप दिया जायगा। एक योजना चल रही है कि जितना भी लगान वसूल हो वह पंचायतों के द्वारा हो और पंचायतों को उसका एक भाग दे दिया जाय। तो जिस आधार के ऊपर, जिस उद्देश्य से; जिस लक्ष्य से जमीनें मन्दिर को दी गई थीं, वह मन्दिर से जमीनों के बदले में कोई सरकार टैक्स ले इस प्रकार की भावना ही थी। इस प्रकार के जो इन्सटीट्यूशन्स हैं उनका काम चलाने के लिए उनको जमीनें दी गई थीं और हमारे सरकारी पक्ष के सदस्य स्वयं स्वीकार करते हैं कि इस लगान में जो वसूली का खर्चा आयगा वह उसमें से काटा जायगा।

दूसरी यह दलील दी जाती है कि मन्दिरों के पास जो जमीन है उसका विकास नहीं हो सकता। सारी स्टेट में जब डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, मन्दिरों के अधीन जो जमीनें हैं वे पिछड़ी नहीं रहनी चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि जब जमीन का सेटलमेंट हो गया, लगान तय हो गया, जब सारी बातें तय हो गईं तो फिर जमीन का विकास कैसे नहीं होगा ? महन्तों के अधीन जो जमीन है वह भी काश्तकारों को मिली हुई है, उन पर काश्तकारों का पूरी तरह से कब्जा है। जो कुछ भी उनसे लगान तय हो गया है, वह सिर्फ महन्त को दिया जाता है, बाकी सब अधिकार काश्तकार के हैं उस जमीन पर; वैसी हालत में उनसे जमीनों को लेने का मतलब क्या है ? सरकारी बैन्चों पर बैठने वाले माननीय सदस्य भी यह मानते हैं कि महन्त के अधीन जमीन होने से वे विकास नहीं कर सकते उनको सरकार पैसा नहीं दे सकती। इस प्रकार से उन लोगों को हतोत्साह करना और उनको मन्दिरों के महन्तों के खिलाफ भड़काना अनुचित है। आज मन्दिर ऐसी संस्था हैं जो हर समाज के जीवन की आधार शिला बन गये हैं। आपको इस प्रकार का प्रयास नहीं करना चाहिये, जिससे इस प्रकार की इन्स्टीट्यूशन्स में, जिसका प्रभाव सारे समाज पर है, उन पर इस प्रकार से अपना प्रभाव स्थापित किया जाय ताकि

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

वे हमेशा सरकार के इशारे पर चल सकें। अव्यवस्था के नाम पर इन सारी इन्स्टीट्यूशन्स को समाप्त कर दिया जाय और सरकारी यन्त्र के नीचे ले लिया जाय ताकि सरकार उन पर अपना नियन्त्रण रख सके, ऐसा प्रयास सरकार इस बिल द्वारा करना चाहती है। राष्ट्रीयकरण के नाम पर आज सरकार का यह मकसद बन गया है, ज्यादा से ज्यादा नौकरशाही को बढ़ाने का प्रयास किया जाय। मंदिरों के जो महन्त हैं उनको भी एक प्रकार से सरकारी नौकर के रूप में लाया जाय, यह प्रयास आप कर रहे हैं जो बिल्कुल अनुचित है। आज सरकार को सबसे पहले जमीनों की अव्यवस्था के सम्बन्ध में कैसे ध्यान आया? क्या कभी सरकार ने मन्दिरों की आर्थिक स्थिति की जांच की है? आर्थिक स्थिति किसी की खराब जान कर किसी मन्दिर को सहायता प्रदान की है? कभी आपने इस पर विचार करने की कोशिश की है? सरकारी सहायता का नमूना मैं आपके सामने पेश करूं; भूतपूर्व ठिकाने के मन्दिरों को किसी को दो रुपये, किसी को पांच रुपये सहायता के रूप में मिला करते थे लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उन मन्दिरों को कहीं कहीं साल साल भर से, कहीं कहीं दो दो साल से वे भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। आज यह कहा जा रहा है कि इस प्रकार का बिल पास होने से भी उनकी सहायता में किसी प्रकार की कमी नहीं आयगी, यह कैसे विश्वास किया जा सकता है? सरकार का कहना है कि वह जो अव्यवस्था मन्दिरों में व्याप्त है, उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहती है, यह बिल्कुल गलत बात है। मेरी यह मान्यता है कि अव्यवस्था के नाम पर इस प्रकार से मन्दिरों के हथियाने का प्रयास किया गया तो यह समाज की भावना पर बड़ा आघात पहुँचेगा, आज इस बिल द्वारा जिस व्यवस्था को हम स्थापित करने जा रहे हैं उस व्यवस्था से समाज पर कुठाराघात होगा और जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं वह किसी प्रकार भी पूरा नहीं होगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (जनसंघ) के कांग्रेस दल की ओर बैठ कर भाषण देने पर]

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य का ध्यान रूल नम्बर २१९ के सब सेक्शन रूल (७) की ओर दिलाना चाहता हूँ "shall keep to his usual seat while addressing the House"

भविष्य में इस ओर ध्यान दिया जाता रहेगा, ऐसा ख्याल करता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रस्ताव सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा, उस पर जो वाद विवाद हुआ........

श्री सज्जनसिंह : Not audible, Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास : (जारी रखते हुए) मैं समझता हूँ, इस बिल में जो अमेंडमेंट पेश किया गया है वह बहुत ही मामूली सा है। यह बिल जो पहले से एक्ट बना हुआ है। हमने राजस्थान में इस सिद्धांत को माना है और जिसको विरोधी दल के सदस्यों ने भी कबूल किया है कि किसानों और सरकार के बीच में सीधा सम्पर्क होना चाहिये। इन्टरमिडियरी समाप्त होनी चाहिये और इसी सिद्धान्त के आधार पर ही जागीरों का एबोलिशन हुआ है। उसमें सब प्रकार के प्रोवीजन्स दिये हुए हैं कि किस प्रकार से यह प्रथा खत्म होगी, किसी प्रकार से कम्पेन्सेशन आदि

(श्री दामोदरलाल व्यास)

दिया जायगा। उसमें सिर्फ रिलीजियस जागीरें जो थीं उनको उस समय एग्जेम्प्शन दिया गया गया था। उस समय सरकार की यह मन्शा थी कि धार्मिक जागीरों पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाय। रिलिजियस जागीरों की आमदनी पर किसी प्रकार दखल न दिया जाय। जब सरकार ने और विरोधी पक्ष ने भी इस सिद्धान्त को स्वीकार किया कि इन्टरमिडियरीज् को समाप्त किया जाय तो जहाँ तक इन जागीरों का ताल्लुक है उनमें वही स्थिति है इसमें किसी प्रकार का हेर फेर नहीं है। इसके ओब्जेक्टस एण्ड रीज़न्स में साफ लिख दिया गया है कि जहां जहां मन्दिरों का मिस मेनेजमेंट है उसको सरकार अपने अधिकार में लेगी। यह बात सही है कि जिस वक्त जागीर रिजम्प्शन एक्ट बना उस समय रिलीजियस जागीरें थीं, उन सब का इन्तजाम महन्तों के हाथ में दिया गया था, वह इस लिए कि कुछ समय उनको और दिया जाकर उनकी स्थिति को एग्जामिन कर लिया जाय कि यदि ये जमीनें महन्तों के आधीन रहते हुए मेनेजमेंट ठीक प्रकार से हो सकता है या नहीं, अगर हालतों के एग्जामिन करने के बाद हम यदि इस नतीजे पर पहुँचे कि मिस मेनेजमेंट होता है तो हम इस एक्ट में उनको भी इन्क्लूड कर लेंगे। बहुत सी बार यह दलील दी गई है कि यदि सरकार का हस्तक्षेप इसमें रहा तो मन्दिरों में जो सेवा-पूजा में जो पुजापा चढ़ता है: जो कुछ गहने आदि की प्रोपर्टी है उस पर भी सरकार अपना अधिकार कर लेगी, यह बिलकुल गलत बात है। यह बात बिल्कुल साफ है कि जिस समय जागीर रिज़म्प्शन एक्ट में इन जागीरों को एग्जेम्प्ट किया गया गया था, दफा २० में यह एक्जेम्प्शन दिया गया था कि रिलीजियस जागीरें जो होंगी उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। अब हम दफा बीस को डिलीट करके दूसरी जागीरों पर जो कानून लागू है वही इस पर भी लागू करना चाहते हैं। आम जागीरों में और रिलीजियस जागीरों में काफी फर्क है। जहां तक रिलीजियस जागीर का ताल्लुक है, इसकी जो ग्रास इन्कम होगी उसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ निकाल कर जो होगी, वह इन परपीचुएटी मन्दिरों को मिलती रहेगी और उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज दस पर्सेन्ट ही फिक्स्ड हैं। मैं नहीं समझ पाया कि आज जो इस कदर बहस हो रही है, वह हमदर्दी महन्तों के साथ है या मन्दिरों के साथ है ? यह मैं नहीं समझ पाया ...

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मन्दिरो और महन्तों के साथ नहीं बल्कि देवताओं के साथ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : देवताओं के के पास इन्कम कितनी पहुंचेगी या नहीं पहुँचेगी, यह बात तो दूसरी है किन्तु महन्तों के पास तो पहुँचेगी ही ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं तो पचास साल से आर्य समाजी हूँ, मैंने तो जनता के जो भाव हैं, उनकी ओर आपका ध्यान दिलाया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आर्य समाजी हैं जब ही तो ऐसी बातें कर रहे हैं, सनातनी होते तो ऐसी दलीलें नहीं देते।

माननीय सदस्यों का यह भी कहना है कि इसको जल्दी पास करवाया जा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि काफी समय पूर्व ही इस बिल को सक्यूर्लेट कर दिया गया था किन्तु इतने पर भी किसी माननीय सदस्य ने कोई अमेन्डमेंट इस पर नहीं दिया। यह बात जरूर है कि जो कुछ विचार इस बिल पर माननीय

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सदस्यों ने रखे, उसको रिजर्व रखा जाता, एक दूसरा बिल इसी सदन में आ रहा है, जिसका नाम है हिन्दू रिलीजियस ट्रस्ट बिल, उस वक्त ये दलीलें दी जातीं तो ज्यादा वाजिब था।

एक माननीय सदस्य : यह तो अभी रिहर्सल ही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : रिहर्सल तो हो चुका। जहां तक सरकारी रुख का ताल्लुक है, रिलीजियस जागीर्स के सम्बन्ध में वह बराबर सदन के सामने रखा जा चुका है। सरकार का रुख स्पष्ट है कि कोई भी रिलीजियस जागीर्स हैं, उनमें सरकार किसी प्रकार भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। धार्मिक स्थानों पर किसी प्रकार का भी दखल देना नहीं चाहती। यह बात जरूर सरकार चाहती है जो कुछ भी जनता ने ट्रस्ट उनको सौंपा है, वह सब मन्दिर के ही काम आना चाहिये। किसी भी महन्त को उस ट्रस्ट का दुरुपयोग करने का मौका सरकार देना नहीं चाहती। इसी उद्देश्य को लेकर रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट पास किया गया था। लेकिन वह किसी वजह से लेप्स हो गया। वह पुन: इसी सदन में आयगा, उस समय ये दलीलें देने का बहुत मौका मिलेगा। यह तो एक इन्नोसेन्ट बिल है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : ५ पर्सेन्ट भी नहीं हैं, महन्त तो...

श्री उपाध्यक्ष : Order please! The Hon'ble Member will kindly resume his seat. He will not disturb the speech.

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय कि यह तो एक बिल कुल इन्नोसेन्ट बिल है। सिवाय इसके कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज के जो कि दस पर्सेन्ट हैं, बाकी सारी आमदनी पर पीचुअली टेम्पल को देंगे। हां इसे कैसे खर्च किया जावेगा, इस पर अंकुश लगाने का प्रोविजन जिस बिल में है वह आइन्दा आ रहा है। अलबत्ता उसका आप विरोध करें तो यह समझ में भी आ सकता है। इसके लिये आप तैयार होकर आवें। पर इसके लिये तो अधिक समय न लें तो ज्यादा बहतर होगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस बिल को बजाय सिलेक्ट कमेटी में भेजने के सदन में ही पास कर दें। यह एक छोटा सा इन्नोसेन्ट संशोधन है। हमने पहले ही जब यह बिल सदन में आया, काफी विचार किया है और बहुत सोच विचार करके इसको पास किया है, अमेन्ड किया है और मैं समझता हूँ अब भी जब जब मौका आवेगा इस पर काफी सोच-विचार किया जावेगा। इसलिये मैं नहीं समझता कि इस छोटे से संशोधन को सिलेक्ट कमेटी में जाने की क्या आवश्यकता है? इसलिये मैं तैयार नहीं हूँ इसके लिये। जैसा है यह बिल वैसा ही पारित हो जावे यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं भी अर्ज कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : दुबारा बोलना संसदीय पद्धति के विरुद्ध जाता है, इसलिये मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप ऐसा न करें।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्रीजी ने इस बिल को एक इन्नोसेन्ट बिल बताया है। यदि यह बिल इन्नोसेन्ट है तो मुझे मजबूर होकर कहना पड़ता है कि माननीय राजस्व मंत्रीजी स्वयं भी इस बिल के प्रति इन्नोसेन्ट हैं।

(हंसी)

(श्री भैंरोसिंह)

मैंने जिस समय यह प्रस्ताव पास किया था, दो बातों की ओर विशेष तौर से सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी। मुझे उम्मीद थी कि इस बिल में जो एक महत्वपूर्ण बात, एक इन्नोसेन्ट लेंगवेज में लिखी गई है, उसको सदन पहचान कर उसकी इम्पोर्टेन्स को महसूस करेगा। इसका एक अमेन्डमेन्ट है उपाध्यक्ष महोदय, जिस पर माननीय राजस्व मंत्रीजी की ओर से बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा गया। इसमें यह जागीर जो है वह कौनसी होगी? एक तो यह है :

"Jagir which is utilised for the maintenance of religious institutions."

और अब एक अमेन्डमेन्ट आया है उसमें लिखा है।

"Jagir which was originally granted for the mantenance of religious institutions."

मैं समझता हूँ कि इसमें वास्ट डिफरेन्स है। इसमें एक जबर्दस्त परिस्थिति महन्तों के सामने आने वाली है और वह निश्चित रूप से सरकार की ओर से लाई जावेगी। सरकार की ओर से मिसमेनेजमेन्ट का चार्ज उन पर लगाया जावेगा और फिर कहा जावेगा कि तुम अपना ताम्र पत्र लाओ, पट्टा लाओ। अब अगर ताम्र पत्र नहीं है, पट्टा नहीं है कोई लिखावट नहीं है तो इसका मतलब यह होगा कि यह जागीर ओरिजिनली इस बात के लिये ग्रान्ट नहीं हुई। यों ही मन्दिर के नाम पर इस जागीर पर काम किया जा रहा है और यह एस्टेब्लिश करने के बाद सरकार १० पर्सेन्ट ही नहीं काटेगी बल्कि जागीर रिजम्प्शन एक्ट में और जागीरों के साथ जो सुलूक होता है वही उनके साथ होगा। इस सम्बन्ध में और भी पर्सनल प्रोपर्टी की लिस्ट देने की उसे बैरीफाई करने की जब बात आवेगी तो वह सब मंदिर वालों को करानी पड़ेगी और भी जितनी कम्पेन्सेशन लेने की शर्तें हैं, उन्हें जागीरदारों की माफिक माना जावेगा। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि मंदिरों के मालिकों की जो आमदनी आज उनको मिल रही है वह उनको हमेशा के लिये मिलती रहेगी यह बिल्कुल सम्भव नहीं है। यह भी सम्भव नहीं कि सबके पास पट्टा होगा, या ताम्र पत्र होगा जिससे यह अच्छी तरह एस्टिब्लिश किया जा सके कि यह जागीर ओरिजिनली ग्रान्ट हुई है। जागीरें रिजम्प्शन हुई हैं तो उस वक्त भी कई जागीरदारों के पास करीब ५० पर्सेन्ट के पास इस बात के पट्टे नहीं थे कि जिससे यह तस्दीक की जा सके कि यह उनको किस समय, किसके द्वारा कैसे मिली थी, किस राजा के द्वारा यह उनको दी गई थी या किस जागीरदार के द्वारा यह सब ग्रान्ट की गई थी। तो इस तरह की किसी के पास कोई लिखावट नहीं थी। इसलिये वे प्रभावित होतीं वे प्रभावित होतीं ही या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। पर इन मन्दिरों के लिये जिस तरह से शब्द यूज किये गये हैं :

"originally granted for the maintenance of religious institutions."

इस शब्द "ओरीजिनली" में कुछ न कुछ खुराफात है। यह खुराफात-शब्द मैं मजबूर होकर यूज कर रहा हूं और इसलिये कर रहा हूं कि इसको इन्नोसेन्ट बतलाया गया है। इन्नोसेन्ट के अन्दर एक जबर्दस्त खुराफात है और इसी को पोइन्ट आउट करने के लिये मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया था। पर उसका कोई उत्तर नहीं मिला। आब्जेक्ट्स

(श्री भैरोंसिंह)

एएड रीजन्स में बताई गई चार बातें बिलकुल सही हैं। कहने को सही हैं, सिद्धान्त स्वीकार करने को सही हैं।

पर हमारे समाज में महन्त ही ऐसा नहीं है जिसकी जागीर रिज्यूम अगर नहीं होती है तो समाज में भूचाल आ जावेगा या जिस के कारण समाज डगमगा रहा है। भूचाल तो आज आ रहा है दूसरे महन्तों के कारण से जिनको समाप्त करने के लिये लोग आज तैयार हैं। जिन पर इल्जाम लगाया जा रहा है, महन्तों को कहा जा रहा है कि उन्होंने छोटी-मोटी सरकारी रकम ही नहीं खाई बल्कि और भी बड़ी बड़ी रकमों पर हाथ साफ किया है। वे अब भी उदयपुर में महलां के बीड़ में हजारों रिश्वत के लेकर सरकारी रकम का भयंकर दुरुपयोग कर रहे हैं। पर ऐसे महन्तों के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। इसलिये नहीं हो सकता कि इन महन्तों में और मंदिर के महन्तों में फर्क है। यह ओरिजिनल पट्टा नहीं है, उनके पास तो सर्टीफिकेट है कि हम भी महन्त हैं। समाज में से इस प्रकार के महन्तों को निकाल फेंकने की आवश्यकता है जिनके कारण आज समाज में एक विषम वातावरण की सृष्टि हो रही है। उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था है मन्दिरों के महन्तों के लिये केवल, जो कि इन महन्तों के मुकाबले में कुछ भी नहीं हैं। ये जितने मन्दिर हैं, रिलीजस इन्स्टीट्यूशन्स हैं, चैरिटेबल इन्स्टीट्यूशन्स हैं, इन में कोई बहुत बड़ा घोटाला हुआ है ऐसा कुछ भी नही कहा जा रहा है, इसका कोई सुबूत नहीं पेश किया जा रहा है, जब कि दूसरी तरफ उन कई प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स के बारे में, उन एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स के बारे में जिनको सरकार बड़ी बड़ी ग्रान्ट इन एड दे रही है सुबूत पेश किये जा रहे हैं कि किस प्रकार वे राज्य की इन बड़ी बड़ी रकमों का दुरुपयोग कर रही हैं, ऐसे प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स, जिनके कर्ता-धर्ता ये मन्त्री महोदय हैं; उनके हिसाब में गड़बड़ियां हैं, कभी आडिट नहीं होते, अध्यापकों को देना दिखाया जाता है पर अध्यापकों को नहीं मिलता है। जितनी क्लासें खोलने की बात कही गई और जिस आधार पर ग्रान्ट इन एड लिया गया उतनी क्लासें नहीं खोली गई। फरजी तरीकों से धन को खर्च किया गया, तो आज यहां धन का दुरुपयोग होता है। पर इसे देखने की जरुरत नहीं। इन पर अंकुश डालने की कोई जरुरत नहीं, उनके लिये कोई नियम उपनियम भी नहीं। चाहे जैसे वे खर्च करें, उड़ावें, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं, कोई आडिट कराने की जरुरत नहीं। लोग भले ही चिल्लाते रहें। उनसे कोई उनको झगड़ा नहीं, उनको जलन है मन्दिरों के महन्तों से, यदि इस प्रकार की परिभाषा ली जावे जो मन्दिरों के महन्त पूजा करने की दृष्टि से हैं वे कोई मन्दिर की सम्पत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उनके लिये पहले बनाया जावे, इनके लिये नहीं, तो यह सचमुच दुर्भाग्य की चीज होगी। फिर मामला यह है कि यदि आज केवल महन्तों को इसलिये हम अपने सामने लें कि उनके यहां कोई मिसमैनेजमेन्ट है और इस लिये रुपये का कोई बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है तो सबसे पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस मिस मैनेजमेन्ट को दूर कर सकते हैं या नहीं और अगर दूर करने के लिये जागीर रिजम्पशन ही पूरा फैक्टर है तो इस विषय पर विचार कर सकते हैं। पर जैसा बताया कि आज से चार साल पहले सन् ५२ में कानून बना था उस समय हम ऐसा समझ रहे थे कि रिलीजस

(श्री भैरोंसिंह)

इन्स्टीट्यूशन्स जागीरों का स्वयं उपभोग करें और चार वर्ष में यह तजुर्बा हो गया कि वहां तो मिसमैनेजमेन्ट है। तजुर्बा किस रूप में हुआ, यह भी मेरा ख्याल है कि नहीं कह सकते, किस आधार पर ये विचार बनाये यह भी नहीं कह सकते, प्रत्यक्ष में यह नहीं कह सकते कि कितने मंदिरों का मिसमेनेजमेंट है? नाथद्वारा के लिए कह सकते हैं। नाथद्वारा में महन्तजी अयोग्य हैं इसलिए मिसमेनेजमेंट है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि वहां मिस मेनेजमेंट है सरकारी अधिकारियों का, सरकार के अधिकारियों का वहां हस्तक्षेप है, वहां मिसमेनेजमेंट है सरकार के अधिकारियों के कारण लाखों रुपयों का घोटाला, लाखों रुपये उधार दिये लेकिन वसूल नहीं कर सकते। इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, इसकीजिम्मेदारी समाज की नहीं बल्कि सरकार की है! सरकार अपने मिसमेनेजमेंट को, नीचे के सरकारी अधिकारियों द्वारा किये गये मिसमेनेजमेंट को दूसरों पर थोप कर मंदिरों की जागीरों को समाप्त करना चाहती है, यह नहीं हो सकता। इस प्रकार के अपने मिसमेनेज को जनता पर सरकार थोपना चाहती है, यह नही थुप सकता। सरकार यहां जागीरी रिजम्प्शन के सिद्धान्तों को स्वीकार करती है, जब उसको स्वीकार करती है तो उन सिद्धान्तों के वह विपरीत नहीं जाती और यदि उनके विपरीत जाती है तो यह स्वाभाविक है कि उनका विरोध होता है। लेकिन इसमें जो व्यवस्था है उसके अनुसार इसमें जबरदस्त अन्तर है। एक जागीरदार की जागीर खत्म करते है, काश्तकारों को लाभ देने के लिए, एक जागीरदार की जागीर खत्म करते हैं काश्तकारों को लाभ देने के लिए, जागीर खत्म करते हैं इसलिए कि काश्तकारों और सरकार के बीच जो इन्टरमीजियरीज़ है उनको खत्म किया जाय, एक तो यह दृष्टिकोण हो सकता है और दूसरा दृष्टिकोण यह हो सकता है कि जागीर इसलिए खत्म करते हैं कि लैंड रिफोर्म्स हो सकें। लेकिन इसका जो ओपरेटिव साइड है वह यह है कि उसके मिसमेनेजमेंट को दूर किया जाय। आज जो इन्स्टीट्यूशन्स हैं, वे समाज के लिए आवश्यक हैं, वे समाज का आवश्यक अंग हैं। एक को इसलिए खत्म किया कि वे गैर आवश्यक हैं और दूसरी इन्स्टीट्यूशन को इसलिए पनपाना चाहते हैं कि चूंकि वे समाज के लिए आवश्यक हैं। एक इन्स्टीट्यूशन्स के लिए जागीर आवश्यक हो सकती है, उसके लिए सहायता आवश्यक हो सकती है, लेकिन चूंकि जागीरें खत्म कर रहे हैं इसलिए सहायता की भी कोई आवश्यकता नहीं। इन दोनों में अन्तर समझना पड़ेगा। जिस दिन जागीरें खत्म हुईं वह सरकार की मर्जी पर चला, सरकार की मर्जी पर चलाया गया। आज कहेंगे कि मंदिरों में मिसमेनेजमेंट है इसलिए जागीरें खत्म करो, कल सरकार कहेगी पुजारी के मिसमेनेजमेंट है इसलिए पुजारी को खत्म कर दो। आज जागीरें खत्म होंगी, कल पुजारी खत्म होगा और इस प्रकार के समाज के आवश्यक अंग को सरकार अपनी मर्जी पर समाप्त करना चाहती है, चूंकि उनके साथ बहुमत है। एक सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आज राजस्थान में नौकरशाही का बोलबाला है। यह वे ही नहीं कहते लेकिन मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष स्वयं यह कहते हैं कि नौकरशाही का बोलबाला है, मुख्य मन्त्री यह कहते हैं, और राजस्थान के बहुत बड़े नेता हैं वे यह कहते हैं कि यहां नौकरशाही

(श्री भैरोंसिंह)

का बोलबाला है। जो पंचायत संघ के नाम पर राजस्थान में नौकरशाही विद्यमान है, उसके लिए कहते हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री ऐसे सम्मेलन का उद्घाटन करते हैं, एक सदस्य उसके कोषाध्यक्ष बने हुए हैं वे कहते हैं। जब कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यह कहते हैं कि आज राजस्थान में डेमोक्रेसी नहीं किन्तु नौकरशाही है, इस कानून के द्वारा फिर नौकरशाही को और जिन्दा करना चाहते हैं। इसलिए मैं उन्हीं के शब्दों में, कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्य मंत्री और बड़े बड़े नेताओं के शब्दों में इस नौकरशाही का विरोध करता हूँ। चाहिए तो यह था कि उनकी भावनाओं की कद्र की जाती, आखिर यह देखा जाता कि वे, नौकरशाही का जो बोलबाला है उसका क्यों विरोध करते हैं ? फिर भी आप इन मंदिरों की जागीरों को रिज्यूम करके, महन्त पर मिसमेनेजमेंट का इल्जाम लगा कर, उनको हटाकर आप नौकरशाही को पनपाना चाहते हैं, नौकरशाही को पनपाने की कोशिश करते हैं तो जरूरी करिये, क्योंकि यहां बहुमत आपका है, किन्तु समाज इसको एप्रिशेयेट करने वाली नहीं है और वे यह समझते हैं कि जनता इसको एप्रिशेयेट करेगी तो यह उनको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिये।

अब यह कहा जाता है कि इनटरमिडियेरीज़ को खत्म करना है। मैं मानता हूं। लेकिन उसका भी तरीका है। काश्तकारों और मंदिर के बीच में इसका सम्बंध रहे। जो मंदिरों के साथ लगी जमीनों की आमद है, जो पैसा है वह मंदिर के पास पहुँच जाय। उपाध्याय महोदय, पंचायतों को वसूली के अधिकार देने की बात करते हैं। राजस्व मंत्रीजी यह सोचते होंगे कि यह एक बावेला आ रहा है। राजस्व मंत्रीजी ने कहीं घोषणा की होगी, हालांकि स्पष्ट नहीं, उनकी यह भावना हुई होगी कि पंचायतों के लोगों को वसूली के अधिकार दिये जावेंगे। जब अधिकार दे रहे है तो यह व्यवस्था भी कर सकते हैं कि इन मंदिरों की जितनी जीविका है, जितनी इन मंदिरों की लैंड रेवेन्यू है वह तहसीलदार और पटवारीज़ के द्वारा वसूल नहीं होगी किन्तु पंचायत के सरपंच उसको वसूल करेंगे और फौरन जिन मंदिरों की जीविका है उनको सौंप दें, मैं समझता हूँ कि इसमें राजस्व मंत्रीजी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इससे यह होगा कि जो इन्टरमिडियेरीज़ हैं वे समाप्त हो गईं, जिनको पैसा मिलना चाहिए उनको पैसा मिल गया। तहसील मैं जाकर वो आमद न लें, लेकिन पंचायतों में जाकर वह आमद मिल जाया करे। मैं समझता हूँ कि न तो इसके खिलाफ कोई दलील है और न कोई दलील ही दे सकते हैं। इस सम्बंध में इन्टरमिडियेरीज़ को खत्म करने के लिए इसमें संशोधन लाकर कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि सरकार कोई कानून बनाये उसके पहले उसकी पृष्ठिभूमि तैयार करे। लेकिन इसमें कोई पृष्ठिभूमि नहीं है। लेकिन इसमें एक जलन है, एक मनोवृत्ति है और उसको लाने से समाज में जो व्यवस्था है वह छिन्न-भिन्न हो। यदि उस मनोवृत्ति से कोई कानून बनता है तो बहुत मुमकिन है कि सदन में बहुमत है इसलिए वह पसन्द करे। लेकिन इसको जनता पसन्द करने वाली नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कही जाती है, आज मुख्य मंत्रीजी मोजूद नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि खास तौर से वे स्वयं इस बात को प्रयोग में लाते हैं और कहते हैं कि जनता हमारे साथ है, इसलिए तो इसको मजूर करती है।

(श्री भैरोंसिंह)

लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि यहां कि यहां वोट देने में उनके साथ बहुमत हो सकता है लेकिन वास्तव में जनता उनके साथ नहीं किन्तु किसके साथ है यह देखें। यहां और वहां में बड़ा अन्तर है। इसको कोई भी देख सकता है जिसने छात्र आन्दोलन को देखा है। बहुमत किसके साथ है यह देखा जा सकता था कि जब छात्र आन्दोलन कर रहे थे, पूरे राजस्थान में जब कि छात्रों का आन्दोलन चल रहा था, सरकार यह महसूस कर रही थी इस पर जनता हमारे साथ है और चूंकि जनता हमारे साथ है इसलिए सरकार घोषणा करती है कि वह बढ़ी हुई फीस छात्रों से लेगी। लेकिन सरकार उस आन्दोलन में झुकी और छात्र जो कुछ चाहते थे कुछ अन्शों में उनको मिला। तो कहने का मतलब यह है कि बहुमत का जब अन्वेषण करते हैं, तो उसका मापदंड यह नहीं है कि विधान सभा में जो बहुमत है इसलिए सारी जनता हमारे साथ है। यदि इसकी कोई जानकारी माननीय मंत्रीजी को करनी है तो कोई इसके लिए रिपोर्ट तैयार करिये, इस सम्बन्ध में कोई कमेटी नियुक्त करिये कि यह किस हद तक है और उसके बाद वास्तव में वे महसूस करते हैं कि यह कानून लाना चाहिए तो लावें।

मुझे एक माननीय सदस्य का भाषण सुन कर अचम्भा हुआ। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को बदहजमी हो जाय और उसकी बदहजमी मिटाने के लिए कोई चूरण लाये तो उस पाचन शक्ति को ठीक करने के लिए उसका विरोध नहीं होना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं इतना ही निवेदन करूंगा कि पाचन शक्ति के लिए जितनी गोलियां हैं, टिकियायें हैं, पाचन शक्ति के लिए जितने चूरण हैं; पहले उनको स्वयं वे लें और स्वयं की जो बदहजमी है या साथ रहने वालों में बदहजमी हो रही है उसको दूर करें और स्वयं की अगर बदहजमी दूर हो गई है तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि बाकी के लोगों में उनके कारण जो बदहजमी फैल रही है वह दूर होगी। लेकिन उन बदहजमी के कारण घर के लोग बुरी तरह परेशान होकर खत्म होंगे तो उसके जहर से सारा समाज खत्म होगा और उसके लिए सबसे अच्छा इलाज यही है कि वह सब को न दें। पहले उसको घर पर ही आजमायें। यदि उस चूरण से पाचन शक्ति ठीक होती है पहले अपने ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट करें, अपने घर वालों पर उसका एक्सपेरीमेंट करें और उसके बाद दूसरों पर।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस कारण इस कानून को इन्नोसेन्ट बताया गया, उस संबंध में निवेदन करूंगा कि जो सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वह भी इतना ही अच्छा था, लेकिन फिर भी यह इसके लिए निश्चित कर दें कि यह कहां से मिलेगा, इन धाराओं का किस तरह से इफेक्ट होगा, नेट इन्कम की वसूली की कार्यवाही करने के लिए जो जागीरी रिजम्प्शन में बातें निर्धारित की हैं, उसके लिए कौनसे आदमी इसको कलेक्ट करेंगे, किन किन चीजों को बाकी निकाल कर करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Mr. Dy. Speaker, Sir, on a poeint of information, all these factors are there in the original Jagir Rasumption Act.

इसमें ग्रोस इन्कम क्या है, यह दिया हुआ है, नेट इन्कम क्या होगी, चेरिटेबल

Page No.100

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इन्स्टीट्यूशन्स के लिए दिया हुआ है ?

There is nothing to be added more.

मेरे लायक दोस्त ने इसको पढ़ा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : चेरिटेबल चीजों पर फिर निवेदन करूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : कर करा देना। अब तो हो चुका।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल को पढ़ा भी है और यह भी देखा है कि जागीरी रिजम्प्शन करते समय जागीरी रिजम्प्शन के लिए ग्रोस इन्कम में कौन कौन चीजें शामिल होती हैं, कानून जब बनता है तो उसमें किन किन मदों को शामिल किया जाता है, उस वक्त सरकार के दिमाग में यह नहीं था कि रिलिजियेस इन्स्टीट्यूशन्स की जो जागीरें हैं, उनको भी खत्म करने जा रहे हैं। उस समय की व्यवस्था उन्हीं बातों के लिए थी और उनमें उन्हीं बातों का उल्लेख है। जागीरदारों को जागीरदार होने के नाते से जो जमीनों से आमदनी होती थी उसको रिज्यूम किया, लेकिन उस वक्त यह कभी नहीं सोचा गया कि मंदिरों की आमदनी और जागीरों की आमदनी में फर्क है।

श्री दामोदरलाल व्यास : Again there is a misleading statement. We are not resuming Mandirs, we are resuming jagirs which are attached to the temples. मंदिरों का रिजम्प्शन होने पर। मंदिरों की जागीरों की इन्कम क्या है, उसको रिज्यूम करें। रिपील का सवाल नहीं है। ओवर इन्कम है उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह (जारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि जिस प्रकार की बातें माननीय राजस्व मंत्रीजी कर रहे हैं उनसे मुझे ऐसा पता लगता है कि इस बिल की गहराई की माननीय राजस्व मन्त्रीजी को कोई पता नहीं है कि यह एमेंडमेंट होता है किस बात का ? १९५२ के जागीर रिजम्प्शन एक्ट में जो मुस्तसिनियात थे, जैसा कि मंदिरों के अन्दर जो जागीरें है वे खत्म नहीं होंगी, अब इस एमेंडमेंट के द्वारा उस क्लॉज् को हटाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस कानून की मन्शा यही है, और यदि यह मंशा है तो जागीर रिज़म्प्शन की जो अन्य धाराएं हैं वे धाराएं इस चीज पर भी लागू होंगी। यदि वे धाराएं लागू नहीं होती हैं तो माननीय मंत्रीजी इस सदन में स्टेटमेंट दें कि जागीर रिजम्प्शन की जो जागीर कम्पेन्सेशन के लिए, उसकी नैट इन्कम केलक्यूलेट करने के काम के लिए जो व्यवस्था उस एक्ट में दी हुई है, वह व्यवस्था जागीर रिजम्प्शन एक्ट में यह एमेंडमेंट होने के बाद इन मन्दिरों की प्रापर्टी पर लागू नहीं होती है, तो मैं समझता हूँ कि कुछ बात सही है। इसी आश्वासन पर मैं बैठ जाऊंगा कि इस प्रकार का कोई एमेंडमेंट आयेगा। लेकिन इस एक्ट में व्यवस्था एक अजीब प्रकार की है। पिछले एक्ट में जो व्यवस्था है वह पूरी की पूरी व्यवस्था मन्दिरों के लिए लागू होगी। आज एक मंदिर को कहा जा सकता है कि आपको इस प्रकार की प्रोपर्टी की लिस्ट देनी पड़ेगी, हम उसको जागीर समझते हैं और मंदिर मालिक समझा जाता है। इसलिए मालिक होने के नाते उसको उसकी पूरी तामील करनी पड़ेगी और जो व्यवस्थाएं जागीर रिजम्प्शन एक्ट में दी हुई हैं उनसे उनको मुक्त नहीं कर सकते हैं। जो उनके ऊपर दायित्व जागीर

Page No.101

(श्री भैरोंसिंह)

रिजम्प्शन एक्ट के नाते आते हैं, वह पूरे के पूरे उस पर आयेंगे। ऐसी सूरत में निवेदन कर रहा हूं कि यह राजस्थान के लिए अच्छी बात नहीं है, वह राजस्व मंत्रीजी के स्वयं के लिए अच्छी बात नहीं है। वे देखें कि इसमें उन्होंने गम्भीरता से विचार नहीं किया है; इसके बड़े गम्भीर परिणाम निकलने वाले हैं। ऐसी सूरत में इसके लिए तकाजा नहीं करें। कानून जल्दी बनाने से कोई राजस्थान सरकार का भला होगा, यह संभव नहीं हो सकेगा। राजस्थान सरकार मन्दिरों की आय के बिना समाप्त हो रही है, ऐसी बात नहीं है। इसलिये इस बिल को ४ दिन के वास्ते ही सिलेक्ट कमेटी में भेज दें जहां कि इसके इन्स एन्ड आउटस् जितने भी हो सकते हैं, उन सब के दृष्टिकोण से हम कोई कानून बनायेंगे तो मैं समझता हूं कि कानून अच्छा होगा। मन्दिरों को खत्म करना है तो तकाजे से मंदिरों को खत्म न करें। मन्दिरों के लिये हिन्दू ट्रस्ट बिल पर लम्बे चौड़े भाषण दिये हैं, तो मैं समझता हूँ कि भाषण देने का मौका आयेगा तो भाषण भी देंगे और आंकड़े भी प्रस्तुत करने का मौका आवेगा तो आंकड़े भी प्रस्तुत करूंगा कि किन २ मंत्रियों ने इन ६ महीनों में कितनी २ रिश्वत खाई है, इस प्रकार के भी आंकड़े प्रस्तुत किये जायेंगे। बदकिस्मती यह है कि जो कहूंगा वह पूरे सबूत के साथ कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Personal aspersions, I feel, though it is a most unpleasant duty to tell, should always be avoided. So I must invite your attention to this aspect.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसी मंत्री का नाम नहीं लिया है। यदि आप चाहें तो मेरे पास इस समय भी एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह अप्रासंगिक होगा इसलिए इस समय इस बात को कहना नहीं चाहूंगा और आगे के लिये रिजर्व रखता हूँ। वह डाक्यूमेंट मेरे पास है। यदि कोई मंत्री चाहें तो देख सकते हैं।

प्रश्न यह आता है कि आज ऐसी सूरत में जिस व्यवस्था के ढोंग का सहारा लिया गया है, जिस व्यवस्था को मन्दिरों पर लागू करना चाहते हैं उस व्यवस्था से वास्तव में क्या मन्दिरों में सुधार होगा ? उसके लिए आगे चलकर हमको कानून बनाना पड़ेगा, आगे चलकर व्यवस्था करनी पड़ेगी कि मन्दिरों के पुजारी ठीक हैं या नहीं हैं। जो भेंट पूजा मिले बाहर से वह इस नाते नहीं मिलनी चाहिये बल्कि मन्दिर की सेवा करने के नाते से मिलनी चाहिये। सेवा करने के नाते यदि कोई रकम मिलती है और जब तक कोई नियम नहीं हो कि उसका उपयोग किस प्रकार से होगा, उसका खर्चा किस प्रकार से होगा, उसके हेरीडिटेरी राइट्स क्या होंगी, वह सक्सेशन एक्ट से किस प्रकार से प्रभावित होगा, तब रकम निर्धारित करने की बात, मैं समझता हूँ सारी की सारी व्यवस्था अधूरी है और वह जो कानून बन रहा है वह किसी प्रकार से न्यायोचित है सदन मानने को तैयार नहीं है।

मैं ज्यादा न कहकर इतना ही कहूँगा कि बड़ी बदकिस्मती है कि आप बहुमत में हैं और बहुमत का जोर दिखाकर मंत्रीजी पास करायेंगे, आज ही पास करायेंगे। मैं समझता हूं कि आज बहुमत का जोर न दिखाकर अल्पमत की बात को स्वीकार करें और दो दिन, चार दिन का जितना समय चाहें उतने समय में सिलेक्ट कमेटी के सामने रखें ताकि जितने भी आस्पेक्ट्स इसके होंगे उन पर

Page No.102

(श्री भैरोंसिंह)

विचार किया जाकर ऐसी व्यवस्था कर सकेंगे जो कि सब को मान्य हो । केवल बहुमत का जोर दिखाकर इस प्रकार के कानून को जल्दी से जल्दी पास कराना चाहते हैं, क्योंकि मेम्बर्स बाहर से आते हैं वे पूरी तैयारी करके नहीं आये हैं। उनकी तैयारी न करने का फायदा आप उठाना चाहते हैं, तो यह उनके लिए अच्छा नहीं है, न राजस्थान सरकार के लिये अच्छा है और न राजस्थान की जनता के लिये अच्छा है। मन्दिरों के मामले में जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उदार हृदय से इस पर विचार करें, और यदि विचार करेंगे तो निश्चित रूप से मैं राजस्व मंत्रीजी से उम्मीद करता हूं; उनको उदारता का परिचय यही होगा कि वे इस बिल को ४ दिन के लिये सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दें । मैं समझता हूँ कि आप इसमें अपनी उदारता की कमी नहीं दिखायेंगे और जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री पी० के० चौधरी के खड़े होने पर) I think there accrues no right to speak after the reply has been given by the mover of the motion.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आपने कहा उस हालत में मुझे जवाब देना है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको कोई अधिकार नहीं रहता है। मैं इसको क्लोज़ करता हूं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उसमें चेरीटेबल इन्स्टीट्यूशन्स भी हैं। मेरे जोबनेर कालेज की ५० हजार की आमदनी की चीज है, जिसके लिए भी सवाल आयेगा । इसमें मंदिरों का ही सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आयेगा तो देखेंगे, वह आगे का प्रश्न है।

श्री पी० के० चौधरी : मैं बिल पर बोलना नहीं चाहता लेकिन एक दूसरी ही बात कहना चाहता हूँ । अपोजिशन की रिक्वेस्ट है कि आज इस बिल को पास न किया जाय। मैं समझता हूँ कि उनकी यह एक छोटी सी रिक्वेस्ट मान ली जाय । मंत्री महोदय आज इसको पारित न करायें और कल ही इसको पारित करा लें। यह मेरी एक रिक्वेस्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(मत दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री तनसिंह : Ayes have it; हां पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

श्री तनसिंह : मेरा निवेदन है कि 'हां' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : You still insist on this issue?

श्री तनसिंह : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : That means you want a division?

श्री तनसिंह : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(पुनः मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता?

श्री तनसिंह : हां पक्ष जीता ।

श्री उपाध्यक्ष : You like to go to the Lobbies, Ayes to go to Ayes' lobby.........

श्री तनसिंह : जी हां । यह बहुत मेटीरियल चीज है । इसके वोट दर्ज करना जरूरी है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यहां खड़े होकर गिन लिये जायं ।

श्री तनसिंह : जी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : जो इसके 'हां' पक्ष में हैं वे खड़े हो जांय । It would be desir, able to do counting in the House. after the members rise in their chairs.

श्री तनसिंह : मैं निवेदन करूं कि नियम के अनुसार यदि मेरा डिविजन क्लेम करने का मतलब टाइम पास करना या सदन की कार्यवाही में रोड़ा अटकाना है तो ऐसी अवस्था में यह किया जाता है, वरना मैं निवेदन करता हूं कि ऑपोज़िशन की स्ट्रेन्थ इतनी है कि किसी समय क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, और डिविजन की आवश्यकता ही नहीं रहती ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी यह व्यवस्था है कि खड़े होकर वोट गिने जांय ।

श्री तनसिंह : मैंने जब निवेदन किया कि इस प्रकार का नियम है और आपका डिस्क्रीशन है........

श्री उपाध्यक्ष : I think the Hon'-ble Member will not canvass the ruling of the chair.

श्री तनसिंह : मैं आपके रूलिंग का पूरी तरह से सम्मान प्रदर्शित करता हुआ यह चाहूंगा कि रामराज्य परिषद् पार्टी आपका विरोध प्रगट करती हुई बहिर्गमन करेगी ।

(रामराज्य परिषद् के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : जो इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने के पक्ष में हैं वे खड़े हो जावें।

(पक्ष में केवल १ सदस्य के खड़े होने पर)

अब जो इसके विरोध में हैं वे खड़े हो जावें ।

(अधिक सदस्यों के खड़े होने पर)

ना पक्ष जीता । प्रस्ताव गिर गया ।

(रामराज्य परिषद् के सदस्यों द्वारा सदन में पुनः प्रवेश)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है ।

श्री तनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब केवल ७ मिनिट रह गये हैं । इतने कम समय में कोई लम्बी चौड़ी बात होने वाली नहीं है । अच्छा हो, क्लॉज़ बाइ क्लॉज़ हम तैयार होकर आवें और इस पर अच्छी तरह से विचार–विमर्श हो जावे और यदि चाहते हैं कि हमारा मुंह बंद किया जाय तो आयन्दा मंत्रीजी अलग असेम्बली लगावें और विरोधी दल को बाहर निकाल दें ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): कल हो जाय तो मुझे ऐतराज नहीं है । मैं सिर्फ मोशन मूव कर दूं । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इसे पारित किया जाय ।

श्री तनसिंह : मैं निवेदन करता हूँ और, और आप बात कहते हैं दूसरी । मैं कहता हूं कि क्लॉज़ बाई क्लॉज़ बहस की जाय और आप कह रहे हैं पास किया जाय। यह तीसरी स्टेज है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी रिक्वेस्ट मानना और दूसरी तरह से टालना। इससे मेटीरियल गेन कुछ नहीं हुआ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने देखा नहीं। कंसीड्रेशन की स्टेज पास हो गई है।

श्री तनसिंह : क्लॉज़ बाई क्लॉज़ की स्टेज बाकी है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मुझे बोलने से रोका जाता है। मैं अर्ज करता हूं कि आधा हिस्सा पास हुआ है, मंदिरों का हुआ है, चेरिटेबल इन्स्टीट्यूशन्स का सवाल बाकी है। मेरी ५० हजार की मिल्कियत है।

श्री उपाध्यक्ष : The House should be adjourned till tomorrow.

श्री दामोदरलाल व्यास : I should be allowed to move my motion and if the hon'ble members want discussion it could be done tomorrow.

श्री तनसिंह : हम चाहते हैं कि अमेंडमेंट भेजें क्लॉजेज़ पर। यदि आप पास करने का मोशन पेश करते हैं तो सिवाय इसके कि पास किया जाय कोई चारा नहीं रहता।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप अपना राइट एक्सर्साइज़ करिये, मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री तनसिंह : आप पास करने का मोशन कर रहे हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : कंसीड्रेशन का मोशन हो चुका, आप वाक आउट कर गये थे।

श्री उपाध्यक्ष : The motion is already moved. That is on record.

श्री तनसिंह : उस समय मोशन जो पास हुआ था वह सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजने का था। उसके बाद में कंसीड्रेशन का मोशन होगा। इसका मतलब यह नहीं कि क्लॉज़ बाई क्लॉज़ का स्टेज ही पास हो गया। इसे क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर कोई संशोधन नहीं है, इसलिये क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लेने की आवश्यकता नहीं।

श्री तनसिंह : इन्होंने यह निवेदन नहीं किया है कि कोई अमेंडमेंट नहीं है इसलिये मूव करता हूँ कि इसे पास किया जाय। ऐसी अवस्था में क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी व्यवस्था यह है, it should be presumed to be so because there are no amendments.

(विराम)

So now we adjourn till tomorrow at 11 A. m.

(सदन की कार्यवाही सायं ४।५६ पर मंगलवार दिनांक ५-११-५७ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(सोमवार, ४ नवम्बर, १९५७)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर 1

नवम्बर १९५६ फर्म्स के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्राप्त प्रार्थना पत्र ।

तहसील उनियारा के हेड-क्वार्टर का उनियारा से अलीगढ़ स्थानान्तर ।

राजस्थान निर्माण के पश्चात् जयपुर शहर के समीप काश्त हेतु अलॉट की गई भूमि ।

ट्रेण्ड मैट्रिक को केवल मिडिल या अन्ट्रेण्ड मैट्रिक का ग्रेड देना ।

ज़िला टोंक, तहसील टोड़ा व दूनी में बन्दोबस्त ।

तहसील जायल (जि० नागौर) में तार घर एवं टेली-फोन की व्यवस्था ।

जागीर परामर्शदात्री समितियां एवं उनके सदस्य तथा कार्य ।

मूंडवा (जिला नागौर) में गोटन जैसे लाइम स्टोन की उपलब्धि ।

जागीर पुनर्ग्रहण के अन्तर्गत जागीरदारों के प्रस्तुत दावे एव उनके निर्णय ।

जिला गंगानगर में मुसलमानों की हिन्दुओं व सिक्खों के पास गिरवी पड़ी भूमियों की नीलामी ।

स्कम्भ

अजमेर शहर के प्राथमिक पाठशाला अध्यापकों के वेतन का भुगतान ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में नये स्कूल खोलने इत्यादि की शासकीय योजना ।

पटेलों व नम्बरदारों को लगान वसूली हेतु सरकारी लगान का प्रतिशत कमीशन ।

जिला टौंक में समाज कल्याण हेतु सन् १९५६–५७ में वितरित रकम ।

सन् १९५७-५८ में राजस्थान में डिग्री कॉलेज़, मल्टीपर्पज हाईस्कूल आदि खोलने की योजना ।

सरकार द्वारा स्कूलों की फीस वृद्धि ।

शोक प्रकट ४४

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री, ने सरकार की ओर से स्वर्गीय श्री ए. जे. जॉन, राज्यपाल, मद्रास तथा जस्टिस श्री पी. गोविंद मेनन, जज सुप्रीम कोर्ट के निधन पर शोक प्रकट किया। सभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास मिर्धा एवं विरोधी पक्ष की ओर से श्री तन-सिंह ने अपने विचार प्रकट करते हुए संवेदना प्रकट की। दिवंगत

आत्माओं के सम्मान में दो मिनिट तक खड़े रह कर सदस्यों ने मौन धारण किया।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

(१) सभा के सचिव ने गत सत्र में विधान सभा द्वारा पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी थी, सदन की मेज पर रखा:—

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

४९

1. The Rajasthan Relief of Agricultural Indebtedness Bill, 1957.
2. The Code of Civil Procedure (Rajasthan Amendment) Bill, 1957.
3. The Rajasthan Regulation of Boating (Amendment) Bill 1957.

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

५०

1. The Rajasthan Vaccination Bill, 1957.
2. The Rajasthan Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 1957.
3. The Rajasthan Appropriation (No. 1) Bill-1957.
4. The Rajasthan Entertainments Tax Bill, 1957.
5. The Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Amendment Bill, 1957.
6. The Rajasthan Finance (Agricultural Income Tax) Bill, 1957.
7. The Rajasthan Sales Taxj (Amending and Extending) Bill, 1957.
8. The Rajasthan District Boards (Amendment) Bill, 1957.
9. The Marwar Patta Ordinance (Repeal) Bill, 1957.
10. The Rajasthan Ministers Salaries (Amendment) Bill, 1957.
11. The Rajasthan Panchayat (Amendment) Bill, 1957.
12. The Rajasthan Civil Courts Laws (Extension) Amendment Bill, 1957.
13. Tle Rajasthan Appropriation (Vote on Account) Bill, 1957.

(२) अध्यादेश:— ५१

(क) राजस्थान मोटर स्प्रिट विक्रय कर (विस्तारी) अध्यादेश १९५७।

(ख) राःथान संक्रामक रोग अध्यादेश, १९५७।

(ग) राजस्थान सिविल कोर्टस् (सशोधन) अध्यादेश, १६५७।

(घ) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अध्यादेश, १६५७।

(ङ) राजस्थान जागीर संबंधी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन अध्यादेश, १६५७।

(च) राजस्थान सिविल कोर्टस् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १६५७।

(छ) राजस्थान स्टेट्यूटरी नियम तथा आदेश (विस्तार) अध्यादेश, १६५७।

(ज) राजस्थान जागीर भूमि पुनर्ग्रहण (वैधकरण) अध्यादेश, १६५७।

(झ) राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेन्डिंग एण्ड एक्सटैण्डिंग) संशोधन अध्यादेश, १६५७।

(ट) राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, १६५७।

(ठ) बाम्बे लोकल बोर्डस एण्ड प्राइमरी एजुकेशन (निरसन) अध्यादेश, १६५७।

(३) राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट।

(४) गृह विभाग (बी) विज्ञप्ति संख्या डी. २०३५। एफ. १० (५) (५) एच।२५३ दिनांक २५ अप्रेल, १६५७ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स रूल्स, १६५१ के नियम १४१ में संशोधन किया गया है।

स्तम्भ

(५) लेखे तथा उन पर अंकेक्षा प्रतिवेदनः—

(क) नियोजन लेखा १६५४-५५ तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन, १६५६ भाग २।

(ख) वित्त लेखा १६५५-५६ तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन, १६५६।

(ग) भूतपूर्व अजमेर स्टेट के नियोजन लेखा १६५४-५५ तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन, १६५६।

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन ५४

(१) श्री रामकिशोर व्यास, सभापति, प्रवर समिति ने राजस्थान सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन विधेयक, १६५७ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापन किया।

(२) श्री पूनमचंद विश्नोई, सभापति, प्रवर समिति ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापन किया।

विधेयकों की पुरःस्थापना ५४

निम्नलिखित राजकीय विधेयक जिन्हें नियम ६६ के अन्तर्गत राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित करने की आज्ञा दी जा चुकी थी, पुरःस्थापित किये गयेः-

१. राजस्थान मोटर स्प्रिट विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, १६५७।

२. राजस्थान संक्रामक रोग विधेयक, १६५७।

३. राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, १९५७।

४. राजस्थान जागीर सम्बंधी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन विधेयक, १९५७।

५. राजस्थान स्टेट्यूटरी नियम तथा आदेश (विस्तार) विधेयक, १९५७।

६. राजस्थान जागीर भूमि पुनर्ग्रहण (वैधकरण) विधेयक, १९५७।

७. राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेन्डिंग एण्ड एक्सटैन्डिंग) संशोधन विधेयक, १९५७।

८. राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९५७।

९. राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (छटवां संशोधन) विधेयक, १९५७।

१०. राजस्थान लैन्ड रिफार्म्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (सातवां संशोधन) विधेयक, १९५७।

११. राजस्थान जागीरदार ऋण प्रहसन (संशोधन) विधेयक, १९५७।

१२. मारवाड़ जागीरदार भारग्रस्त भू-संपत्ति (निरसन) विधेयक, १९५७।

१३. बोम्बे लोकल बोर्ड्स एन्ड प्राइमरी एजुकेशन (निरसन) विधेयक, १९५७।

१४. राजस्थान एक्साइज (संशोधी एवं विस्तारी) विधेयक, १९५७।

राजकीय विधेयकों का पारण

(१) राजस्थान मोटर स्प्रिट विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, पृथक राजस्व मन्त्री द्वारा उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किये जाने पर श्री श्रीभानसिंह ने इस आशय का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इस संशोधन प्रस्ताव पर कुछ सदस्यों द्वारा विचार प्रकट किये जाने के पश्चात् प्रभारी मन्त्री के उत्तर पर संशोधन प्रस्ताव वापिस ले लिया गया। तदुपरान्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पर खण्डशः विचार किया जाकर उसे सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(२) राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन विधेयक, १९५७

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृत हुआ। तदुपरान्त विधेयक पारित भी किया गया।

Page No.109

(३) राजस्थान सेल्स टैक्स (एमेन्डिंग एण्ड एक्सटैन्डिंग) संशोधन विधेयक, १६५७

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, पृथक राजस्व मन्त्री ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक को पारित भी किया गया।

(४) राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल आफ रेन्ट एण्ड इविक्शन) एमेन्डिग एण्ड एक्सटैन्डिंग विधेयक, १६५७

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मन्त्री ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड २ विलोपित किया गया।

खण्ड ३ व ४ बिना संशोधन के स्वीकृत हुए।

खण्ड ५ के स्थान पर एक नया खण्ड प्रतिस्थापित किया गया।

खण्ड ६, ७ व ८ बिना संशोधन के स्वीकृत हुए।

खण्ड ८ ए नया जोड़ा गया।

खण्ड ६ बिना संशोधन के स्वीकृत हुआ।

खण्ड ६ ए नया जोड़ा या।

खण्ड १० बिना संशोधन के स्वीकृत हुआ।

खण्ड ११ विलोपित किया गया।

अनुसूची विलोपित की गई।

खण्ड १ संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(५) राजस्थान संक्रामक रोग विधेयक, १६५७

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री चद्रीप्रसाद गुप्ता, चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने इस आशय का संशोधन प्रस्ताव रखा कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। वाद-विवाद के पश्चात् संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(६) राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, १६५७

श्री रामकिशोर व्यास, विधि मन्त्री द्वारा उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृत हुआ। तदुपरान्त विधेयक पारित भी किया गया।

(७) राजस्थान लैन्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स (छठवां संशोधन) विधेयक, १९५७

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री ने प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(८) राजस्थान जनरल क्लाज़ेज़ (संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री रामकिशोर व्यास, विधि मन्त्री द्वारा उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृत हुआ। तदुपरान्त विधेयक पारित भी किया गया।

(९) राजस्थान जागीर भूमि पुनर्ग्रहण (वैधकरण) विधेयक, १९५७

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री द्वारा उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किये जाने पर श्री भैरोंसिंह (१४) ने इस आशय का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इस पर किये गये वाद-विवाद में ९ सदस्यों ने भाग लिया। तत्पश्चात् प्रभारी मन्त्री के उत्तर पर संशोधन प्रस्ताव गिर गया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक को पारित किये जाने का प्रस्ताव भी प्रभारी मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया।

मंगलवार, ५ नवम्बर, १९५७ की कार्य–सूची।

१. राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७।

२. राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १९५७।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ३ का उत्तर देखिये)

फहरिस्त अलोटमेन्ट आराजी जो राजस्थान बनने के पश्चात किया गया तहसील जयपुर।

नं. शु.	नाम ग्राम	नाम आसामी जिनको अलाट की गई	रकबा	विवरण
१	बीड तकिया	बेटर फार्मिंग कोआपरेटिव सोसायटी राजेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह वगैरा	३४७.।।।१	अलाटमेन्ट राजपत्र सन् १९५१
२	,,	नवाब लोहारू साहबजादा अलाद्दीन	२४८.	,,
३	,,	श्री बीजेन्द्र नारायण काक	१९९.।२	,,
४	,,	श्री नरेन्द्रसिंह जोबनेर	४०.	,,
५	,,	नारायण वल्द चौथू माली	१५.	१०८० की बीघा नजराना पर
६	,,	महादेव वल्द गनेश माली हरनाथपुरा	८.	,,
७	बीड सरकारी	देवीलाल पुत्र झूठा माली	४.	,,
८	,,	रामपाल पुत्र सुजा माली	२.	,,
९	,,	गणेश पुत्र लादु माली	२.	,,
१०	,,	फतहराम पुत्र गणेश माली	७.	,,
११	,,	रामपाल पुत्र सालमा मीणा	१५.	,,
१२	,,	भैरू पुत्र महादेव माली	१५.	,,
१३	,,	गयाराम पुत्र बलदेव कुम्हार	१०.	,,
१४	,,	गोपाल कुम्हार	५.	,,
१५	,,	गिरधारी पुत्र महादेव मीणा	१५.	,,
१६	,,	काना पुत्र डालू कुम्हार	१५.	,,
१७	,,	श्री पृथ्वीसिंह कैपटिन	१५.	फौजी स्कीम
१८	,,	श्री बृजमोहन ब्राह्मण	१५.	,,
१९	,,	श्री रामप्रताप ब्राह्मण	१५.	माओजा जमीन
२०	बंसी सीताराम पुरा	रामसिंह राजपूत हरसोली	२८.।	फौजी स्कीम
२१	महापुरा उर्फ घुकरखेड़ा	रामसिंह पुत्र इसरदानसिंह	६०.	,,
२२	किसन बाग	घीसा गूजर	६०.	,,
२३	रामपुरा रूपा	सतानन्द शर्मा	१५.	अलाटमेंट
२४	मानपुरा देवरी	श्री कैलाश नारायण सचदेव	२०.	,,
२५	,,	इन्दर नारायण झालानी	१५.	,,
२६	,,	माधोप्रसाद रजिस्ट्रार	१५.	,,

१	२	३	४	५
२७	मानपुरा देवरी	नारायण चतुर्वेदी	४०.	अलाटमेंट
२८	विजय महल	त्रिलोकी नाथ रहना	२१.॥२	,,
२९	,,	रामरेख वेनिवाल	३४.।	,,
३०	,,	शरन विहारी माथुर	३८.॥४	,,
३१	नाहरगढ़	सुन्दरलाल वल्द हेमाराम मीणा	४.।	,,
३२	बीड़ खातीपुरा	श्री शक्तिसिंह निराघर	१५.	खुदकाश्त जागीरदारान
३३	,,	गजतनसिंह मंडरेला	२५,	,,
३४	,,	मूलसिंह	२५.	,,
३५	,,	चन्दर सिंह उसर	२५.	,,
३६	,,	श्रीमती फूलकवंर	१५.	,,
३७	,,	मानसिंह पंचलगी	१५.	,,
३८	,,	बचनसिंह	२५.	,,
३९	,,	जयनारायण सिंह	२५.	,,
४०	,,	गोपाल सिंह	२५.	,,
४१	,,	श्री बहादुरसिंह	२४॥३	,,
४२	,,	श्री केसरीसिंह महार	२५.	,,
४३	,,	श्री जयसिंह महार	१०.	,,
४४	,,	श्रीमती जड़ावोकवंर डाटेसर	१५.	,,
४५	,,	चावडसिंह टोडासर	२५.	,,
४६	,,	श्री हरीसिंह	२५.	,,
४७	,,	श्री गिरधारीसिंह	२५	,,
४८	,,	श्रीमती सोहनकवंर टोडासर	१५.	,,
४९	,,	श्री तेजसिंह कामा	२५.	,,
५०	,,	दुर्गादास चोमू	२५.	,,
५१	,,	श्री जोधसिंह	२५.	,,
५२	,,	श्री फूलसिंह	२५.	,,
५३	,,	श्री सुगनसिंह	१५.	,,
५४	,,	श्री विजयसिंह	३६.॥	,,
५५	,,	श्री शिवसिंह कामां	२५.	,,
५६	,,	श्री सुमेरसिंह	७.॥	,,
५७	बीड़ जासेला	श्री देवीसिंह	१५.	,,
५८	,,	श्री हरीसाह विमोड़िया	२५.	,,
५९	,,	श्री मोहनलाल पुत्र भैरु	१५.	,,
६०	,,	श्री पृथ्वीसिंह	१५.	,,

१	२	३	४	५
६१	बीड़ जासेला	श्री कैलाश नारायण	१५.	खुदकाश्त जागीरदारान
६२	,,	श्री रामकिशनचन्द	४४.॥	,,
६३	सहजपुरा	कपूर नावातर	१५.	,,
६४	कालवाड़	श्री नारायण सिंह	२५.	,,
६५	महापुर उर्फ कुकरली	श्री रामसिंह	४१.।॥२	,,
६६	,,	श्री आईदान सिंह	५१.४	,,
६७	,,	श्री इन्दरसिंह	५१.४	,,
६८	जैसिंहपुरा बास काकड़	श्री कपूर चन्द	४६.॥४	,,
६९	,,	श्री रामकिशन चन्दर	२३.॥२	,,
७०	बीड़ झोटवाड़ा	श्री लादूराम जैन	२५.	,,
७१	,,	श्री प्रभुसिंह कालवा	२५.	,,
७२	,,	श्री हतुसिंह	२५.	,,
७३	,,	श्री मूलसिंह चिराना	२५.	,,
७४	,,	श्री जीतसिंह	२५.	,,
७५	,,	श्री लालसिंह	१६.॥३	,,
७६	,,	श्री पूनमचन्द चारेड़ी	२५.	,,
७७	,,	श्री रघुवीर सिंह गुड़ागांव	२५.	,,
७८	,,	श्री फूलसिंह भावुल	२१.।॥२	,,
७९	,,	श्रीमती दादी चुड़ावत जी	२५.	,,
८०	,,	श्री मूलसिंह चिराना	२५.	,,
८१	,,	श्री हरीसिंह निमोड़िया	२५.	,,
		योग खुद काश्त जागीरदारान	१२२२.४	
		अन्य अलाटमेन्ट	१३४३.१	
		पूर्ण अलाटमेन्ट	२५६५.॥	

(कृपया प्रश्न संख्या ७ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

REVENUE DEPARTMENT

MEMO FOR CABINET

NO. F. 4 (584) Rev. 1/54 Dated :—Jaipur, the 23rd Oct., 1954.

Sud—Formation of the Divisional Jagir Advisory Committee.

With a view to facilitate the implementation of the verious provisions of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952 (as amended) the Central Jagir Advisory Committee has recommended that the Divisional Jagir Advisory Committees should be set up in Divisions under the Chairmenship of the Commissioners of the Divisions. Each such Committee should consist of Collectors of the districts as Ex-office members and two Jagirdars from each district of the division except Bharatpur and Alwar districts which may be represented by one Jagirdar only.

The Divisional Advisory Committee for Court of Wards have been recently formed to advise Government about the affairs of the Thikanas under the management of the Court of Wards. The Central Jagir Advisory Committee has, therefore, recommended that the Jagirdars nominated on the Divisional Committees for the Court of' aids should also be included in the proposed Divisional Jagir Advisory Committees and the remaining names of Jagirdars are proposed for nomination as members of the Divisional Jagir Advisory Committees in accordance with the recommendations of the Central Jagir Committees:—

Name.	District :
JAIPUR DIVISION	
1. Rawal Kuver Singhji of Chula.	Jaipur
2. Kr. Raghunath Singhji of Gudha.	"
3. Kr. Narainsinghji of Diggi.	Tonk
4. Th. Devraj Singhji of Dengarthal.	"
5, Th. Sohan Singhji of Suroth.	Sawai Madhopur
6. Th. Umed Singhji of Pipalwara.	"
7. Th. Bheem Singhji of Mandawa.	Jhunjhunu
8. Th. Bachan Singhji of Niradhanu.	"
9. Raja Sangram Singhji of Khandela.	SiKar
10. Th. Hari Shinghji of Devipura.	"
11. Raja Prahlad Singhji of Jeoti.	Alwar
12. Rao Ragnuvir Singhji of Sirmutra.	Bharatpur

JODHPUR DIVISION

1. Th. Keshri Singhji of Jojawar.	Pali
2. Th. Govind Singhji of Chandawal.	"
3. Th. Bheron Singhji of Khejarla.	Jodhpur
4. Th. Gopal Singhji of Pilwa.	"
5. Th. Madho Singhji of Bhaiswara.	Jalore
6. Kr. Ganpat Singhji of Daspan.	"
7. Raja Hari Singhji of Kuchaman.	Nagour
8. Th. Mool Singhji of Merta City.	"
9. Th. Mohbat Singhji of Motagaon.	Sirohi
10. Th. Lal Singhji of Mandawa.	"
11. Th. Bakhtawar Singhji.	Barmer
12. Rao Sher Singhji of Kalyanpura.	"
13. Maharaj Muken Singhji of Jaisalmer.	Jaisalmer
14. Th. Bhopal Singhji Vakil.	"

BIKANER DIVISION

1. Th. Virendra Singhji of Jasana.	Ganganagar
2. Brig. Khim Singhji of Lilki.	"
3. Th. Surajmal Singhji Dudwakhara.	Churu
4. Raja Pratap Singhji of Bidaser.	"
5. Th. Jaoraj Singhji of Lakhansar.	Bikaner
6. Th. Kan Singhji of Roda.	"

KOTAH DIVISION

1. Maharaj Kesri Singhji of Kapren.	Bundi
2. Raj Himat Singhji of Kunadi.	Kotah
3. Th. Jayendra Singhji of Sarthal.	"

UDAIPUR DIVISION

1. Maharaj Shivdan Singhji of Shivrati.	Udaipur
2. Th. Mahendra Singhji of Kekerwa.	"
3. Kr. Keshri Singhji of Basi.	Chittor
4. Th. Lal Singhji Saktawat.	"
5. Rajadhiraj Amar Singhji of Banera.	Bhilwara
6. Th. Gopal Singhji of Badnor.	"
7. Maharaj Bharatendra Singhji of Surpur.	Banswara
8. Maharaj Lal Singhji.	"
9. Th. Sangram Singhji of Peeth.	Dungarpur
10. Lt. Rewat Singhj, A. D. C. to H. H.	"

Note:- Name of the other representative of Bundi will be recommended later on.

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ६ का उत्तर देखिये)

LIST OF THE PERSONS IN WHOSE NAME BONDS HAVE BEEN ISSUED

S. No.	Name of persons in whose name bonds have been issued,	Name of Jagir.	Amount of Bonds.
1	2	3	4
	March, 1957		
1.	Shri Mohan Singh.	Ladi.	80,600/-
			83,600
	April, 1957		
2.	Shri Jagdeer Singh	Rohibe	78,950/-
3	„ Bal Singh	Ladi	403,550/-
4	Shrimati Badan Kanwar	—do—	23,000/-
5	Shri Dhanendra Singh	Sarmada	40,900/-
6	„ Vishal Singh	—do—	9,350/-
7	Shrimati Raghunand Kanwar	—do—	6,200/-
8	„ Sarman Kanwari Devi	—do—	3,100/-
9	Shri Man Singh	Gopalpura	74,500/-
10	Smt. Kishan Kumari	—do—	11,700/-
			6,51,250/-
	May, 1957		
11	Shri Madho Singh	Sambewas	1,25,200/-
12	„ Pyerilal	Dob	16,300/-
13	„ Bani Ram	—do—	16,100/-
14	Shrimati Goproranji Karent	Bindapura	10,550/-
15	Smt. Kanwardevi	Dob	3,200/-
			1,71,350/-
	June, 1957		
16	Shri Shamboo Nath	Mohu	1,9,650/-
17	Smt. Gopali Bai }		
17	Shri Kushal Singh }	Shahpura	4,450/-
18	Smt. Lell Kanwar Divediji	Riyan Bai	24,000/-
19	„ Inder Kanwar	Rohisa	13,000/-
20	„ Sheetal Kanwarji	Thincholi	29,000/-
			90,100/-

1	2	3	4
		July, 1957	
21	Shri Nar Hari Pratap Singh	Sardidgarh	93,150/-
22	,, Hamman Pratap Singhji	Sajjangarh	73,900/-
23	,, Devendra Singh	Barbiyawas	4,350/-
24	,, Udai Singhji	Kalimagri	16,100/-
25	,, Bhopal Singh	Devri	2,350/-
26	Smt. Jabar Kanwar	Gaga Kabhera	17,250/-
27	,, Jadhiji	Vaidol	3,300/-
28	Shri Kishan	Amaitpura	2,150/-
29	,, Ganga Singh	Bhagwanpura	18,050/-
30	Shrimati Jatan Kanwar	Narainpura	25.100/-
31	,, Rosal Kanwar	Shankhwas	19,950/-
32	,, Jawahar Singh	Kellibar	7,100/-
33	Maji Suraj Kanwar	Kohinda	17,350/-
34	Smt. Rukam Kanwar	Papal Kawas	19,200/-
35	Shri Shyam Behari Lal	Pilani Kund	10,200/-
36	Shrimati Maji Sajjan Kanwar	Bhnikana	9,700/-
37	Shri Daulat Singh	Pachilka Yan	4,700/-
38	,, Kalyan Bux	Reghiyan	3,950/-
39	,, Kalyan Bux	Bambyankalan	3,250/-
40	,, Modh Singh	Bundgan	1,900/-
41	,, Modh Zaman	Mothpur	5,450/-
42	Shrimati Dropdi Bai	Mundata	2,700/-
43	,, Raghuvanshi Kumari	Kherli	5,350/-
44	Shri Mogh Hasikhan	Achooki	2,750/-
45	,, Ratan Lal	Indro Badi	2,950/-
46	Smt. Chand Bai	—do—	2,950/-
47	Shri Ram Karan	Chattarpura	5,500/-
48	,, Khuman Singh	Dalmiakaji	4,250/-
49	,, Priden Singh	Malu	12,200/-
50	,, Bridilal	Bheme	7,750/-
51	,, Dolal Singh	Badikhad	1,700/-
52	,, Gangendra Singh	—do—	1,700/-
53	,, Rajendra Singh	—do—	1,700/-
			40'4,950/-
		August, 1957	
54	,, Ranjeet Singh	Midas	56,600/-
55	,, Shambhu Singh	Ridu	53,550/-
56	,, Moti Singh	Ramgarh	89,750/-

1	2	3	4
57	Shrimati Sugan Kanwar	Kajji	15,900/-
58	Shri Gajanand	Amarpura	3,100/-
59	„ Pyare Lal Shah	—do—	3,100/-
60	„ Kukat Lal Shah	—do—	3,100/-
61	„ Brij Lal	Mulsasir	8,200/-
62	„ Jawhar Dan	Bilot	2,600/-
63	Shrimati Dayal Bai	Bhlot	2,600/-
64	Shri Ganesh Lal	Baloladi	2,200/-
65	„ Anand Prashad	Sorsan	2,900/-
66	„ Madan Singh	Kharchi	2,900/-
67	„ Ramanlal	Phlaithal	6,400/-
68	„ Raghunath	Amarpura	2,200/-
69	Shrimati Chautherwati	Phalatia	2,200/-
70	Shri Nazir Ali	Gordhi	4,750/-
71	„ Maxood Ali	Mhvada	600/-
72	„ Mhommed Ali	—do—	600/-
73	Smt. Latifan	—do—	600/-
74	„ Juggo	—do—	600/-
		September, 1957	
75	Shri Ratan Singh	Budharli	51,450/-
76	„ Khuman Singh	Nethrana	3,300/-
77	„ Chand Singh	—do—	6,950/-
78	„ Umad Singh	—do—	6,950/-
79	„ Anand Singh	—do—	3,460/-
80	„ Ratan Singh	—do—	3,450/-
81	„ Kesari Singh	—do—	850/-
82	„ Nain Singh	—do—	2,300/-
83	„ Prem Singh	—do—	2,300/-
84	„ Inderjeet Singh	—do—	3,450/-
85	„ Kalyan Singh	Sengarh	62,850/-
86	„ Ganpat Singh	Rehaina	2,79,900/-
87	„ Ganpat Singh	Talwara	14,800/-
88	„ Kalyan Singh	Sunduri	10,600/-
89	„ Prithvi Singh	Jaithpura	23,000/-
90	„ Bheed Singh	Mudhra	31,150/-
91	Shrimati Darya Kanwar	Khumanand	13,000/-
92	Shri Umad Singh	Phanjarwas	3,200/-
93	Smt. Chandawatji	—do—	2,000/-
94	Shri Uaji Singh	—do—	900/-

1	2	3	4
95	Smt. Sobhaj Kanwar	Narainpura	20,650/-
96	Shri Jaswant Singh	Chai	25,350/-
97	Shrimati Sukhwatiji	Minda	29,800/-
98	Maji Chandra Kanwar	Panchawar	26,700/-
99	Shri Prithvi Singh	Bilodloda	14,100/-
100	Shri Anand Singh	Dalwid	1,900/-
101	" Brij Mohan Vyas	Sawanhhada	2,550/-
102	" Dungar Singh	Banjari	4,450/-
103	" Pratap Singh	Monyagon	12,350/-
104	" Santosh Singh	Kanorada	7,800/-
105	" Madho Singh	Sakhonda	1,750/-
106	" Udai Singh	Mokkhanpura	3,050/-
107	" Khajri Chand	Pundoli	2,550/-
108	" Karan Singh	Jugepura	7,600/-
109	" Mohan Lal	Bordyana	3,850/-
110	" Gopal Singh	Byana	4,550/-
111	" Chattar Singh	Muryadya	6,550/-
112	" Mohammad	Budojare	2,750/-
113	Shrimati Maji Multaniji	Ganganara	2,200/-
114	" Kawaraniji Martaniji	Nawara	3,350/-
115	Shri Sobhadutta Ali	Kawatpura	3,600/-
116	" Magan Lal	Lalgawa, Khurd	2,600/-
117	" Raghunath Singh	Kayalpura	2,850/-
118	Shrimati Kajuri Bai	Salarya	2,300/-
119	Shri Lahar Singh	Kugakhari	17,750/-
120	" Kejhari Singh	Bhyana	4,350/-
121	Shrimati Ram Kanwar Bali	Tuganawata	4,350/-

Note :—

There are certain persons whose names are not known to this office and are being asked for, Bonds amounting to Rs. 84,850/- have been issued to them in August. September, 1957. Thus Bonds amounting to Rs. 25,55,900/- in all to 137 persons haue been issued up to end of September, 1957.

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या १४ का उत्तर देखिये)

District-wise allotment of Primary, Middle, Higher Secondary Schools, and Degree Colleges for the year 1957–58

District.	Primary	Middle	Higher Secondary.	Degree Colleges.
1. Bikaner.	10	3	1	
2. Churu.	15	3		
3. Ganganagar.	18	5	2	
4. Alwar.	21	5	2	
5. Bharatppur.	23	3	1	
6. Jaipur & Kishangarh.	53	10	6	
7. Jhunjhnu.	37	4	1	
8. Sawai-Madhopur.	19	4	1	
9. Sikar.	18	2		
10. Tonk.	12	3		
11. Barmer.	35	3		
12. Jaisalmer.	11	1		
13. Jalore,	31	2		
14. Jodhpur.	42	7	2	1
15. Nagour,	50	6	1	
16. Pali.	18	3		
17. Sirohi.	15	3	1	1
18. Bundi.	9	2		
19. Jhalawar.	13	1	1	
20. Kotah.	21	4	1	
21. Banswara.	11	3	1	
22. Bhilwara.	33	3	1	
23. Chittorgarh.	37	4		
24. Dungarpur.	6	5		
25. Udaipur.	31	9	3	
	589	98	25	2

11 Primary will be taken over from N. E. S. Blocks.
Opening of two middle schools is under consideration of the Government.

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १८ का उत्तर देखिये)

जिला टोंक में समाज कल्याण विभाग द्वारा सन् १९५६-५७ में दी गई सहायता की सूची

१. **नगरपालिका सहायता**

अ. नगरपालिका टोंक — १,००० रु० हरिजन मोहल्लों में रोशनी व पानी की सुविधा हेतु दी गई।

ब. ,, निवाई — १,००० रु० ,, ,,

२. **छात्रवृत्ति**

	रकम	छात्र संख्या
माहवारी छात्रवृत्ति		
अनुसूचित जाति	६५१२	६२
अनुसूचित जनजाति	१४००	२१
एक मुश्त छात्रवृत्ति		
अनुसूचित जाति	१४७६	२८१
अनुसूचित जनजाति	५६	२१
अन्य पिछड़ी जाति	५२६	६७
योग	९९७३ रु०	४९६

३. **गैर सरकारी संस्था को सहायता**

मोसन्स स्कूल, टोंक — १२०० रु०

सूची कस्बा उनियारा, तहसील उनियारा, जिला टोंक के बाढ़ पीड़ितों की जो दिनांक २१-७-५७ से २३-७-५७ तक हुआ।

क्र० सं० १	नाम २	पिता का नाम ३	जाति ४	नुकसान ५	वि० विवरण ६
१	सुधा	भैरू	भंगी	२०० रु०	
२	मेंरा	खुदा	,,	५० रु०	
३	अणमारी	जैशंकर	,,	३०० रु०	
४	सुवा	रामा	,,	५० रु०	
५	चिटा	रामा	,,	३० रु०	
६	कन्दिया	प्यासी	,,	४० रु०	
७	नन्दा	बन्सी	,,	५० रु०	
८	कान्हा	गणेश	,,	१०० रु०	
९	सुला	किशना	,,	५० रु०	

Page No.122

१	२	३	४	५	६
१०	कन्दा	किशनां	,,	५० रु०	
११	कल्याण	श्रमरा	,,	४० रु०	
१२	रामनाथा	कन्दा	,,	४० रु०	
१३	जन्सी	सुक्खा	,,	५० रु०	
१४	कल्याण	गणेश	,,	६० रु०	
१५	मोती	घासी	,,	४० रु०	
१६	बाबू	मनफूल	,,	५० रु०	
१७	रामदेवा	तारा	चमार	१०० रु०	
१८	भैंरू	बक्तावर	,,	१५० रु०	
१९	गंगाराम	किशना	,,	१२५ रु०	
२०	दयाला	नन्दा	,,	३०० रु०	
२१	मांग्या	ऊंकार	,,	२०० रु०	
२२	प्रताबा	छितर	,,	५० रु०	
२३	गोपी	किशन	,,	१०० रु०	
२४	गया	देवबक्सा	,,	२०० रु०	
२५	मांगया	गणेश	,,	१५० रु०	
२६	धन्या	लालमा	,,	२०० रु०	
२७	विशना	जीवन	,,	५० रु०	
२८	रामदेवा	मवाना	,,	५० रु०	
२९	चन्दरी	जयश्री किशना	,,	५० रु०	
३०	रामा	मांगीलाल	,,	५० रु०	
३१	कान्ता	मांगीलाल	,,	५० रु०	
३२	छितर	दयाला	,,	५० रु०	
३३	नाथू	रामा	,,	५० रु०	
३४	रामचन्द्रा	घासी	,,	५० रु०	
३५	मांगीलाल	घासी	,,	५० रु०	
३६	रूघनाथा	नानगा	,,	५० रु०	
३७	ननुडा	लालू	,,	५० रु०	
३८	रामदेवा	लालू	,,	५० रु०	
३९	मोती	मांगीलाल	,,	५० रु०	
४०	रामनाथा	बालू	,,	५० रु०	
४१	मूलचन्द	तेजा	दरोगा	२०० रु०	
४२	ऐजा	गणेश	,,	१५० रु०	
४३	मूल्या	कल्याण	,,	३०० रु०	

Page No.123

१	२	३	४	५	६
४४		मांगीलाल	बालू	,,	२५० रु०
४५		रामनारायण	राधाकिशन	,,	१५० रु०
४६		रामकरण	नारायण	,,	१०० रु०
४७		चतुरभुज	मीरीलाल	नाई	५० रु०
४८		चौथा	नाथू	धोबी	५० रु०
४६		केशू	शंकर	,,	४० रु०
५०		गोपी	शंकर	,,	४० रु०
५१		मवरना	कल्लू	,,	७० रु०
५२		कल्याण		,,	२५ रु०
५३		रूपनारायण	धूलीलाल	तेली	१५० रु०
५४		भूरा	धूल्या	,,	५० रु०
५५		किला	किशना	,,	६५ रु०
५६		भूरा	देवा	,,	५० रु०
५७		बजरंगलाल	बक्तावरा	,,	५० रु०
५८		रघुनाथ	भूरा	,,	६० रु०
५६		नानगा	केसरा	ढोली	१०० रु०
६०		भोरपाल	किशना	मीणा	१५०० रु०
६१		रामनारायण	गोरधना	,,	२०० रु०
६२		चम्पालाल	बिहारी	,,	२०० रु०
६३		चिरंजीलाल	पांचू	,,	५० रु०
६४		रामगोपाल	किशना	,,	५० रु०

परिशिष्ट ६

(कृपया प्रश्न संख्या २१ का उत्तर देखिये)

Allotment of Primary Schools, Middle and Higher secondary Schools districtwise for the year 1957-58

District	Primary	Middle	Higher Secondary
1. Bikaner	10	3	1
2. Churu	15	3	
3. Ganganagar	18	5	2
4. Alwar	21	5	2
5. Bharat pur	23	3	1
6, Jaipur and Kishangarh	53	10	6
7. Jhunjhunu	37	4	1
8. Sawai-Madhopur	19	4	1
9. Sikar	18	2	
10. Tonk	12	3	
11. Barmer	35	3	
12. Jaisalmer	11	1	
13. Jalore	31	2	
14. Jodhpur	42	7	2
15. Nagaur	50	6	1
16. Pali	18	3	
17. Sirohi	16	3	1
18. Bundi	9	2	
19. Jhalawar	13	1	1
20. Kotah	21	4	1
21. Banswara	11	3	1
22. Bhilwara	33	3	1
23. Chittorgarh	37	4	
24. Dungarpur	6	5	
25. Udaipur	31	9	3
	589	98	25

11 Primary Schools will be taken over from N. E. S. Blocks, opening of 2 middle schools are under consideration of the Government.

परिशिष्ट ७

(कृपया प्रश्न संख्या २२ का उत्तर देखिये)

1. Sirohi
2. Barmer
3. Siwana
4. Baletra
5. Ganganagar
6. Bhilwara
7. Nagaur
8. Makrana
9. Maulasar
10. Kuchaman City
11. Nawan.
12. Merta City
13. Choti khatu
14. Khetri
15. Bisaw
16. Jodhpur
17. Bilara
18. Phalodi
19. Chittorgarh
20. Pratapgarh
21. Nimbhahera
22. Badi Sadri
23. Sikar
24. Danta Ramgarh
25. Srimadhopur
26. Khandela
27. Neemka-Thana
28. Bharatpur
29. Jaisalmer
30. Banswara
31. Kushalgarh
32. Sheoganj
33. Sirohi
34. Bundi
35. Tonk
36. Niwai
37. Uniara
38. Sojat
39. Jetaran
40. Pali
41. Raipur
42. Kotah
43. Banara
44. Chabra
45. Chipa-Barod
46. Ramgang mandi
47. Beawar
48. Bikaner
49. Jaipur
50. Jobner
51. Phuler
52. Sambhar
53. Dausa
54. Bandikui
55. Naraina
56. Shahpura
57. Bassa
58. Geejgarh
59. Kotputli
60. Udaipur
61. Nathdwara
62. Rajsamand
63. Delwada
64. Alwar
65. Laxmangarh
66. Bahrod
67. Tijara
68. Govindgarh
69. Kishangarh
70. Mandwar
71. Malakheda
72. Ramgarh
73. Tapukra
74. Barod
75. Kathumar
76. Kotkasim
77. Rajgarh
78. Thanagaji

79. Narayanpur
80. Pratapgarh
81. Khedli
82. Bansur
83. Bahadurpur
84. Tehla
85. Churu
86. Sawai-Madhopur
87. Hindaun
88. Karauli
89. Dungarpur
90. Bankoda
91. Sagwada
92. Jhalawar

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, सोमवार, दिनांक ४ नवम्बर, १९५७)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१९	६	Indiaidual	Individual
,,	९	Compensation, inrerim	Compensation, interim
२३	५	जो एरिया a दे दिया	जो एरिया दे दिया
३०	६	द्वितीय पचवर्षीय	द्वितीय पंचवर्षीय
३२	२	Hon'ble Memder wants	Hon'ble Member wants
,,	५	askingab out	asking about
,,	१०	years becausae in	years because in
३८	अंतिम पंक्ति	के कितना सा पाती आता है।	के कितना सा पांती आता है।
५३	१३	१९५७ के अन्तर्गत विज्ञप्ति	१९५१ के अन्तर्गत विज्ञप्ति
,,	२६-२७	श्री हरिभाऊ उपाध्याय (मुख्य मत्री) : की अनुपस्थित में वित्त मंत्री):	श्री हरिभाऊ उपाध्याय (मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) :
५४	अन्तिम से ५वीं	पुर स्थापित विधेयक	पुरःस्थापित विधेयक
७८	१६	Seven nay' paise'	seven naye paise'
८९	अन्तिम से ४-५ वीं पंक्ति	mistake the	mistake in the
९०	शीर्ष पक्ति	जागीर सम्बन्धी विधेवक	जागीर सम्बन्धी विधेयक
९८	५	श्री भैरों सिंह	श्री भैरोंसिंह
१०४	२	संशोधित तथा विस्तारी	संशोधी तथा विस्तारी
१०५ से ११३	शीर्ष पंक्ति	प्रेमिसेज़ तथा संशोधी -४ नवम्बर, ५७- इत्यादि विधेयक	प्रेमिसेज़ संशोधी तथा -४ नवम्बर, ५७- विस्तारी विधेयक, १९५७
११८	२२	रोक-थाम के लिए रखा जयगा ?	रोक-थाम के लिए रखा जायगा ?
११९	१	(श्री मदनसिह दांता)	(श्री हीराभाई)
१२१	अन्तिम से ५वीं	हां और समझें	हों और समझें
१२३	अन्तिम से ६ठी	श्री सम्पतराम	श्री सम्पतराज
१२५	१	(श्री पी० के० चौधरी)	(श्री सम्पतराज)
१२६	१७	वर समिति में	प्रवर समिति में
१३३	अन्तिम से ४	मालिकों से हा कि	मालिकों से कहा कि

१	२	३	४
१६०	६	प्रलय हो जायग	प्रलय हो जायगी
१६५	२७	चार्जेज़ नियुक्ति	चार्जेज़ नियुक्त
१६८	अन्तिम से २	थोड़े २०, ३० स रय ही	थोड़े २०-३० सदस्य ही
१७६	१३	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
१८१	अन्तिम पंक्ति	इन्स्टीट्यशन्स के बारे में	इन्स्टीट्युशन्स के बारे में
१६८	अन्तिम से ६	on a poeint of	on a point of
१६६	१	पुनर्ग्रपण (छटवां) संशोधन	पुनर्ग्रहण (छटवां संशोधन)
२१३	२०	(ट) राजस्थान टिनेन्सी	(ट) राजस्थान टिनेन्सी
१४३ से २०८	१	भूमि-सुधार एवं जागीर –४ नवम्बर, १६५७– पुनर्ग्रहण (छटवां संशोधन	भूमि-सुधार एवं जागीर ४– नवम्बर, १६५७– पुनर्ग्रहण (छटवां संशोधन) विधेयक